रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 2—जून 8, 2012 (ज्येष्ठ 12, 1934)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2—JUNE 8, 2012 (JYAISTHA 12, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	341
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	523
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	777
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है).....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	977
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	4933
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	505
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	341
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	523
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	777
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the -Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	977
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	4933
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	505
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2012

सं. 43-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01.	डी. नरेन्द्र रेड्डी, रिजर्व निरीक्षक	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
02.	एन. मोहन रेड्डी, रिजर्व उप निरीक्षक	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
03.	ई. लोकेश, पुलिस कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
04.	के. चेल्ली बाबू, पुलिस कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
05.	के. यादागिरि, हेड कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 14.12.10 को आन्ध्र-उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र में कार्रवाई करने को तैयार माओवादियों की पहली सी आर सी कम्पनी के एकत्र होने के बारे में पुलिस अधीक्षक विजाग (आर) और एस आई बी को विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई। श्री डी. नरेन्द्र रेड्डी के नेतृत्व वाली एक टीम सहित ग्रेहाउन्डों की टीमों को अभियान में लगाया गया। भूभाग दूरस्थ गहन, अगम्य और घने वन क्षेत्रों वाला था।

दिनांक 17.12.10 को ग्रेहाउंडों की टीम ने पलेरू नदी पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ ओलिव ग्रीन यूनीफॉर्म में 60 माओवादियों की एक सैम्य कम्पनी को देखा। नदी में आई अचानक बाढ़ के कारण यूनिट के केवल 9 सदस्य नदी पार कर सके। माओवादियों ने टीम को

नदी पार करते हुए देखा और हमला करने को तैयार हो गए। पुलिस पार्टी माओवादियों को गिरफ्तार करने अथवा मार गिराने के दृढ़ निश्चय से स्वयं को तीन-तीन सदस्यों वाली तीन टीमों में विभाजित करके रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ी और माओवादियों को आत्मसमर्पण करने को कहा। नरेन्द्र रेड्डी प्रमुख फायरिंग दल का , मोहन रेड्डी दाहिने कटऑफ का और ए ए सी यादागिरि बाएँ कटऑफ का नेतृत्व कर रहे थे। माओवादियों ने एके-47, इन्सास और एल एम जी जैसे स्वचालित हथियारों से पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियों का सामना करते हुए डी. नरेन्द्र रेड्डी, एन मोहन रेड्डी तथा के यादागिरि ने अनुकरणीय प्रतिबद्धता के साथ अपनी-अपनी टीमों का नेतृत्व किया। गोलीबारी के दौरान मोहन रेड्डी के पेट के निचले भाग में गोली लगी। टीम लीडरों के साथ चेल्ली बाबू और लोकेश आगे बढ़े और आक्रमण जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप(4) कट्टर माओवादी मारे गए और हथियार और अन्य वस्तुएँ बरामद की गईं । माओवादी कम्पनी के शेष सदस्य भारी गोलीबारी की आड़ लेकर भागने में सफल हो गए। बाद में पता चला कि माओवादियों की केंद्रीय कमिटी का एक सदस्य चलपती भी गोलीबारी में घायल हुआ था। माओवादियों से निम्नलिखित अस्त्र-शस्त्र/गोलाबारूद बरामद किए गए:-

इन्सास हथियार 01, .303 राइफल-01, मोटोरोला मैन पैक-3, एन वी जी-02, कैमरा-01, माइन्स-02, डी बी-01, ट्रांजिस्टर 01, मैन पैक बैटरियाँ -04, आई पैड 01, हथगोले-02 और साहित्य आदि।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री डी. नरेन्द्र रेड्डी, आर आई,एन. मोहन रेड्डी, आर एस आई, ई. लोकेश पी सी, के चेल्ली बाबू, पी सी और के, यादागिरि , हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 17.12.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 44-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. सत्यजीत नाथ, अपर पुलिस अधीक्षक

02. गोकुल चेत्री, कांस्टेबल

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

श्री सत्यजीत नाथ, ए पी एस, अपर पुलिस उपायुक्त, (मुख्यालय) उडालगुडी असीम समर्पण और अदम्य उत्साह के अद्भुत मनोवैज्ञानिक अभियानों के साथ दिसम्बर 2009 से

उदालगिरि में अभियानगत कार्रवाई कर रहे थे। अपने अनुकरणीय कौशलों के कारण वे विश्वसनीय स्रोत जुटाने में सफल हुए और उनका आसूचना तंत्र भी उत्कृष्ट था।

दिनांक 16.03.2010 को 0315 बजे उदालगुड़ी पुलिस स्टेशन के तहत माजुली क्षेत्र में एन डी एफ बी (रंजन डायमरी समूह) उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने के आधार पर श्री नाथ ने उप निरीक्षक आर एन दास और 315 फील्ड रेजीमेंट (सेना) के मेजर संजीव हरियाल के साथ प्राप्त सूचना के आधार पर बहुत-सी घात लगाई गईं। लगभग 4.15 बजे अपर पुलिस अधीक्षक श्री नाथ ने लगभग 300-400 मीटर के फासले पर 2 बाइकों की गतिविधि को देखा। श्री नाथ ने जब उनसे रूकने को कहा तब उग्रवादियों ने श्री नाथ पर गोलीबारी शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप एक गोली उनकी बुलेट-प्रूफ जैकेट में लग गई। इसकी चिंता किए बिना उन्होंने अपने पी एस ओ कांस्टेबल गोकुल चेत्री के साथ तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए उग्रवादियों पर जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। श्री नाथ ने विपत्ति के क्षण में अद्भुत तरीके से अदम्य साहस और नेतृत्व का गुण प्रदर्शित किया और भीषण गोलीबारी में भी चिंतित हुए बिना और बल के कार्मिकों को एकजुट रखने में सफलता प्राप्त की और आगे होकर जवाबी कार्रवाई का नेतृत्व किया। जब गोलीबारी रूक गई तब घटनास्थल की गहन छानबीन की गई। दो उग्रवादी मारे गए और मारे गए उग्रवादियों के पास से 22 राउंडों वाली मैगजीन सहित एक एके 47 राइफल, 8 खाली खोखे और मैगजीन सहित एक 9 एम एम की पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस, एक चीनी हथगोला और अन्य आपराधिक दस्तावेजों सहित मोबाइल सिम कार्ड बरामद किए गए। दुर्गम भूभाग का फायदा उठाकर अन्य उग्रवादी भागने में सफल हो गए। बाद में एक उग्रवादी की पहचान एस एस लेफ्टीनेंट कोभाई उर्फ कुम्बा रोरो के रूप में की गई जो हथियारों के अवैध व्यापार और नए संवर्गों की भर्ती करने में लिप्त था।

एक बुद्धिमान और जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक के रूप में श्री नाथ ने स्वयं एन डी एफ बी (आर डी एफ) के उग्रवादियों की गतिविधियों के संबंध में आसूचना एकत्र की। उन्होंने आगे होकर अभियान का स्वयं नेतृत्व करते हुए दुर्लभतम साहसिक कार्य और उच्च स्तर की जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री सत्यजीत नाथ, अपर पुलिस अधीक्षक और गोकुल चेत्री कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 16/03/2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 45-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01.	अंकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
02.	अभिषेक पाठक, पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
03.	आलोक तिवारी, कम्पनी कमांडर	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
04.	जेम्स एक्का, कम्पनी कमांडर	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

सितम्बर 2010 के प्रथम सप्ताह में श्री अंकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक, महासमुंद को महासमुंद के सीमावर्ती जिले में नक्सलियों की एक मिलिटरी कम्पनी की गतिविधि के बारे में आसूचनागत जानकारी प्राप्त हुई। आसूचना के महत्व पर विचार करते हुए श्री गर्ग ने श्री अभिषेक पाठक, पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल के साथ नक्सलियों को घेरने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और नक्सली गतिविधि का पता लगाया।

दिनांक 09.10.2010 को श्री गर्ग को पाडकिपानी गाँव के वन्य क्षेत्र और लेडगीडीपा, पुलिस स्टेशन संकारा में 65-70 नक्सलियों की उपस्थिति के बारे में आगे और आसूचनागत जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल श्री अभिषेक पाठक के साथ मामले पर विचार विमर्श किया और उपलब्ध बल को जुटाया और बल को दो भागों में विभाजित किया गया जिसमें एक का नेतृत्व श्री गर्ग और श्री जेम्स एक्का कम्पनी कमांडर ने और दूसरे का नेतृत्व श्री पाठक और श्री आलोक तिवारी कम्पनी कमांडर ने किया और सैन्यदलों को योजनानुसार अति सावधानी से ब्रीफ किया। पहली पार्टी पाडकिपानी गाँव की ओर और दूसरी पार्टी लेडगीडीपा गाँव की ओर बढ़ गई।

घटनास्थल पर पहुँचने के पश्चात् और योजनानुसार, पार्टियों ने संदिग्ध जंगल क्षेत्र को घेर लिया और इसकी गहन छानबीन शुरू कर दी। इसी बीच, नक्सलियों ने पुलिस-पार्टी को देख लिया और पुलिस पार्टी पर तेजी से गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने नक्सलियों की तत्काल पहचान कर ली और पुलिस अधीक्षक श्री गर्ग और जेम्स एक्का ने आगे से पुलिस पार्टी का नेतृत्व किया और नक्सलियों पर प्रभावकारी रूप से गोलीबारी करते हुए और रणनीतिपूर्वक आगे

बढ़ते हुए नक्सलियों पर हमला कर दिया। किन्तु छोटी पहाड़ियों की चोटी से नक्सलियों द्वारा की जारी भारी गोलीबारी ने पुलिस पार्टी को गम्भीर संकट में डाल दिया। उस क्षण श्री गर्ग ने रेंगकर आगे बढ़ते हुए और नक्सलियों का सामना करते हुए अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया। दूसरी ओर से श्री एक्का ने बहादुरीपूर्वक आक्रमण कर दिया। दोनों अधिकारियों ने नक्सलियों को घेर लिया और गोलीबारी में कुछ नक्सलियों को मार गिराया। यह गोलीबारी 1 घण्टे बाद रूकी और तब पुलिस पार्टी ने उस क्षेत्र की छानबीन की और घटनास्थल से गोलाबारूद और बारूदी सुरंगों सहित 03 सशस्त्र नक्सलियों के शव, एक 303 राइफल, एक 410 कस्केट और दो 12 बोर की बंदूकें बरामद कीं।

श्री पाठक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने गाँव के निकट नक्सलियों को बीच में रोकने का प्रयास किया। श्री पाठक ने अपनी पार्टी को रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ा दिया और नक्सलियों द्वारा भारी गोलीबारी से उन्हें पुन: चुनौती दी गई। श्री पाठक और श्री आलोक तिवारी ने गोलीबारी के बीच साहस का प्रदर्शन किया और अपनी टीम का प्रभावकारी ढंग से नेतृत्व किया और नक्सलियों को गोलीबारी में उलझाए रखा। गोलीबारी रूकने के बाद पुलिस पार्टी ने उस क्षेत्र की तलाशी ली और घटनास्थल से नक्सलियों के चार शव बरामद किए। पुलिस ने घटनास्थल से एक एस एल आर, 315 बोर की एक बंदूक, 12 बोर की एक बंदूक, एक 410 मस्केट, हथगोले, गोलाबारूद आदि भी जब्त किए।

पुलिस की इस शौर्यपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप घातक हथियारों से लैस नक्सलियों का खात्मा संभव हुआ और एक एस एल आर, एक 303 राइफल, दो 410 मस्केट, तीन 12 बोर की बंदूकें, एक 315 बोर की बंदूक, हथगोले, बारूदी सुरंग, गोलाबारूद और नक्सलियों का अन्य व्यक्तिगत सामान बरामद किया जा सका। मारे गए सात नक्सलियों की पहचान प्रतिबंधित सी पी आई (माओवादी) नक्सली गुट की दण्डकारण्य विशेष जोनल समिति की 10वीं कम्पनी के सदस्यों के रूप में की गई। इस मुठभेड़ ने महासमुंद जिले के नक्सली प्रभाव के विस्तार को भारी झटका दिया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अंकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक, अभिषेक पाठक, पुलिस अधीक्षक, आलोक तिवारी, कम्पनी कमांडर और जेम्स एक्का, कम्पनी कमांडर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 09.10.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 46-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री महल सिंह,
सहायक उप निरीक्षक

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

पुलिस स्टेशन, महेश नगर, जिला अम्बाला में तैनाती के समय दिनांक 29.11.2009 को सहायक उप निरीक्षक को टंगरी नदी के निकट चार संदिग्ध युवा लड़कों की उपस्थिति के संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त हुई। सूचना की प्राप्ति पर ए एस आई महाल सिंह ने संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने के लिए तत्काल एक पुलिस पार्टी गठित की। ए एस आई महल सिंह पुलिस पार्टी के साथ घटनास्थल पर पहुँच गए और संदिग्ध लड़कों को घेरने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोलियाँ चला दीं। एक गोली ए एस आई महल सिंह को लग गई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गम्भीर चोटें लगीं, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन संदिग्ध लड़कों का पीछा करना जारी रखा और अपने साथियों को मदद भी पहुँचाते रहे। अंतत: पुलिस पार्टी मुकेश, हरिंदर गिल उर्फ मिंटू, राकेश कुमार उर्फ राजू और दीपक कुमार, दीपू उर्फ बबली को गिरफ्तार करने में सफल हुई और घटनास्थल से .315 बोर की एक देशी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। बाद में उनकी सूचना पर शारनपुर से दो देशी पिस्तौलें और पाँच जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। दिनांक 30.11.2009 को पुलिस स्टेशन महेश नगर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332/353/186/307/34 और आयुध अधिनियम की धारा 25/54/59 के तहत एफ आई आर संख्या 227 दर्ज की गई।

यह स्पष्ट है कि ए एस आई महल सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए विभिन्न अपराधों में लिप्त खतरनाक अपराधियों को पकड़ने में अतिविशिष्ट साहस का प्रदर्शन किया और अपनी टीम के सदस्यों की जान बचाने में भी सहायता की।

इस मुठभेड़ में श्री महल सिंह, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 29/11/2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 47-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सुरेश कुमार,
कांस्टेबल (मरणोपरांत)

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत दिनांक 16/04/2010 के केस एफ आई आर संख्या 58 की जाँच के दौरान, निरीक्षक मुकेश कुमार, एस एच ओ, पुलिस स्टेशन, कालका को दिनांक 24.08.2010 को विश्वस्त सूत्रों से एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त (1) अमित उर्फ मोनू पुत्र रत्तन सिंह निवासी ग्राम सलवा, पुलिस स्टेशन, सरधना, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश), (2) तेज सिंह उर्फ तेजा पुत्र मणि सिंह निवासी ग्राम खादियान पुलिस स्टेशन परमानू, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) एक चोरी की मोटर साइकिल पर पंचकुला में यावनिका पार्क के पास, सेक्टर 5, पंचकुला में घूम रहे हैं। सूचना प्राप्त होने के बाद, नियंत्रण कक्ष, पंचकुला ने शीघ्र कार्रवाई की और सभी पुलिस स्टेशनों/पुलिस चौकियों/नाकाओं/पीसीआर वैनों और राइडर्स को अपराधियों को पकड़ने के लिए सावधान कर दिया। कांस्टेबल सुरेश कुमार के साथ निरीक्षक मुकेश कुमार, एस एच ओ, कालका के नेतृत्व में पुलिस पार्टी घटनास्थल पर पहुँच गई और अभियुक्त को यावनिका पार्क के निकट पंचकुला में देखा। पुलिस पार्टी को देखकर, दोनों अभियुक्तों ने चुराई गई मोटर साइकिल पर भागने का प्रयास किया। कांस्टेबल सुरेश कुमार ने तत्काल कार्रवाई की और वे अभियुक्त को पकड़ने में सफल हो गए और अमित उर्फ मोनू नामक एक अभियुक्त ने बचकर भागने का प्रयास किया किंतु कांस्टेबल सुरेश कुमार ने उसे भागने नहीं दिया। इस पर, अभियुक्त अमित उर्फ मोनू ने कांस्टेबल सुरेश कुमार पर हमला कर दिया जो उनके सीने के बाईं ओर चाकू लगने के कारण वे जमीन पर गिर गए। कांस्टेबल सुरेश कुमार को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। तत्पश्चात् अमित उर्फ मोनू नामक एक अभियुक्त को घटनास्थल पर गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरे अभियुक्त तेज सिंह उर्फ तेजा को दिनांक 24.08.2010 को बस स्टैण्ड, पिंजोर, जिला पंचकुला से गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार कांस्टेबल सुरेश कुमार ने अपराधी को पकड़ने और अपनी जान की अंतिम सांस तक अपराधी से लड़ते हुए शौर्यपूर्ण कार्रवाई का प्रदर्शन किया। इस संबंध में उपर्युक्त कथित अभियुक्त के खिलाफ पुलिस स्टेशन, सेक्टर-5 पंचकुला में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/307/332/253/186/411/34 के तहत दिनांक 24/08/2010 को मामले की एफ आई आर संख्या 281 दर्ज की गई है। कांस्टेबल सुरेश कुमार ने अभियुक्त को पकड़ने के प्रयोजन से लोक हित में अपना बहुमूल्य जीवन बलिदान कर दिया। इस अधिकारी ने सरकारी ड्यूटी के प्रति असीम समर्पण और ईमानदारी प्रदर्शित की और सामान्य जन की सेवा करने के लिए अन्य पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया।

इस मुठभेड़ में (स्वर्गीय) श्री सुरेश कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 24/08/2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 48-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. गुरदीप सिंह,
    उप निरीक्षक
02. अब्दुल जब्बार,
    एसजी. कांस्टेबल

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

हैदर मोहल्ला खोजाबाग बारामूला में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में दिनांक 22.4.2008 को प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए उक्त गाँव में आर्मी 46 आर आर के सैन्यदलों की सहायता से बारामूला पुलिस द्वारा घेराबंदी और तलाशी अभियान की योजना बनाई गई और अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस पार्टी मुश्ताक अहमद फाफू के मकान में छिपे आतंकवादियों की भारी गोलीबारी का निशाना बन गई। पुलिस पार्टी ने आस-पास के मकानों/ पेड़ों की आड़ लेकर जवाबी गोलीबारी की। आसपास के मकानों में फँसे सिविलियनों को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य उप निरीक्षक गुरदीप सिंह और एस जी सी टी मोहम्मद हुसैन और एस जी सी टी अब्दुल जब्बार से गठित एक पुलिस पार्टी द्वारा किया गया जिन्होंने स्वयं इस कार्य को स्वेच्छापूर्वक हाथ में लिया था। भारी गोलीबारी के बावजूद, टीम आसपास के मकानों से लोगों को सुरक्षित निकालने में सफल हुई, यद्यपि आतंकवादी लगातार अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे। तत्पश्चात् अभियान पार्टी ने रणनीतिपूर्वक नियंत्रित गोलीबारी जारी रखी और उनके निकट पहुँचने में साहस और पेशेवरता का प्रदर्शन किया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना आतंकवादियों का पीछा किया और उन्हें घटनास्थल पर मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान तनवीर अहमद जरगार उर्फ तान खान पुत्र गुलाम मुस्तफा जरगार निवासी बाग-ए-इस्लाम बारामूला एच एम आतंकवादी गुट के सेल्फ स्टाइल्ड जिला कमांडर और एच एम गुट के इम्तियाज अहमद खान उर्फ आन खान पुत्र अब्दुल राशिद खान निवासी जामिया

मोहल्ला बारामूला के रुप में की गई जो लम्बे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय थे और उनका मारा जाना पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये आतंकवादी कई आपराधिक मामलों में वांछित थे। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार, गोलाबारूद और अन्य वस्तुएं भी बरामद की गईं:-

i) एके 47 राइफल-01
ii) एके 47 मैगजीन-06
iii) एके आयुध-13 राउंड
iv) राइफल काला काओफ-01
v) सैटेलाइट फोन-01
vi) पाउच -02

इस मुठभेड़ में सर्वश्री गुरदीप सिंह, उप निरीक्षक और अब्दुल जब्बार एस जी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 22/04/2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.49-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01.	मोहम्मद अरशद पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)
02	राजेश कुमार निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
03.	ओमेश ठाकुर उप निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
04.	बिक्रम कुमार एस जी. कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 06 जनवरी, 2010 को लगभग 1400 बजे, दो आतंकवादियों ने एस एच ओ माइसुमा उप निरीक्षक जहूर अहमद और उनकी पुलिस पार्टी पर उस समय हमला कर दिया जब वे शहर में आतंकी हमले की विशेष जानकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर लाल चौक क्षेत्र में जामा तलाशी और जाँच-पड़ताल संबंधी ड्यूटी कर रहे थे जिसमें उनके ड्राइवर फालोवर मोहम्मद यूसुफ, जिसने हमले का बहादुरी से सामना किया और जिनकी घायल होने के कारण घटनास्थल पर ही मौत हो गई और साथ ही सी आर पी एफ के कांस्टेबल और सिविलियनों को गंभीर चोटें आईं।

इस पर माइसुमा पुलिस स्टेशन के एस एच ओ ने अपने बी पी वाहन में शरण ली और उन्हें जवाबी कार्रवाई करते हुए चुनौती दी। गोलीबारी से बचने के लिए आतंकवादी पास ही में पंजाब होटल, लाल चौक में घुस गए और अंधाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया और इसके बाद उनकी पार्टी और सी आर पी एफ की 132वीं बटालियन की लाल चौक कमांड पोस्ट पर हथगोले फेंके। इस हमले के कारण एस एच ओ माइसुमा का बी पी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एस एच ओ माइसुमा ने अपने अधिकार क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक (एस पी सिटी ईस्ट श्रीनगर) को बचाव कार्य तथा और अधिक बल भेजने के लिए तत्काल कहा। बचाव के लिए एस एच ओ माइसुमा की कॉल सुनते ही, पुलिस अधीक्षक सिटी ईस्ट श्रीनगर श्री विधि कुमार बिरडी, आई पी एस एक छोटी पुलिस पार्टी के साथ तत्काल घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और पुलिस पार्टी के साथ स्वयं रणनीतिपूर्वक पंजाब होटल के निकट पोजीशन ले ली जहाँ आतंकवादी छिपे थे। पुलिस अधीक्षक सिटी ईस्ट और उनकी पुलिस पार्टी पर आतंकवादियों ने गोलियाँ चला दीं जिसमें वे बाल-बाल बच गए। एस पी ईस्ट और उनकी पार्टी ने अपनी जान की परवाह किए बिना आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी कर दी और क्षतिग्रस्त वाहन से एस एच ओ माइसुमा को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए निकट के ही मोबाइल बी पी बंकर का उपयोग किया।

पुलिस अधीक्षक सिटी ईस्ट ने आतंकवादियों के हमले का जवाब देने के लिए और अधिक बल भेजने और माइसुमा में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एस एस पी श्रीनगर से अनुरोध किया। इसी बीच पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर, श्री फारूक अहमद, आई पी एस अतिरिक्त बल के साथ घटनास्थल पर पहुँच गए। चूँकि वह क्षेत्र कई होटलों, कार्यालयों, संस्थानों और व्यावसायिक संकुलों (कॉम्प्लेक्सों) वाला था और आसपास की इमारतों में कई आदमी, महिलाएँ और बच्चे फँसे हुए थे, अत: उन्होंने आसपास की इमारतों में फँसे सिविलियनों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए आदेश दे दिए। चूंकि बहुत अधिक संख्या में सिविलियनों को सुरक्षित बाहर निकालना था इसलिए इन अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इमारतों में फँसे सिविलियनों को स्वयं सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस की सहायता से इन सिविलियनों को बचाते समय उन पर उग्रवादियों ने गोलियाँ चलाईं, तथापि वे बाल-बाल बच गए। उप महानिरीक्षक सी

के आर और एसएसपी श्रीनगर ने एसपी सिटी ईस्ट को घेराबंदी को सुदृढ़ करने और पंजाब होटल के आस-पास के क्षेत्र में रोशनी की व्यवस्था करने का निदेश दिया। तदनुसार, एस पी ईस्ट ने एस एच ओ माइसुमा के साथ पंजाब होटल के चारों ओर की गई घेराबंदी को हटा लिया और कंसर्टिना वायर से गलियों एवं उप-गलियों को अवरूद्ध कर दिया और पंजाब होटल के चारों ओर रणनीतिपर्वूक बाधाएँ लगा दीं जबकि आतंकवादियों की ओर से भारी गोलीबारी जारी थी। उन्होंने पंजाब होटल के प्रमुख द्वार के ठीक सामने की उप-गली (बाई लेन) के अंत में जनरेटर चालित हेलोजन लाइट लगाकर होटल पंजाब के मुख्य द्वार पर तेज रोशनी कर दी ताकि अंधेरे का लाभ उठाकर आतंकवादी सुरक्षित बचकर भाग निकलने में सफल न हो सकें और इसके लिए सी आर पी एफ की 29 बटालियन/132 बटालियन के साथ चारों ओर घेराबंदी कर दी।

चूंकि अंतिम अभियान उचित स्थान से चलाया जाना था, इसलिए पुलिस अधीक्षक, साउथ श्री मोहम्मद इरशाद और उप महानिरीक्षक (अभियान) सी आर पी एफ साउथ कश्मीर, श्री नलिन प्रभात, आई पी एस ने पुलिस पार्टी/180 बटालियन, सी आर पी एफ के साथ स्वयं उपस्थित होकर पंजाब होटल के आगे वाले भवन को खाली करा दिया और उस पर कब्जा कर लिया। लगभग 1800 बजे डायमंड होटल को साफ कर दिया गया और कमांड पोस्ट-कम-लॉन्चिंग बेस की स्थापना कर दी गई। चूंकि अँधेरा हो रहा था और सिविलियनों को बाहर निकालने का कार्य जारी था, अत: सिविलियनों को हताहत होने से बचाने के लिए अंतिम आक्रमण को रोक दिया गया। पूरी रात लाल चौक क्षेत्र की घेराबंदी रखी गई और पुलिस/ सी आर पी एफ और आतंकवादियों के बीच छिटपुट गोलीबारी चलती रही। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर और पुलिस महानिरीक्षक सी आर पी एफ ने घटनास्थल से सम्पूर्ण अभियान का पर्यवेक्षण जारी रखा। 07 जनवरी, 2010 की सुबह लगभग 0800 बजे होटल डायमंड की चौथी मंजिल के एक कमरे से अंतिम अभियान शुरू किया गया। जम्मू एवं कश्मीर पुलिस और सी आर पी एफ की एक असॉल्ट टीम गठित की गई जिसमें निरीक्षक राजेश कुमार, उप निरीक्षक ओमेश ठाकुर, जम्मू और कश्मीर पुलिस के एस जी कांस्टेबल विक्रम कुमार शामिल थे। जब छिपे हुए आतंकवादियों के विरूद्ध अंतिम आक्रमण जारी था, तब पुलिस महानिदेशक जम्मू और कश्मीर श्री कुलदीप खोडा, आई पी एस आ पहुँचे और होटल डायमंड में स्थापित कमांड पोस्ट से अभियान की मॉनीटरिंग की। आक्रमण दल (असॉल्ट टीम) ने होटल पंजाब की तरफ से आतंकवादियों द्वारा चलाई जा रही गोलियों से भयभीत हुए बिना होटल डायमंड और होटल पंजाब के बीच 30 फुट की दूरी तय कर "श्रीनगर न्यूज" कार्यालय भवन के स्लोप वाले सी जी आई रुफ टॉप और कोरुगेटेड सी जी आई शीटों की फिसलन भरी छत से चौथी मंजिल की ऊँचाई से गिरने से भयभीत हुए बिना गोलीबारी का सामना किया।

असॉल्ट टीम ने होटल पंजाब की साइड की दीवारों को तोड़ दिया और आतंकवादियों को एक मंजिल नीचे धकेलकर ऊपरी मंजिल पर कब्जा कर लिया। अंतरावरोध के दौरान 180 सी आर पी एफ के कांस्टेबल सदानंदन के पाँव में गोली लग गई। अपनी जान को गंभीर खतरे की

ओर ध्यान न देते हुए असॉल्ट टीम के सैनिक होटल पंजाब की तीसरी मंजिल पर व्यवस्थित ढंग से एकत्र हो गए। आतंकवादियों ने असॉल्ट टीम का अशंक्य साहस एवं मनोबल महसूस करते हुए हताश होकर पंजाब होटल के पिछले भाग में आग लगा दी। उठते धुएँ ने असॉल्ट टीम को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब असॉल्ट टीम "श्रीनगर न्यूज" कार्यालय भवन की ऊपरी मंजिल की छत पर पहुँचने का प्रयास कर रही थी, तब आतंकवादियों ने बचने के प्रयास में सी जी आई शीटें लगाकर होटल पंजाब के पिछली तरफ "जैकेट" स्ट्रीट की रुफिंग से होटल पंजाब के पिछली तरफ 10 फुट की गहराई में कूद गए। फिसलन भरी छत की परवाह न करते हुए असॉल्ट टीम ने आतंकवादियों को उलझाए रखा और सफलतापूर्वक उनका खात्मा कर दिया। होटल पंजाब का लकड़ी से बना फर्श और प्लाई बोर्ड से बनी दीवारों ने असॉल्ट टीम को भारी परेशानी में डाला लेकिन लोगों के कम से कम हताहत होने के साथ साथ संपार्श्विक क्षति भी कम होने से अभियान में सफलता प्राप्त हुई। आतंकवादियों द्वारा लगाई गई आग और तेज हो गई और होटल पंजाब की पूरी बिल्डिंग में फैल गई और इस बात की पूरी संभावना थी कि यह आग होटल पंजाब से सटी सभी इमारतों में फैल जाएगी। लेकिन जम्मू और कश्मीर की अग्निशमन सेवा के दमकलों के समय पर कार्रवाई करने और श्री आर टी दुबे की कमांड के तहत आपातिक सेवाओं ने भवन में बिना फटे हथगोलों के फटने के खतरों की ओर ध्यान न देते हुए आग बुझाई और होने वाली भारी संपार्श्विक क्षति से बचाया। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद बरामद किया गया:-

i) एके 47 राइफल-01
ii) एके 57 राइफल-01
iii) यू बी जी एल (थ्रोअर)-01
iv) एके मैगजीन-10 (05 क्षतिग्रस्त)
v) एके गोलाबारूद-162 राउंड
vi) पाउच-02 (क्षतिग्रस्त)
vii) हथगोले (चीनी)-01

इस मुठभेड़ में सर्वश्री मोहम्मद अरशद, पुलिस अधीक्षक, राजेश कुमार, निरीक्षक, ओमेश ठाकुर, उप निरीक्षक और बिक्रम कुमार, एसजी कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का द्वितीय बार/पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 07/01/2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.50-प्रेज/2012- राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. जुबैर अहमद खान,
पुलिस अधीक्षक

02. मोहम्मद मुर्तजा,
सहायक उप निरीक्षक

03. जाविद अहमद,
एसजी, कांस्टेबल

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 31.05.2010 को बारामूला पुलिस को लालाड सोपोर गाँव, जिला बारामूला में जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई। तदनुसार, श्री जुबैर अहमद खान, के पी एस, एस पी (अभियान) बारामूला ने निरीक्षक मोहम्मद मंजूर, सहायक उप निरीक्षक मोहम्मद मुर्तजा और एसजी सीटी जाविद अहमद तथा आर्मी 52 आर आर, 53 बटालियन सी आर पी एफ, 129 बटालियन सी आर पी एफ और 179 बटालियन सी आर पी एफ सहित बारामूला जिले के पुलिस कार्मिकों सहित एक अभियान की योजना बनाई। लक्ष्य गाँव पहुँचने के पश्चात् उस स्थान की सुबह-सुबह घेराबंदी कर ली गई और श्री जुबैर अहमद खान, के पी एस, एस पी (अभियान) बारामूला, निरीक्षक मोहम्मद मंजूर सहायक उप निरीक्षक मोहम्मद मुर्तजा और जिला पुलिस बारामूला के सार्जेंट जाविद अहमद के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी संदिग्ध मकान की ओर बढ़ गई।

मकान की पहचान करने के पश्चात श्री जुबैर अहमद खान (अभियान) बारामूला ने मकान के चारों ओर पुलिस पार्टी को रणनीतिपूर्वक तैनात कर दिया और मकान के करीब बढ़ गए। तथापि, लक्ष्य मकान में छिपे आतंकवादियों ने पुलिस/सुरक्षा कार्मिकों की उपस्थिति को भाँप लिया और मकान से बचकर भागने के प्रयोजन से पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें श्री जुबैर अहमद खान, के पी एस, एस पी (अभियान) बारामूला, निरीक्षक मोहम्मद मंजूर और सहायक उपनिरीक्षक मोहम्मद मुर्तजा और सार्जेंट कांस्टेबल जाविद अहमद बाल-बाल बच गए क्योंकि उन्होंने तुरंत पोजीशन ले ली थी और भागते हुए आतंकवादियों पर जवाबी कार्रवाई कर दी थी। श्री जुबैद अहमद खान के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने असाधारण सूझबूझ और साहस का परिचय दिया और अपनी जान की परवाह किए बिना पुलिस पार्टी के साथ आतंकवादियों का पीछा किया और इसका परिणाम यह हुआ कि वे दोनों आतंकवादी बचकर

भाग नहीं सके। आपसी गोलीबारी में दोनों आतंकवादी मारे गए और बाद में उनकी पहचान जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी गुट के दाऊद उर्फ राशिद उर्फ यासिर निवासी पाक और माव्या उर्फ वसीम उर्फ कलीम उर्फ नवीदुल्लाह निवासी पाक के रूप में की गई। मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए हथियार/गोलाबारूद में 1 एके 47 राइफल, 4 मैगजीनों सहित 1 एके 56 राइफल, 70 एके राउंड, 2 हथगोले और 2 पाउच शामिल हैं। इस संबंध में पुलिस स्टेशन सोपोर में आयुध अधिनियम की धारा 7/25, 212 आर पी सी के तहत इस मामले की एफ आई आर संख्या 238/2010 दर्ज है।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री जुबैर अहमद खान, पुलिस अधीक्षक, मोहम्मद मुर्तजा, सहायक उप निरीक्षक और जाविद अहमद एसजी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 31.05.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.51-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री ऐजाज अहमद भट्ट,
अपर पुलिस अधीक्षक

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 14.10.2008 को खोडी सुरीगाम, लोला में आतंकवादियों की उपस्थिति के संबंध में विशेष सूचना प्राप्त होने पर 28 आर आर के सैन्यदलों की सहायता से एस ओ जी कुपवाड़ा द्वारा एक संयुक्त अभियान की योजना बनाई गई। श्री ऐजाज अहमद भट्ट, अपर पुलिस अधीक्षक, कुपवाड़ा के पर्यवेक्षण में एक संयुक्त अभियान पार्टी (दल) ने लक्ष्य स्थल के आसपास घेराबंदी कर ली, जिसके दौरान आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की। श्री ऐजाज अहमद भट्ट, जिन्हें उग्रवाद-रोधी संबंधी अभियानों का अच्छा अनुभव था, इस अभियान के दौरान दृढ़ रहे। उन्होंने अपने कार्मिकों को इस प्रकार तैनात किया कि आतंकवादियों को घटनास्थल से बचकर भागने का कोई मौका नहीं मिला। एक ओर जहाँ उनके कार्मिकों ने उस आतंकवादी को उलझाए रखा, वहीं दूसरी ओर श्री एजाज अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उस आतंकवादी की ओर बढ़ते रहे और उसके बहुत करीब पहुँच गए। उक्त आतंकवादी ने यह भाँपकर

श्री ऐजाज पर गोली चला दी, तथापि अधिकारी ने अपना संतुलन बनाए रखा और उच्च स्तर की पेशवरता का प्रदर्शन करते हुए हमले का जवाब दिया जिसके परिणाम स्वरूप एक विदेशी आतंकवादी की मौत हुई जिसकी पहचान बाद में एल-ई-टी गुट के बिलाल अहमद निवासी पी ओ के के रूप में की गई। मारे गए आतंकवादियों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद किए गए। इस संबंध में पुलिस स्टेशन सोगान में आर पी सी की धारा 307 और आयुध अधिनियम की धारा 7/27 के तहत इस मामले की एफ आई आर संख्या 48/2008 दर्ज है।

श्री ऐजाज अहमद भट्ट, तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक, कुपवाड़ा ने बुद्धिमत्तापूर्वक अभियान की योजना बनाई और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आगे होकर नेतृत्व करते हुए अभियान को पूरा किया और ड्यूटी के प्रति सर्वोच्च समर्पण और निष्ठा के साथ निर्भीक एवं साहसिक कार्रवाई करते हुए विरल और दुर्लभ साहस का प्रदर्शन दिया।

इस मुठभेड़ में श्री ऐजाज अहमद भट्ट, अपर पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 14.10.2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.52-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

01. इम्तियाज अहमद,
    उप निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
02. गुलाम हसन,
    कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 09/10-06-2009 की मध्यरात्रि को जहूर अहमद गनी पुत्र मोहम्मद शबन गनी निवासी गंगरपोरा के मकान में आतंकवादियों की उपस्थित के बारे में विशेष सूचना प्राप्त होने पर उक्त गाँव को लगभग 2000 बजे सोपोर पुलिस द्वारा घेर लिया गया। गाँव पहुँचने के बाद उप निरीक्षक इम्तियाज अहमद की कमान के अधीन अभियान पार्टी ने लक्ष्य मकान को घेर लिया। पुलिस कार्मिकों की उपस्थित को भाँपकर, मकान में छिपे आतंकवादियों ने बचकर भागने के प्रयोजन से घेराबंदी को तोड़ने के कई प्रयास किए। तथापि, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और

आतंकवादियों के बचकर भाग निकलने के रास्तों की घेराबंदी और कड़ी कर दी। इसी बीच, अभियान से जोड़ने के लिए सेना और सी आर पी एफ को भी बुला लिया गया और आर्मी 22 आर आर, 177 बटालियन और 179 बटालियन सी आर पी एफ के सैन्यदलों की तैनाती करके घेराबंदी को और कड़ा कर दिया गया। सुबह शीघ्र ही तलाशी अभियान चलाया गया जिसके दौरान घिरे हुए आतंकवादियों ने तलाशी दल पर भारी गोलीबारी कर दी। लक्ष्य/ निकट के मकानों में फँसे सिविलियनों को सुरक्षित बचाने के लिए गुलाम हसन सहित उप निरीक्षक इम्तियाज अहमद के नेतृत्व वाली टीम ने सावधानी और सजगता बरतते हुए अपनी जान को भारी जोखिम में डालते हुए लक्ष्य मकान और असपास के मकानों से फँसे सिविलियनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जबकि सिविलियनों को बचाने की कार्रवाई करने की प्रक्रिया के दौरान आतंकवादी अंधाधुंध गोलियाँ चला रहे थे। तत्पश्चात् इम्तियाज अहमद, उप निरीक्षक एवं गुलाम हसन, कांस्टेबल ने उच्च स्तर की पेशेवरता का प्रदर्शन किया और लक्ष्य मकान के बहुत करीब पहुँच गए और दो आतंकवादियों को मारने में सफल हुए जिनकी पहचान बाद में, एच यू एम के शेर उर्फ कारी निवासी पाकिस्तान और मुमताज अहमद पारी पुत्र अली मोहम्मद पारी निवासी पेठ सीर सोपोर के रूप में की गई।

मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए हथियार/गोलाबारूद में 04 एके 47 मैगजीनों सहित 02 एके-47 राइफल, 23 एके राउंड और एक पॉकेट डायरी शामिल हैं। इस संबंध में पुलिस स्टेशन सोपोर में आर पी सी की धारा 307, आयुध अधिनियम की धारा 7/27 के तहत इस मामले की एफ आई आर संख्या 206/2009 दर्ज है।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री इम्तियाज अहमद, उप निरीक्षक और गुलाम हसन, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 10/06/2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.53-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री इफरोज अहमद मीर,
उप पुलिस अधीक्षक

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 06 अक्तूबर, 2009 को लगभग 1600 बजे श्री इफरोज अहमद मीर उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) हन्दवारा को सतकोजी झचलदारा गांव में शीर्ष आतंकवादी कमाण्डरों की मौजूदगी के संबंध में एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई। अधिकारी ने उक्त आसूचना पर तत्काल कार्रवाई की और एस ओ जी हन्दवारा के पुलिस कार्मिकों की एक छोटी टुकडी की सहायता से आपरेशन आरम्भ किया जिसकी मदद 01 अर्ध सैनिक यूनिट ने भी की। आपरेशन टीम शाम के समय उक्त गांव पहुँची और आतंकवादियों के चारों ओर घेरा डालने के लिए लक्ष्य स्थल की ओर बढ़ने लगी किन्तु क्षेत्र में अंधेरा और नागरिकों के मौजूद होने की वजह से कोई भी अगली कार्रवाई नहीं की गई। दिनांक 07 अक्तूबर, 2009 के तड़के सुबह वे अभियान दल कार्मिक लक्ष्य क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और सर्वप्रथम उप पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्मिकों के साथ मिलकर नागरिकों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य शुरू किया। हालांकि, इस कार्रवाई के चलते आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी किन्तु उप पुलिस अधीक्षक ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए साहस के साथ कार्य किया और नागरिकों के बचाव कार्य को निर्बाध रूप से जारी रखा। उप पुलिस अधीक्षक और उनके कार्मिकों द्वारा बचाव कार्य को पूरा कर लेने के पश्चात, उन्होंने आतंकवादियों के आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जिससे उन्होंने इन्कार कर दिया और उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक इफरोज अहमद, जो असुरक्षित स्थिति में थे, पर ग्रेनेड फेंके और फिर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। उच्च युद्ध-कला में निपुण होने की वजह से, श्री इफरोज अहमद भी आतंकवादियों के एकाएक हमले से स्वयं को बचाने में कामयाब हुए और घुटनों के बल चलते हुए उन पर जवाबी गोलीबारी करते रहे। आतंकवादी रिहाइशी मकानों की ओट लेकर आपरेशन पार्टी पर हमला कर रहे थे जिसकी वजह से आपरेशन पार्टी का कार्य अत्यधिक मुश्किल हो गया था क्योंकि उन्हें यह भी सुनिश्चित करना था कि नागरिकों की जान-माल की कोई क्षति न हो। यह अनुमान लगाकर कि आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में हथियार/गोलाबारूद हैं, जो पार्टी के लिए घातक साबित हो सकते हैं, उक्त अधिकारी ने अपने कुछ साथियों की सहायता से आतंकवादियों की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। उप पुलिस अधीक्षक इफरोज अहमद की घुटनों के बल बढ़ने की गतिविधि का अनुमान लगाकर, आतंकवादियों ने उन पर और उनकी पार्टी पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया किन्तु महान युद्ध कला में निपुण होने की वजह से अधिकारी और उनके कर्मियों द्वारा पेशेवरतापूर्ण तरीके से जवाबी गोलीबारी की गई थी। यह मुठभेड़ घण्टों चलती रही क्योंकि आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में गोला-बारूद था। तथापि, अन्ततः उप पुलिस अधीक्षक अपने आपरेशन कार्मिकों के छोटे घटक को उस स्थान पर ले जाने में सफल हुए जहां से आतंकवादियों का आसानी से सफाया किया जा सकता था। अपेक्षित दूरी को कवर करते हुए उन्होंने वहां अपनी पोजीशन ली और आतंकवादियों पर बड़े पैमाने पर हमला बोल दिया और दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। बाद में जिनकी पहचान हुजैफ उर्फ अबू हातिफ निवासी

पाक अधिकृत कश्मीर और रहमान भाई निवासी पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में हुई। ये दोनों एल ई टी संगठन के 'ए' श्रेणी के आंतकवादी थे।

मारे गए दोनों आतंकवादी कुपवाड़ा जिले के राजवार और रामहल क्षेत्र में लम्बे समय से सक्रिय थे और उक्त क्षेत्र के लोगों और मुख्यधारा में जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं में आतंक का शाया फैला रखा था। ये आतंकवादी क्षेत्र की विभिन्न विध्वंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त थे और वी आई पी सुरक्षा बलों और पुलिस के लिए बड़ा खतरा बने हुए थे। उनके मार गिराए जाने के बारे में क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा अत्यधिक अनुशंसा की गई थी और इसके बाद उन्होंने सामान्य तौर पर इस आपरेशन में स्थानीय पुलिस की और विशेष रूप से श्री इफरोज अहमद मीर की भरपूर तारीफ की।

इस मुठभेड़ में श्री इफरोज अहमद मीर, उप पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 07/10/2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.54-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. गुलाम हसन मलिक,
    एस जी कांस्टेबल
02. युसुफ-उल-उमेर,
    कांस्टेबल
03. मोहम्मद शफी,
    कांस्टेबल

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 20-07-2010 को हाईगाम गांव, पुलिस स्टेशन सोपोर में आतंकवादियों के मौजूद होने से संबंधित एक विशिष्ट सूचना मिलने पर 52 आर आर और सोपोर पुलिस द्वारा घेराव करने और तलाशी अभियान की योजना बनाकर कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस कार्रवाई दल का नेतृत्व श्री आशिक हुसैन टाक, उप पुलिस अधीक्षक, (कार्रवाई), सोपोर द्वारा और सैन्य घटक की कमान मेजर राकेश रावत, पुतखान कम्पनी कमाण्डर द्वारा संभाली गई। कार्रवाई के दौरान, क्षेत्र

को घेर लिया गया और वहां आतंकवादियों के मौजूद होने की पुष्टि हो गई। इस घेरे को 52 आर आर एवं पुलिस की संयुक्त टुकडी की तैनाती करके सुदृढ़ किया गया था और घेरे से आतंकवादियों के बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा गया था।

घेरा डालने/तलाशी कार्रवाई करते समय, तलाशी दल अचानक एक मकान से हुई भीषण गोलीबारी की चपेट में आ गया जो घेरे की निगरानी में था और तलाशी दल उस लक्षित मकान और आस-पास के मकानों से नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अत्यन्त दुष्कर कार्य कर रहा था। उप पुलिस अधीक्षक, (कार्रवाई) सोपोर श्री आशिक हुसैन टाक ने पुलिस की एक छोटी टुकड़ी जिसके साथ एस जी कांस्टेबल गुलाम हसन 151/ सोपोर, कांस्टेबल मोहम्मद शफी और कांस्टेबल युसुफ उल-उमेर स्वेच्छा से शामिल हो गए थे और जिन्हें सुबेदार रमेश चन्द द्वारा सुरक्षा कवर दिया गया, का नेतृत्व किया। जम्मू एवं कश्मीर पुलिस की बचाव टीम ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए लक्षित मकान और उसके आस-पास के मकानों में फंसे नागरिकों को बचाकर बाहर निकाल लिया। समग्र बचाव कार्रवाई के दौरान, खूंखार आतंकवादी बचाव दल पर अंधाधुंध गोलीबारी करते रहे, तथापि, अत्यधिक सावधानी एवं ध्यानपूर्वक तथा उच्च पेशेवरता का प्रदर्शन करके सभी नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बचाव कार्रवाई पूर्ण होने के तुरंत बाद, संयुक्त कार्रवाई दलों ने घिरे हुए आतंकवादियों के विरूद्ध आक्रामक संघर्ष छेड़ दिया जिसके परिणामस्वरूप एक दीर्घकालीन गोलीबारी की जंग छिड़ गयी। चूंकि आतंकवादियों के पास हथियारों/गोलाबारूद का भारी जखीरा था जिससे वे कार्रवाई दल पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। स्थिति को भांपते हुए, उप पुलिस अधीक्षक आशिक हुसैन, एस.जी. कांस्टेबल गुलाम हसन, कांस्टेबल मोहम्मद शफी और कांस्टेबल यूसुफ-उल-उमेर, गनर निशार अहमद भट और लांसनायक संजय कुमार ने आंतकवादियों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जिससे सेना के जवान लांसनायक संजय कुमार गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गए और घायल होने की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। तथापि, उप पुलिस अधीक्षक आशिक हुसैन, एस जी. गुलाम हसन, कांस्टेबल मोहम्मद शफी और कांस्टेबल युसुफ उल-उमेर ने अपने उच्च मनोबल को कायम रखा और अपनी अचूक जवाबी गोलीबारी से खूंखार आतंकवादियों का सामना किया और अन्ततः एच यू एम संगठन के उन दो खूंखार आतंकवादियों का सफाया करने में अपनी पेशवरता को साबित किया जिनकी पहचान नूमन निवासी पाकिस्तान, उत्तरी कश्मीर रेंज के एच एम यू के चीफ कमाण्डर/वित्त प्रमुख और आरिफ मीर निवासी आदिपोरा, सोपोर के रूप में हुई।

समग्र कार्रवाई के दौरान, सोपोर पुलिस के उप पुलिस अधीक्षक आशिक हुसैन, एस.जी. गुलाम हसन, कास्टेबल मोहम्मद शफी और कांस्टेबल युसुफ उल उमेर ने बहादुरी की अदम्य भूमिका का प्रदर्शन किया और निर्दोष नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य सुनिश्चित किया। इन अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित निःस्वार्थ कर्तव्य निष्ठा और अतुल्य साहस की वजह से दो खूंखार आतंकवादियों का सफाया हुआ और कार्रवाई की सफलतापूर्ण परकांष्ठा को हासिल किया जा सका। वहां से निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद बरामद किए गए:

1. ए.के.-47 राइफल-02
2. ए.के.-47 मैगजीन 03
3. ए.के. गोलाबारूद -18 राउण्ड
4. यूबीजीएल थ्रोवर -01
5. जी.पी.एस-01

इस मुठभेड़ में सर्वश्री गुलाम हसन मलिक, एस.जी. कांस्टेबल, युसुफ उल उमेर, कांस्टेबल और मोहम्मद शफी, कांस्टेबल ने उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 20/07/2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.55-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. मुशीम अहमद,
उप पुलिस अधीक्षक
02. शमीम अहमद,
उप निरीक्षक

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

श्री मुशीम अहमद, उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) गूल ने बडी ही बुद्धिमता और पेशेवर तरीके से एक विश्वसनीय सूत्र तैयार करने के पश्चात गूल/अरनास क्षेत्र में एक अति वांछित पाकिस्तानी आतंकवादी की गतिविधि के बारे में जानकारी एकत्र की। इसके बाद जानकारी के और पुष्ट हो जाने के पश्चात दिनांक 19 फरवरी, 2010 को एस एच ओ पुलिस स्टेशन गूल और उप निरीक्षक शमीम अहमद सहित विशेष कार्रवाई समूह (एसओजी) का गठन करके एक सुनियोजित घेरा डालने और तलाशी अभियान की कार्रवाई शुरू की गई। देर शाम संदिग्ध क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने कार्मिकशक्ति को दो समूहों में विभाजित किया। एक समूह को उन्होंने अपने साथ लिया और दूसरे समूह को उप निरीक्षक शमीम अहमद के अधीन रखा ताकि आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर बचकर न भागने पाएं। अन्ततः, 2130 बजे एक पहचान रहित/संदिग्ध व्यक्ति की आवाजाही का अहसास हुआ तो उसे रूकने के लिए सावधान करते हुए अपनी पहचान प्रकट करने के लिए कहा गया। पहचान बताने के बजाय उसने पुलिस दल पर गोलियों की भारी बौछार कर दी जिसके परिणामस्वरूप एस पी ओ कार्मिक नामतः मोहम्मद अशरफ, एस पी ओ और मोहम्मद मुख्तियार, एस पी ओ गम्भीर रूप से घायल हो गए।

इसी बीच, आतंकवादी, नाले में पड़े शिलाखण्ड के पीछे ओट लेकर छुप गया। श्री मुशीम अहमद उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) गूल ने अन्य दो अधिकारियों को उन घायल दोनों एस पी ओ को वहां से सुरक्षित जगह पर ले जाने का अनुदेश दिया और वहां स्वयं उप निरीक्षक शमीम अहमद के साथ युक्तिपूर्वक घुटने के बल चलते हुए छुपे हुए आतंकवादी तक पहुंच गए। दोनों अधिकारियों ने युक्तिपूर्ण बुद्धिमत्ता तथा अतुल्य साहस का प्रदर्शन करते हुए छिपे हुए आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान बाद में मोहम्मद इकबाल अलीम उर्फ अबू बेकर, आयु 30 वर्ष, निवासी 38 एफ बी एरिया, 147, ब्लॉक-14, दस्तगीर, करांची, पाकिस्तान, रामबान के हिजबुल मुजाहिदीन के संभागीय कमाण्डर के रूप में हुई थी। मारे गए आतंकवाद के कब्जे से 1 ए.के.-राइफल, 4 मैगजीनें, 90 राउण्ड्स, 1 हथगोला, 1 रेडियो सेट, 2 मोबाइल सेट, 1 बायनोकुलर तथा 23,786/- रूपए की भारतीय मुद्रा बरामद की गई। उक्त आतंकवादी का सफाया होने से क्षेत्र के स्थानीय लोगों को बहुत राहत मिली है और इससे क्षेत्र में संचालित आतंकवादी संगठन को करारा झटका लगा।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री मुशीम अहमद, उप पुलिस अधीक्षक और शमीम अहमद, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19/02/2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 56-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

01. शकील अहमद बेग,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

02. मोहम्मद यूसिफ,
उप पुलिस अधीक्षक

03. अब्दुल जब्बार,
हेड कांस्टेबल

04. अहसान-उल-हक,
कांस्टेबल

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 16/17.02.2010 की मध्य रात्रि के दौरान नजीर अहमद पैरी पुत्र गुलाम रसूल पर्रा निवासी काचवा के मकान में आतंकवादियों के मौजूद होने के संबंध में एक विशेष सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना को सेना 52 आर आर के साथ आदान-प्रदान किया गया और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कार्रवाई की योजना बनायी गई। रात्रि के दौरान लगभग 01.00 बजे कार्रवाई शुरू की गई। श्री मोहम्मद यूसिफ उप पुलिस अधीक्षक बारामुला के नेतृत्व में एस ओ

जी बारामुला तथा सेना 52 आर आर द्वारा घेराबन्दी कर ली गई थी। जब उस मकान की घेराबन्दी की जा रही थी, तब लक्षित मकान में आतंकवादी के मौजूद होने की पुष्टि हो गई थी। घेर लिए गए आतंकवादियों की ओर से कार्रवाई दल पर गोलियों की भारी बौछार शुरू कर दी गई। लक्षित/निकटवर्ती मकानों में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालना एक दुष्कर कार्य था और इस प्रकार बचाव कार्य के लिए दो दलों का गठन किया गया। पहला बचाव दल श्री शकील अहमद बेग, एस एस पी, बारामुल्ला की कमान और नेतृत्व में था जिसमें हेड कांस्टेबल अब्दुल जब्बार शामिल थे और दूसरा दल मोहम्मद यूसिफ, उप पुलिस अधीक्षक (कार्रवाई) बारामुला की कमान में था जिसके साथ कांस्टेबल अहशान उल-हक थे। पहले दल ने सुरक्षा के लिए कवरिंग फायर दिया और छुपे हुए आतंकवादी को गालीबारी की जंग में उलझा लिया जबकि दूसरा दल लक्षित/निकटवर्ती मकानों में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने का कार्य करता रहा। इस कार्रवाई का पर्यवेक्षण डी आई जी (एन के आर), बारामुला द्वारा किया गया और समग्र बचाव कार्रवाई के दौरान, खूंखार आतंकवादी कार्रवाई दल पर अंधाधुंध गोलीबारी करता रहा। तथापि, अत्यन्त सावधानी और ध्यानपूर्वक सभी नागरिकों को सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाल लिया गया। सेना ने घेरे को सुदृढ़ कर रखा था। अत्यधिक सहयोग के साथ दोनों दल (पहला श्री शकील अहमद बेग के नेतृत्व में और दूसरा मोहम्मद यूसिफ के नेतृत्व में) लक्षित मकान के अत्यन्त निकट पहुंच गए जहां पर आतंकवादी को घेर लिया गया था और अन्ततः, श्री शकील अहमद बेग, एस एस पी बारामुला के नेतृत्व में पुलिस की संयुक्त हमला पार्टी ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उत्कृष्ट पेशेवरता का प्रदर्शन करके आतंकवादियों को खदेड़ना शुरू कर दिया और उन्हें मकान की रसोई में परिरूद्ध कर दिया। हमला पार्टी पर वे आतंकवादी अंधाधुंध गोलिया दाग रहे थे और हथगोले फेंक रहे थे। इसके पश्चात, हमला पार्टी घुटनों के बल आगे बढ़ी और हवादान के पास पहुंच गई और वहां से जवाबी गोलीबारी की और इस बार की गोलीबारी की जंग में जैश-ए-मोहम्मद के दो खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान बाद में सल्लाह-उद्दीनवानी पुत्र गुलाम मोहीउद्दीनवानी, निवासी कुशालपोर, चिन्नेड बारामुला और लतीफ अहमद बानी, पुत्र गुलाम मोहीउद्दीनबानी, निवासी मिरानगुण्ड, नाऊपोरा क्रीरी के रूप में हुई। मारे गए ये आतंकवादी बहुत ही खूंखार और प्रबल लड़ाका थे। वे इस क्षेत्र में लम्बे समय से सक्रिय थे। इन दोनों आतंकवादियों का सफाया होने से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा संगठनों को करारा-झटका लगा है। इसके साथ ही बारामूला के सार्वजनिक क्षेत्र के आतंकवादियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदिगां की गईं:-

1.	ए.के. 47 राइफल	-02
2.	ए.के. मैगजीन	-02
3.	ए.के. गोला बारूद	-3 जिन्दा कारतूस
4.	सैटलाइट फोन (थ्रोया)	-01(अंशत: क्षतिग्रस्त)
5.	हथगोला (चीन निर्मित)	-01

6. वायरलेस रूट (आईकॉम) -01
7. वायरलेस एन्टीना -01
8. सिम रहित मोबाइल फोन -01 (क्षतिग्रस्त)

इस मुठभेड़ में सर्वश्री शकील अहमद बेग, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मोहम्मद यूसिफ, उप पुलिस अधीक्षक, अब्दुल जब्बार, हेड कांस्टेबल और अहसान-उल-हक, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 17.02.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 57-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, झारखण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. राजीव रंजन सिंह,
उप पुलिस अधीक्षक
02. अरविन्द कुमार सिंह,
कांस्टेबल

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 30/07/2009 को चार होटलों के मालिक लव भाटिया नामक राची के अति महत्वपूर्ण व्यापारी को बिहार और उत्तर प्रदेश के अपहरणकर्ता गैंग द्वारा फिरौती के लिए रात 10.00 बजे अपहरण कर लिया गया था। उसके माता-पिता द्वारा तत्काल लोवर बाजार पुलिस स्टेशन में मामला संख्या 168/09 धारा 364(क) के तहत एफ आई आर दर्ज करायी गई थी और अपहरणकर्ताओं की तलाश और लव भाटिया की सुरक्षित रिहाई हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रांची प्रवीन कुमार के कुशल नेतृत्व में रात में ही कार्रवाई शुरू की गई थी। तत्काल ही (i) उप पुलिस अधीक्षक, हटिया राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व एक छापामार टीम का गठन किया गया जिसमें (ii) निरीक्षक सह-प्रभारी अधिकारी, डोराण्डा, हरिश्चन्द्र सिंह (iii) कांस्टेबल मन्तुश महतो (iv) कांस्टेबल अरविन्द कुमार सिंह (v) कांस्टेबल सुधीर कुमार (vi) कांस्टेबल मोहन्ती मुन्दरी और (vii) कांस्टेबल रोपना ओरांव शामिल थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रवीन कुमार सिंह ने तकनीकी निगरानी और पुलिस अधीक्षक, हजाराबाग की मदद से बाहरी, जिला हजारीबाग में तीन अपराधियों को पकड़ा और इसके बाद, इन अपराधियों से पूछताछ करने के पश्चात प्राप्त जानकारी के आधार पर लव भाटिया की सुरक्षित रिहाई कराने के लिए अपराधियों को पकड़ने के लिए उप पुलिस अधीक्षक हटिया को अपराधियों बारे में जानकारी दी गई। उप पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह ने अपनी छापामार पार्टी के साथ आवासीय फ्लैटों के उस संदिग्ध ब्लॉक को चारों तरफ से घेर लिया जहां पर अपहरणकर्ता छुपे हुए थे। एक-एक करके हर एक फ्लैट को खोला जा रहा था और उसकी तलाशी चल रही थी। तलाशी कार्रवाई के दौरान जब एक फ्लैट के बन्द दरवाजे को तोड़ा गया तो वहां से छापामार पार्टी पर गोलियां चलनी शुरू हो गईं। उप पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में सम्पूर्ण टीम ने असाधारण साहस और कौशल का प्रदर्शन किया और अपनी जान को खतरे में डालते हुए अपहरणकर्ताओं, जो अर्ध स्वचालित हथियारों से लैश थे, से भिड़ गए। अपने अंगरक्षक को गोली लग जाने के बावजूद उप पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह ने अपना साहस नहीं खोया और अन्ततः अपहृत व्यापारी को सुरक्षित छुड़ाने में कामयाब हो गए। दोनों ओर से चली इस गोलीबारी में तीन अपहरणकर्ताओं को मार गिराया गया और उनसे भारी मात्रा में अर्ध-स्वचालित हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इसमें पांच अर्ध स्वचालित पिस्टल, एक .315 बोर राइफल और डी बी बी एल बन्दूक के साथ-साथ भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया। इन पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए इस बहादुरीपूर्ण कार्य से रांची जिला में ही नहीं अपितु पूरे झारखण्ड राज्य में पुलिस की गरिमा/प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई थी।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री राजीव रंजन सिंह, उप पुलिस अधीक्षक और अरविन्द कुमार सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 30/07/2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 58-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. टी. आर पुत्तास्वामी गौडा,
सर्किल इन्सेपक्टर

02. राजेश के.,
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

श्री राजेश के. एपीसी 169 जिला सशस्त्र रिजर्व कांस्टेबल हैं और वह उच्च प्राधिकारियों के निदेश पर अजेकर पी एस एल में नक्सली समूहों के संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए अक्तूबर, 2005 से ए एन एफ करकला में कार्यरत हैं। दिनांक 28 फरवरी, 2010 को शायं 4.00 बजे श्री राजेश के. को विश्वस्त मुखबिर/स्रोत से नक्सली समूह के कुछ सदस्यों के मैरोली, अजेकर, पी एस एल में आने की सूचना प्राप्त हुई है।

इस सूचना पर उडुपी पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीन मधुकर पवार ने पुलिस को करकला के उप पुलिस अधीक्षक श्री सन्तोष कुमार के पर्यवेक्षण में मेरोली पहुंचने और उनका मुकाबला करने तथा नक्सल रोधी अभियान तैयार करने का निदेश दिया। कार्य योजना के अनुसार 16 सदस्यीय एक दल दिनांक 01.03.2010 को तड़के सुबह 4.00 बजे कार्रवाई हेतु करकला ए एन एफ से एक वाहन में रवाना हुआ।

यह दल लगभग 5.00 बजे सुबह पक्की बैलू पहुंचा और वहां से पैथला, नारजी, कोन्डाडी, मोरन्टेबेल होते हुए मैरोली की ओर प्रस्थान किया। वे करीब 2.00 बजे दोपहर मैरोली पहुंचे। यहां उन्होंने दो समूहों में विभाजित होने का निर्णय लिया। पहले दल का नेतृत्व श्री पुत्तास्वामी गौडा ने किया और दूसरे दल का नेतृत्व श्री प्रसन्न कुमार ने किया।

फिर ये दल पेड़ों और चट्टानों के पीछे घात लगाकर बैठ गए। करीब 4.30 बजे शायं उन्हें लगा कि एक महिला और दो व्यक्ति उनकी ओर पैदल आ रहे हैं। ये सभी तीनों एक-दूसरे से 10-10 फीट के फासले पर थे। ये सभी तीनों बन्दूकें लिए हुए थे और नीली वर्दी पहने हुए थे। टीम ने देखा कि वह महिला कोई चीज तलाश कर रही थी किन्तु उसे कुछ नहीं मिला। फिर वह वापस चली गई। यह सारी घटना मिनटों में हुई। पुलिस ने उनकी वर्दी और बन्दूकों के आधार पर यह पुष्टि कर ली कि वे प्रतिबंधित नक्सल समूह के थे। श्री टी आर पुत्तास्वामी गौडा, सीपीआई ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। पुलिस दल की आवाज सुनकर नक्सलियों ने घात लगाने की जगहें लेकर उस दिशा की ओर फायरिंग करना शुरू कर दिया।नक्सलियों ने माओ समर्थक नारे लगाए। सर्किल पुलिस इन्सपेक्टर ने एक बार दुबारा उन्हें फायरिंग बन्द करने और आत्मसमर्पण करने के लिए जोर से कहा। किन्तु उन्होंने अपनी गोलीबारी जारी रखी। उनकी ओर से हो रही गोलीबारी की वजह से एक कांस्टेबल श्री राजेश के. के दाहिने हाथ में गोली लग गई। एक कांस्टेबल को गाली लग जाने पर सी पी आई श्री टी.आर. पुत्तास्वामी गौडा ने अपने दल को आत्मरक्षा में नक्सलियों पर जवाबी गोलीबारी करने का आदेश दिया। इस आदेश पर घायल कांस्टेबल राजेश के. ने अपनी ए.के. 47 राइफल से एक राउण्ड फायर किए और श्री टी आर. पुत्तास्वामी गौड़ा ने अपनी ए.के. 47 राइफल से नौ राउण्ड फायर किए। निरीक्षक पसन्ना कुमार ने अपनी ए.के. 47 राइफल से नौ राउण्ड फायर किए और पी एस आई पी.जी. सन्देश ने आठ राउण्ड फायर किए। कुल मिलाकर पुलिस बल द्वारा 27 राउन्ड फायर किए गए। इस

मुठभेड़ में एक नक्सली ढ़ेर हो गया और अन्य दो बच निकलकर भाग गए। दोनों बचकर भाग जाने वाले नक्सली तब तक फायर करते रहे जब तक कि जंगल में लापता नहीं हो गए। मृत नक्सली की पहचान वसन्ता उर्फ आनन्द निवासी कुथलुर ग्राम, ताल्लुक बेलथान गड़ी, डी.के. के रूप में हुई। वर्ष 2003 में हुए इदू मुठभेड़ सहित वह इस क्षेत्र में 22 से भी अधिक मामलों में संलिप्त अत्यधिक वांछित नक्सलियों में से एक था। उसके पास से एक एस एल आर बन्दूक बरामद की गई। बरामद की गई एस एल आर से पता चला कि यह हथियार दिनांक 07-10-2004 को श्रृंगेरी में एक पुलिस कार्मिक से छीन लिया गया था।

उपचार हेतु पहुंचाया गया और बाद में उसे अगले उपचार के लिए 23 दिन के लिए के एम सी मणियाल में भर्ती किया गया था। सर्किल पुलिस निरीक्षक (सीपीआई) टी आर. पुत्तास्वामी गौड़ा द्वारा अजेकर पुलिस स्टेशन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/333, 120 (ख), 121 (क) के साथ पठित भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 3 और 25 तथा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 10 और 13 के तहत अपराध संख्या 15/10 एक शिकायत दर्ज की गई। सीपी आई ने बचकर भाग गए दोनों नक्सलियों की पहचान सुन्दरी उर्फ गीता और सुरेश उर्फ महेश उर्फ प्रदीप उर्फ तुंगप्पा उर्फ महादेव के रूप में हुई।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री टी. आर. पुत्तास्वामी गौड़ा, सर्किल इन्स्पेक्टर और राजेश के. सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 01/03/2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 59-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री सिद्धार्थ चौधरी
अपर पुलिस अधीक्षक

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड ने डकैत गैंगों तथा फरार अपराधियों की विधिविरूद्ध गतिविधियों तथा गलत आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए श्री सिद्धार्थ चौथरी अपर पुलिस

अधीक्षक, भिण्ड के नेतृत्व में विश्वास पात्र, निष्ठावान, समर्पित तथा मेहनती पुलिस अधिकारियों की एक टीम गठित की। उनके अथक प्रयासों और समर्पण का फल तब सामने आया जब एक मुखबिर ने दिनांक 10-11-2009 को करीब 10.30 बजे श्री चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक को पुलिस स्टेशन, फूप के एक परित्यक्त गांव सापड के पास चम्बल नदी की घाटी में 4-5 बदमाशों के मौजूद होने की सूचना दी जिनका इरादा कोई जघन्य अपराध करने का था। यह सूचना निरीक्षक उमेश सिंह तोमर, एस एच ओ, पुलिस स्टेशन फूप को सम्प्रेषित की गई। श्री चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल पुलिस फोर्स एकत्रित की और इन्सपेक्टर, ए.के. दीक्षित, एस एच ओ, पुलिस स्टेशन देहात को फोर्स के साथ बुलाया और फिर पुलिस स्टेशन फूप पहुंच गए। समग्र फोर्स पुलिस स्टेशन फूप से रवाना हुई और परित्यक्त गांव सापड़ पहुंच गई जो पुलिस स्टेशन फूप से उत्तर की ओर 9 किमी. की दूरी पर था। यहां पर वाहन को छोड़ दिया गया और फोर्स को दो दलों में विभाजित किया गया। पार्टी संख्या 01 का नेतृत्व सिद्धार्थ चौधरी ने ग्राम सापड के उत्तरी दिशा में तलाशी करने के लिए किया और पार्टी नं. 2 को निरीक्षक ए.के. दीक्षित के अधीन कट-आफ पार्टी के रूप में पूर्व की ओर तैनात किया गया। ज्यों ही पार्टी न01 पुराने कुएं की बगल से होकर चम्बल नदी की घाटियों में आगे बढ़ी तो करीब 1500 बजे उसे घाटी के एक तंग रास्ते में 4-5 अज्ञात सशस्त्र बदमाश दिखाई दिए। श्री चौधरी और उनकी पार्टी ने पोजीशन ली और बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा किन्तु उन्होंने चेतावनी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपर पुलिस अधीक्षक श्री चौधरी तथा निरीक्षक उमेश सिंह तोमर के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जिन्होंने लेटकर पोजीशन ली और स्वयं को बाल-बाल बचा लिया। इस विषम स्थिति में, श्री चौधरी ने साहस से काम लिया और फोर्स को आत्मरक्षा में गोलियां चलाने का निदेश दिया। अपनी जांन को जोखिम में डालते हुए श्री चौधरी दाहिनी ओर से निरीक्षक उमेश सिंह तोमर बायीं ओर से आगे बढ़े और हमला कर रहे बदमाशों पर अपनी 9 एम एम पिस्टल से अचूक गोलीबारी की जिसके फलस्वरूप चीख के साथ एक बदमाश झांड़ियों में गिर गया। दूसरे बदमाश को वहां पहुंचते हुए तथा पार्टी नं0 1 पर गोलिया बरसाते हुए देखा गया, जिसको अपर पुलिस अधीक्षक और निरीक्षक तोमर द्वारा निशाना बनाया गया और उन्होंने अन्ततः बदमाश को मारकर उसे भी धूल चटा दिया। पार्टी नं0 2 ने कवरिंग फायर दिया जिससे अन्य बदमाशों का धैर्य जवाब दे गया और वे घाटियों और झाड़ियों का लाभ लेकर भाग गए।

जब बन्दूकों की दनदनाहट शान्त हुई तो इस भीषण मुठभेड़ स्थल का निरीक्षण किया गया जहां दो बदमाशों के शव, एक एस बी बी एल बन्दूक, एक 9 एम एम पिस्टल तथा एक देशी रिवाल्वर के साथ पाए गए। घटनास्थल से जिन्दा और खाली राउण्ड्स, मोबाइल, 2,40,000 रूपए नकद तथा दैनिक उपयोग के अन्य सामान भी बरामद किए गए।

मारे गए बदमाशों की पहचान निम्नलिखित के रूप में हुई:-

1. डकैत रामबीर सिंह पुत्र मातादीन सिंह सिकारवार उम्र 36 वर्ष, निवासी बाम्हौरा, पुलिस स्टेशन इन्डोरी, जिला भिण्ड जिस पर 25000 रूपए का इनाम था।

2. डकैत संजू, पुत्र सुन्दर सिंह तोमर, उम्र 25 वर्ष निवासी कांच मिल ग्वालियर, जिस पर 7000 रूपए का ईनाम था।

ये डकैत सूचीबद्ध गैंग टी-27 चरणा उर्फ चरन सिंह के सक्रिय सदस्य थे,। इन्होंने मध्य प्रदेश के जिला शिवपुर, भिण्ड, मौरैना, ग्वालियर तथा उत्तर प्रदेश के आगरा तथा राजस्थान क्षेत्र के धोलपुर जिलों में हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण लूट इत्यादि जैसे सिलसिलेवार जघन्य अपराध किए थे।

इस मुठभेड़ में श्री सिद्धार्थ चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 10.11.2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 60-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. अनिल शर्मा,
पुलिस अधीक्षक

02. शेर सिंह,
उप निरीक्षक

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 20.09.2010 को लगभग 2200 बजे, पुलिस अधीक्षक श्री अनिल शर्मा, को ग्राम खेरी देवता के पास कुख्यात डकैत गैंग माधो मिश्रा के मौजूद होने के बारे में एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई। जानकारी से यह पता चला कि यह डकैत गैंग दिनांक 20 और 21 सितम्बर, 2010 को मध्य रात्रि में फतेहपुर की तरफ से सनसनीखेज अपहरण को अंजाम देने की दृष्टि से वहां आ रहा है। श्री अनिल शर्मा, पुलिस अधीक्षक दतिया तत्काल उपलब्ध फोर्स के साथ थारेट पुलिस स्टेशन गए और एस एच ओ, थारेट श्री शेर सिंह के साथ मशविरा करके योजना तैयार की और थारेट पुलिस स्टेशन से भी फोर्स एकत्र की। योजना के अनुसार पुलिस फोर्स को दो पार्टियों में विभक्त किया गया।

पहली पार्टी का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक श्री अनिल शर्मा ने किया और दूसरी पार्टी का नेतृत्व श्री शेरसिंह एस एच ओ, थारेट ने बहुत कम उपलब्ध फोर्स के साथ किया और फिर उन्हें घात लगाकर हमला के बारे में विस्तार से बताया गया और पुलिस पार्टियों को ड्रैगन लाइट के साथ हथियार और गोला बारूद दिए गए थे।

इस विश्वस्त सूचना के अनुसार कि डकैत गैंग माधो मिश्रा अपने पांच अन्य डकैतों के साथ 20 और 21 सितम्बर की मध्य रात्रि में एक सनसनीखेज अपहरण को अन्जाम देने के लिए "डिगुंआ" की ओर से "फतेहपुर खेरी देवता का सड़क की ओर आने की सम्भावना है। दोनों पार्टियों ने डकैतों के आने के अति संभावित मार्गों पर घात लगा लिया। यह घात लगाकर हमला करने की कार्रवाई 'यू' आकार में इस निर्देश के साथ की जानी थी कि डकैतों के मौजूद होने का अहसास होने पर उन्हें केवल अनिल शर्मा ही ललकारेंगे।

दिनांक 21.09.2010 को लगभग 0100 बजे वह डकैत गैंग पुलिस अधीक्षक श्री अनिल शर्मा के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी के सामने आ गया और उन्होंने डकैतों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। पुलिस पार्टी की मौजूदगी का अहसास होने पर डकैतों ने पुलिस पार्टी पर लगातार गोलीबारी शुरू कर दी। श्री अनिल शर्मा, पुलिस अधीक्षक दतिया ने भी पुलिस पार्टी के साथ आत्मरक्षा में डकैतों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी और अपनी जान की परवाह न करते हुए डकैतों के गैंग की ओर बढ़ते रहे। डकैतों ने दुर्जेय पोजीशन ले ली थी और वे पुलिस पार्टी पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे।

इसी बीच में पुलिस अधीक्षक श्री अनिल शर्मा के बायें हाथ के बाजू में गोली लग गई। एच एच ओ शेर सिंह और कांस्टेबल शैलेन्द्र सिंह को भी गोलियां लगीं। पुलिस अधीक्षक अनिल शर्मा ने अपने आहत होने की परवाह न करते हुए एच एच ओ शेर सिंह और कांस्टेबल शैलेन्द्र सिंह के घायल होने की ज्यादा परवाह की और वह घुटनों के बल आगे बढ़ते रहे ताकि वह डकैतों के नजदीक पहुंच सकें। इन परिस्थितियों में, विषयम हो चुकी स्थिति का सामना करने के लिए एक जबरदस्त मनोबल वाले व्यक्तित्व, दृढ़संकल्प, उत्साहवर्धक नेतृत्व, महान वीरता और साहस वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी। ऐसे क्षण में उन्होंने अपना व्यक्तिगत उदाहरण ही उपयुक्त समझा और चुनौती का सामना किया, डर जाने से इंकार कर किया किया तथा स्थिति को काबू में किया। उन्होंने उत्साह और जोश के साथ स्थिति का सामना किया।

डकैत गैंग माधो मिश्रा के उत्कृष्ट हथियारों से आ रही गोलियों की बौछार तथा डकैतों के हथियारों से उनकी बायीं बाजू में लगी गोली भी पुलिस अधीक्षक, अनिल शर्मा को उनके लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने से नहीं रोक सकी।

श्री अनिल शर्मा, पुलिस अधीक्षक ने अपने जीवन को खतरे में डालते हुए गोलियों की बौछार के बीच अपने जीवन को आसन्न खतरा का सामना करते हुए हवा में छलांग लगाते हुए

डकैत सरगना माधो मिश्रा और उसके अन्य साथियों पर हमला किया और बिल्कुल नजदीक से गैंग के सरगना माधो मिश्रा को मार गिराया। श्री अनिल शर्मा, पुलिस अधीक्षक, दतिया ने गैंग सरगना को मार गिराया और पुलिस पार्टी ने अन्य महत्वपूर्ण गैंग मुखिया राजेन्द्र खंगार को मार दिया। गैंग के अन्य सदस्य अंधेरा और छोटी-पहाडियों का फायदा उठाकर बचकर भाग गए।

इस गौरवपूर्ण एवं यादगार मुठभेड़ में निम्नलिखित गैंग मुखिया और गैंग के महत्वपूर्ण सदस्य को मारा गया:

1. माधो मिश्रा पुत्र बृदावन मिश्रा निवासी ग्राम सालोन बी, पुलिस स्टेशन पंडोखर जिला दतिया (म0प्र0) जिस पर 15,000/-रूपए का ईनाम था।

2. राजेन्द्र खंगार पुत्र हरि राम खंगार निवासी ग्राम सालोन बी पुलिस स्टेशन पाण्डे, जिला दतिया मध्यप्रदेश जिस पर 15000/- रूपए का ईनाम था।

डकैत गैंग सरगना माधो मिश्रा के पास से उत्कृष्ट दुनाली.12 बोर कारखाना निर्मित बन्दूक, जिन्दा कारतूस और खाली खोखे बरामद हुए और डकैत राजेन्द्र खंगार के पास से एक .12 बोर बैरल गन, जिन्दा कारतूस और खाली खोखे बरामद हुए तथा मुठभेड़ स्थल से एक .12 बोर एकनाली बन्दूक बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री अनिल शर्मा, पुलिस अधीक्षक और शेर सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 21/09/2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 61-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. मनोहर सिंह वर्मा,
अपर पुलिस अधीक्षक

02. प्रणय नागवंशी,
उप पुलिस अधीक्षक

03. राजेन्द्र पाठक,
निरीक्षक

04. सुदेश कुमार तिवारी,
सहायक उप निरीक्षक

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

ग्वालियर जिला के साथ-साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चम्बल संभागों में और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के समीपस्थ क्षेत्रों में डकैती/फिरौती के लिए अपहरण की समस्या स्थानीयकृत समस्या बन गई थी, इस समस्या को उखाड़ फेंकने के हर-सम्भव प्रयासों के बावजूद, नए-नए डकैतों के गैंग इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे थे जिसके फलस्वरूप असुरक्षा के चलते आर्थिक विकास बधित हो रहा था क्योंकि निवेशक/उद्योगपति डकैती की आशंका को देखते हुए अन्यत्र निवेश करने का विकल्प ढूंढ रहे थे।

वर्ष 2007-09 की अवधि के दौरान खूंखार डकैत राजकुमार शर्मा और राजनारायण शर्मा की सरगनाई में एक ऐसा कुख्यात गैंग नियमित रूप से इस क्षेत्र में अपनी लूटमार को अंजाम दे रहा था । अपने ऐसे निर्भीक और दुस्साहसी कृत्य में इस गैंग ने पुलिस स्टेशन अटेर, जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश की सीमा में कार्य कर रहे कैनरा डाल सिंचाई परियोजना से एक ठेकेदार मि. शरद झांवर, व्यवसायी मिस्टर सुदेश महेश्वरी और एक साइट इन्जीनियर का अपहरण कर लिया। इससे परियोजना से जुड़े सभी लोगों का ही मनोबल नहीं टूटा था बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती थी जो नागरिकों की यथेष्ठ रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चत करने के साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

दिनांक 23 और 24 अक्तूबर, 2009 की मध्य रात्रि के दौरान करीब 00.15 बजे पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को इस आशय की एक विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई कि डकैत राजकुमार शर्मा और उसका एक साथी कुछ आग्नेयास्त्र खरीदने के लिए थोड़ी देर में ग्वालियर पहुंच रहा है। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मि0 मनोहर वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक शहर (पश्चिम) को नाकाबन्दी करने और सभी आने वाले वाहनों की जांच करने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद, मि0 मनोहर वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक एवं मि0 प्रणय नागवंशी, शहर पुलिस अधीक्षक, झांसी रोड उप संभाग के कुशल नेतृत्व में सभी आने वाले वाहनों की गहन जांच शुरू की गई। ग्वालियर शहर नाकाबन्दी योजना में 15 प्रवेश/निर्गम बिन्दुओं के साथ-साथ सभी महत्वपूर्ण चौराहों में 54 आन्तरिक घेराव बिन्दुओं पर जांच करने की परिकल्पना थी।

फिर यह हुआ कि पुलिस स्टेशन कम्पू पुलिस टीम वहां पहुंची और पुलिस टीम को देखते ही डकैतों ने पुलिस पार्टी को निशाना बनाकर अंधाधुंध बोलीबारी करनी शुरू कर दी। उनकी एक गोली वाहन की विन्डस्क्रीन पर लगी और पुलिस को बाल-बाल बचाते हुए निकल गई। सभी पुलिस कर्मी वाहन से कूद पड़े और झाड़ियों के पीछे अपनी ओट ली।

अपर पुलिस अधीक्षक शहर (पश्चिम) और शहर पुलिस अधीक्षक, झांसी रोड भी घटनास्थल पर पहुंच गए और डकैतों को ललकारा तथा उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा किन्तु डकैतों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। डकैत पुलिस कर्मियों को जान से मारने के इरादे

से पुलिस को निशाना बनाकर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। पुलिस के पास आत्मरक्षा में गोली चलाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।

ए एस आई सुदेश तिवारी, जो सरकारी वाहन से कूद चुके थे, ने एक दृढ़ और वीरतापूर्ण फुर्ती दिखायी। अपना जान को अत्यन्त खतरे में डालते हुए और साहस एवं धैर्य का अनुकरणीय प्रदर्शन करते हुए अपनी सर्विस पिस्टल से फायर किया। कांस्टेबल दुवो जहां सिंह और सुरेन्द्र ने कर्तव्य की सीमा से परे जाकर, अपनी जान को खतरे में डालकर उनकी इस कार्रवाई में कवर प्रदान किया और डकैतों को निशाना बनाते हुए अपनी .303 राइफलों से बहादुरी के साथ गोलीबारी की। अपर पुलिस अधीक्षक शहर (पश्चिम) एम. एस वर्मा, सी एस पी, झांसी रोड़, प्रणय नागवंशी और निरीक्षक राजेन्द्र पाठक ने अपने सर्विस पिस्टल से फायर शुरू किया और खूंखार डकैतों द्वारा उत्पन्न चुनौती को प्रभावकारी तरीके से निष्फल कर दिया। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस पूर्ण समन्वित कार्रवाई, जो बिजली की गति से सम्पन्न हुई, की वजह से ही सफलता हासिल हुई।

जब गोलीबारी बन्द हुई तो तलाशी से पता चला कि एक डकैत मर गया था जिसकी पहचान ए एस आई सुदेश तिवारी द्वारा राजकुमार शर्मा, निवासी ग्राम सेमरई, पुलिस स्टेशन खेडा राथौर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश के रूप में की गई जिसे वह भिण्ड जिला में अपनी पूर्ववर्ती तैनाती के दौरान थोड़ा-थोडा, चेहरे से जानते थे। मृतक डकैत खूंखार पंडित गैंग का सरगना था और उस पर 25000 रूपए का ईनाम था । अन्य डकैत घनी झाड़ियों और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुए समीपवर्ती पुलिस स्टेशनों की पुलिस पार्टियां भी अन्य डकैतों की तलाश करने के लिए बुलाई गई थीं।

इस मुठभेड़ में, एक .315 बोर हथियार, 5 खाली खोखे, 9 जिन्दा कारतूस मृतक डकैत की बेल्ट में से बरामद किए गए। आसपास के क्षेत्रों में की गई तलाशी के फलस्वरूप, 50 से 150 फीट की दूरी में अन्य .32 बोर देशी पिस्टल और .315 बोर के खाली खोखे, .32 बओर के 4 खाली खोखे बिखरे हुए पड़े पाए गए।

घटनास्थल से .303 राइफल के छह दागे गए कारतूस और 9 एम एम के 12 खोखे भी बरामद किए गए। जिसमें से ए एस आई सुदेश तिवारी द्वारा .9 एम एम के 6 राउण्ड फायर किए गए और अपर पुलिस अधीक्षक शहर (पश्चिम), श्री एम एस वर्मा, सी एस पी, झांसी रोड, श्री प्रणय नागवंशी और निरीक्षक राजेन्द्र पाठक में से प्रत्येक ने दो राउण्ड फायर किए।

घटना स्थाल से एक मोटर साइकिल हीरो हाण्डा स्प्लेण्डर जिसका इस्तेमाल डकैतों द्वारा किया जा रहा था, भी बरामद की गई जिसकी पंजीकरण संख्या एम पी 05 ए 7826 है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उसकी नम्बर प्लेट पर "पुलिस" लिखा था। पुलिस स्टेशन, कम्पू में निरीक्षक राजेन्द्र पाठक की रिपोर्ट पर आई पी सी की धारा 307, 34 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 के तहत एफ आई आर संख्या 421/09 दर्ज करायी गयी।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री मनोहर सिंह वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, प्रणय नागवंशी, उप पुलिस अधीक्षक, राजेन्द्र पाठक, निरीक्षक और सुदेश कुमार तिवारी, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 24/10/2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 62-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. सागापाम इबोतोम्बी सिंह,
उप निरीक्षक

02. अजय प्रकाश,
राइफल मैन

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 28.06.2011 को करीब 0030 बजे जन साधारण से उगाही करने और मौका मिलने पर सुरक्षा बलों पर हमला करने जैसी खतरनाक गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से नाओरेमथांग खुलेम लेईकेई के सार्वजनिक क्षेत्र में आर पी एफ/पी एल ए के कुछ सशस्त्र काडरों के मौजूद होने के संबंध में एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर सी डी ओ/इम्फाल पश्चिम जिला की दो टीमें एस आई एन.मनिक्सो सिंह और एस आई एस. इबोतोम्बी सिंह के नेतृत्व में उक्त सशस्त्र काडरों को गिरफ्तार करने के लिए उक्त क्षेत्र की ओर तत्काल दौड़ पड़ी।

उक्त क्षेत्र में पहुंचकर, दोनों टीमों ने क्षेत्र की स्थालाकृति के साथ-साथ, क्षेत्र के आस-पास की गलियों/उप-गलियों का निरीक्षण किया। इसके पश्चात, बच निकल भागने के संभावित रास्तों की पहचान करने के बाद, कमाण्डोज ने कुछ संदिग्ध मकानों की खास-खास जगहों की तलाशी लेनी आरम्भ की। उप निरीक्षक एन.मनिक्सो सिंह के नेतृत्व में कमांडो की टीम ने उपायुक्त इम्फाल पश्चिम जिला के कार्यालय परिसर के समीपवर्ती क्षेत्र के उत्तरी हिस्सों पर चुनिन्दा मकानों का तलाशी अभियान आरम्भ किया जबकि उप निरीक्षक एस.इबोतोम्बी सिंह की टीम ऊरीपोक-कांगचुप सड़क के समीपवर्ती क्षेत्र से लेकर दक्षिण दिशा के चुनिन्दा मकानों की तलाशी कर रही थी।

लगभग 1.30 बजे पूर्वाह्न जब उप निरीक्षक एस.इबोतोम्बी सिंह के नेतृत्व वाली टीम एक मकान का सामने वाला दरवाजा खटखटा रही थी, तभी आर. के. लोईडांगतोम्बी, जिसकी

बाद में मकान मालिक के रूप में पुष्टि हुई और आर के. नोरेनद्रोसाना की पुत्री ने अचानक दरवाजा खोला और बाहर आए तथा एक कमाण्डो, जो दरवाजे के सामने खड़ा था, को धक्का देकर कमाण्डो टीम की गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते हुए पूर्व की ओर भागने लगी। कमाण्डो टीम ने जब उन्हें रूकने की आवाज लगाई तो वह आदमी पीछे की मुड़ा और कमाण्डो की टीम पर कुछ राउण्ड फायर किया। 2 मिनट बीतने के पश्चात, अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए सबसे आगे एस आई एस.इबोतोम्बी सिंह और उनके ठीक पीछे राइफलमैन अजय प्रकाश घुटनों के बल चलते हुए आगे बढ़े और सामरिक दृष्टि से हमला शुरू करते हुए उन उग्रवादियों की ओर फायर किया जहां से लगातार गोलियां आ रही थी। जब एस.आई एस. इबोतोम्बी सिंह और राइफलमैन अजय प्रकाश उस उग्रवादी के निकट पहुंच गए, जो उत्तरी प्रांगण के ऊपर उठे हुए दो पट्टियों के बीच अपनी पोजीशन लिए हुए था। उस दिशा से बन्दूक से फायर करती हुई धुंधली छाया आकृति को देखकर दोनों ने एक-साथ उस सशस्त्र युवक पर फायर किया जिससे वह मौके पर ही ढ़ेर हो गया।

उस उग्रवादी की पहचान बाद में लैशराम लिंकोन उर्फ निकोलन मेईतेई (उम्र लगभग 40 वर्ष) पुत्र एल.मोधू निवासी काकवा नाओरेम लेइकेई, पश्चिम इम्फाल के रूप में हुई जो प्रतिबंधित संगठन पिपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए) का कार्याकर्ता था और सार्जेंट मेजर के रैंक में कार्य कर रहा था। शव के पास से निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद बरामद किए गए:-

1. मैगजीन के साथ 9 एम एम कैलीबर पिस्टल जिस पर स्मिथ एण्ड वेस्सन स्प्रिंगफील्ड, एम ए, यू एस ए अंकित है और जिसकी संख्या वी डी एफ 1363 एम डी ओ 5906 है
2. 9 एम एम कैलीबर के 9 जिन्दा राउण्ड्स
3. .2 चाइनीज हथगोले।
4. 9 एम एम कैलीबर का एक खाली खोखा।
5. 9 एम एम कैलीबर का 1 प्रोजेक्टाइल
6. ए.के. 47 राइफल के 27 खाली खोखे।

विषम समयावधि (अर्धरात्रि) में हुई इस मुठभेड में, कमाण्डो कार्मिकों ने विशेष रूप से, उप निरीक्षक एस. इबोतोम्बी सिंह और राइफलमैन अजय प्रकाश ने उच्च कोटि के साहस और बहादुरी का प्रदर्शन किया। यदि उप निरीक्षक एस. इबोतोम्बी सिंह ने अपने कमाण्डो कर्मियों की समुचित तरीके से कमान संभालते हुए इस अनुकरणीय तरीके से कार्य न किया होता तो वह उग्रवादी न कवेल अपने ठिकाने से बचकर भाग गया होता बल्कि उन कमाण्डो कर्मियों की गम्भीर रूप से हताहत कर गया होता जो उनके पकड़ने के लिए घेरा डाले हुए थे। राइफलमैन अजय प्रकाश ने भी अपने कमाण्डर द्वारा सौपें गए दायित्व को पूर्णत: समर्पण के साथ निभाया और अपनी वीरता तथा पेशेवरता का प्रदर्शन किया। वस्तुत:, दोनों अधिकारी अपनी पेशवरता के कठिन परीक्षण में खरे उतरे।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री सागापाम इबोतोम्बी सिंह, उप निरीक्षक और अजय प्रकाश, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 28/06/2011 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 63-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार/वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. साहब रशीद खान,
अपर पुलिस अधीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)
02. बिजेन्दर सिंह त्यागी,
निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
03. देवेश सिंह,
उप निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक)
04. विकास कुमार पाण्डेय,
उप निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक)
05. गजेन्द्र पाल सिंह,
उप निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
06. अजय प्रकाश त्रिपाठी,
हेड कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

नीरज सिंह एक खूँखार अपराधी था जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,00,000/- रूपए के इनाम की घोषणा की थी। वह 02 कांस्टेबलों की सनसनीखेज और नृशंस हत्या तथा दिनांक 16.03.2010 को पुलिस हिरासत से भागने के कारण वांछित था।

एस टी एफ यू.पी. को नीरज सिंह को गिरफ्तार करने का दायित्व सौंपे जाने पर, श्री नवीन अरोड़ा, एस एस पी एस टी एफ ने श्री साहब रशीद खान, अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक दल का गठन किया। निश्चित और विश्वस्त खुफिया जानकारी प्राप्त होने पर कि अपराधी नीरज सिंह दिनांक 03.05.2010 को अंसल कॉलोनी, आगरा पहुँच सकते हैं, श्री नवीन अरोड़ा अपने दल के साथ लगभग 0330 बजे अंसल कॉलोनी, आगरा के शास्त्रीपुरम चौराहे पर

पहुँच गए। श्री नवीन अरोड़ा ने क्रमश: श्री साहब रशीद खान, अपर पुलिस अधीक्षक, श्री बिजेन्दर सिंह त्यागी, निरीक्षक, श्री अरविंद कुमार, हेड कांस्टेबल तथा अपने ही नेतृत्व में 04 दलों का गठन किया। उन्होंने नीरज सिंह को गिरफ्तार करने की रणनीति बनाई और दलों को उनके मोर्चे पर तैनात कर दिया। लगभग 0445 बजे मुखबिर ने सड़क पर आते हुए एक व्यक्ति की अपराधी नीरज सिंह के रूप में पहचान की। श्री नवीन अरोड़ा ने उसे रूकने के लिए ललकारा परन्तु बदले में उसने एस एस पी को मारने के लिए उसपर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन सतर्क नवीन अरोड़ा बाल-बाल बच गए।

श्री साहब रशीद खान और उसके दल के साथी भी अपने मोर्चे से अपराधी को घेरने के लिए आगे बढ़े, परन्तु चालाक नीरज ने उनकी गतिविधि को धत्ता बता दिया और उनपर लक्षित गोलीबारी शुरू कर दी तथा तेजी से रोड डिवाइडर को छलाँगते हुए अपना मोर्चा संभाल लिया। श्री नवीन अरोड़ा और श्री साहब रशीद खान अपने दल के साथियों एस आई देवेश सिंह, एस आई विकास कुमार पाण्डेय, एस आई गजेन्द्र पाल सिंह, एच सी अजय त्रिपाठी के साथ कुशल युद्धनीतिक कला का परिचय देते हुए अपराधी नीरज सिंह की ओर रेंगते हुए बढ़ते रहे जो निरन्तर गोलीबारी कर रहा था और चिल्ला रहा था कि 'मैने हाल में दो पुलिसकर्मियों को मार दिया।

हालांकि नीरज सिंह पुलिस कर्मियों पर उन्हें मारने के निश्चित ईरादे से निरन्तर गोलीबारी कर रहा था, श्री नवीन अरोड़ा ने संयम बरती और पुलिस दल का साहस बढ़ाते रहे, जिन्होंने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया तथा अपने जान-माल की सुरक्षा एवं संरक्षा की परवाह किए वगैर रणनीतिपूर्वक और साहस से तथा अपराधी को जिंदा गिरफ्तार करने की मंशा से उसकी गोलीबारी की सीमा में बढ़ गए और अपनी आत्मरक्षा में सीमित गोलीबारी करते रहे, जिसके कारण वह घायल होकर गिर गया। अपराधी नीरज सिंह के साथ खुले स्थान में इस भयंकर एवं आमने-सामने की दुष्कर मुठभेड़ के बाद, जब सतर्कतापूर्वक नजदीक से देखा गया तो वह मृत पाया गया। निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद बरामद किए गए थे:-

1. 9 मि.मी. बोर की एक पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस और 03 खाली खोखे
2. 315 बोर की एक देशी पिस्तौल, 03 जिंदा कारतूस और 03 खाली खोखे

इस मुठभेड़ में सर्वश्री साहब रशीद खान, अपर पुलिस अधीक्षक, बिजेन्दर सिंह त्यागी, निरीक्षक, देवेश सिंह, उप निरीक्षक, विकास कुमार पाण्डेय, उप निरीक्षक, गजेन्द्र पाल सिंह, उप-निरीक्षक एवं अजय प्रकाश त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का द्वितीय बार/पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 03.05.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 64-प्रेज/2012- राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. विजय प्रकाश,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

02. त्रिवेणी सिंह,
उप पुलिस अधीक्षक

03. अनिल कुमार,
उप निरीक्षक

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

आफताब उर्फ शानू बोस एक खूँखार अपराधी था जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पचास हजार रूपए के ईनाम की घोषणा की थी। वह हत्या एवं अन्य जघन्य अपराधों के दो दर्जन से अधिक मामलों में संलिप्त था।

दिनांक 30.01.2011 को बरेली में खुफिया जानकारी एकत्रित करने के दौरान, विजय प्रकाश, एस एस पी एस टी एफ को संक्षिप्त जानकारी मिली कि उक्त शानू बोस अपने पूर्ण सशस्त्र साथियों के साथ यूपी-78बीएम-8150 नंबर प्लेट की एक आई-10 कार में बरेली से कानपुर जाएगा। इसपर दो दल तैयार किए गए। एक दल का नेतृत्व एस एस पी विजय प्रकाश और दूसरे का डिप्टी एस पी त्रिवेणी सिंह द्वारा किया गया। दोनों दलों ने उक्त कार की प्रतीक्षा में शिवराजपुर गांव से 03 कि.मी. दूर अपना मोर्चा संभाल लिया। लगभग 0610 बजे सबेरे एक कार को देखा गया जिसमें 03 व्यक्ति बैठे थे। जब बाधा डाली गई, तो उसने अपनी गति बढ़ा दी और एक तंग रास्ते पर मुड़ते हुए संभलपुर की ओर दक्षिण दिशा में मुड़ गए। विजय प्रकाश ने कार का पीछा किया और जब उसके वाहन ने बांयी तरफ से उससे आगे निकलने की कोशिश की तो जोखिम का अंदाजा न हो पाने के कारण, उसके वाहन की कार से टक्कर हो गई जो सड़क के किनारे पड़े लकड़ी के लट्ठों से जा टकराई और रूक गई। तीन अपराधी कार से बाहर निकल आए और लट्ठों एवं कार के पीछे अपना मोर्चा संभाल लिया। एस एस पी ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए चेतावनी दी। प्रत्युत्तर में, अपराधियों ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उनमें से एक गोली उनके बिल्कुल पास से निकली और सरकारी वाहन के दरवाजे से जा टकराई। अपराधियों के भाग जाने की शंका को भांपते हुए, एस एस पी ने बिना किसी कवच अथवा मोर्चा के आत्मरक्षा में गोली चलाते हुए आगे बढ़ते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया। डिप्टी एस पी त्रिवेणी सिंह ने भी एस आई अनिल कुमार के साथ, आत्मरक्षा में गोली चलाते हुए आगे बढ़ते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया। डिप्टी एस पी त्रिवेणी सिंह भी एस आई अनिल कुमार के साथ, आत्मरक्षा में गोली चलाते हुए और अपराधियों को आत्मसमर्पण की चेतावनी देते हुए आगे बढ़े। उनमें से एक अपराधी ने पड़े हुए लट्ठों के पीछे और अन्य दोनों ने पेड़ों के पीछे मोर्चा संभाल लिया तथा पुलिस दलों पर लगातार गोलीबारी करते रहे। वे निरन्तर अपनी स्थिति बदल रहे थे। इस मुठभेड़ में, उनमें से एक अपराधी, जो लट्ठों के पीछे मोर्चा संभालकर गोली चला रहा था, को गोली लग गई और वह बच निकलने की कोशिश करने लगा। श्री विजय प्रकाश उसकी ओर लपके, इसपर दोनों सहयोगियों ने श्री विजय प्रकाश, श्री त्रिवेणी सिंह और श्री अनिल कुमार एस आई पर निशाना साधते हुए भारी गोलीबारी शुरू कर दी। भारी गोलीबारी का सामना करते हुए वे आगे बढ़ते रहे जबकि दो साथी अंधेरे में भाग निकले। घायल अपराधी की पहचान शानू बोस के रूप में हुई थी, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वह मर गया। 01 पिस्तौल, 01 जिंदा कारतूस और 32 बोर के 15 खाली खोखे, .315 बोर के 06 खाली खोखे बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री विजय प्रकाश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, त्रिवेणी सिंह, उप पुलिस अधीक्षक और अनिल कुमार, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 31/01/2011 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 65-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. विजय भूषण,
अपर पुलिस अधीक्षक

02. गिरजा शंकर त्रिपाठी,
निरीक्षक

03. विजय प्रताप सिंह,
सिपाही

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 04/06/2010 को श्री विजय भूषण, अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी को जब सूचना मिली कि वाराणसी के शहरी क्षेत्र में कुछ जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए खूँखार अपराधी संतोष कुमार गुप्ता, जिसपर 1,50,000/- रूपए का इनाम रखा गया है, चल पड़ा है तो वे तत्काल हरकत में आ गए। श्री विजय भूषण ने श्री गिरजा शंकर त्रिपाठी, निरीक्षक चेतगंज को उनके दल के साथ बुलाया, अपराधियों को पकड़ने की योजना बनाई और दो दलों का गठन किया गया। दोनों दलों को चौकाघाट और तेलियागंज तिराहा दोनों जगहों पर वाहनों की गहन जांच करने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात कर दिया गया ।

लगभग 2400 बजे, सिटी रेलवे स्टेशन की तरफ से एक मारूति कार को चौकाघाट की ओर आते देखा गया था और जैसे ही पुलिस दल ने इसे रूकने का निर्देश दिया, अपराधियों ने पुलिस दल पर गोलियां चला दीं और तेजी से तेलियागंज तिराहे की ओर भाग चले। इसकी जानकारी मिलने पर, अपर पुलिस अधीक्षक अपने दल के साथ चौकाघाट की ओर बढ़ गए और जब तेज गति से चल रही मारूति कार उनके पास आई तो निरीक्षक चेतगंज ने कुशलतापूर्वक अपनी बोलेरो कार आगे कर दी और मारूति कार को आगे बढ़ने से रोक दिया तथा अपर पुलिस अधीक्षक ने बुद्धिमतापूर्वक परेशानहाल अपराधियों को घेर लिया। अपनेआप को पुलिस से घिरा हुआ पाकर, उन्होंने पुलिस दल पर लगातार गोलीबारी शुरू कर दी और उनकी निरन्तर गोलियां बोलेरो कार के आगे के शीशे को तोड़ती हुई सीट में घुस गई। अपर पुलिस अधीक्षक और निरीक्षक चेतगंज सावधानीपूर्वक वाहन से निकल गए, एक नजदीकी मंदिर के पीछे मोर्चा संभाल लिया और आत्मसमर्पण करने के लिए अपराधियों को चेतावनी दी। परन्तु उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां बरसाने का दु:साहस जारी रखा। अपर पुलिस अधीक्षक चालाकी से अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए उनकी ओर बढ़े, तभी अचानक अपराधियों ने उन्हें देख लिया और निरन्तर गोलीबारी शुरू कर दी। इस परिस्थिति में, अपर पुलिस अधीक्षक निडर बने रहे और उन्होंने हमले का बहादुरी से सामना किया। अपराधियों के इस आक्रमण के विरूद्ध, अदम्य साहस और अपने विलक्षण नेतृत्व के साथ उन्होंने निरीक्षक चेतगंज, श्री अमरेश कुमार सिंह बघेल, उप निरीक्षक और श्री विजय प्रताप सिंह, सिपाही के साथ मिलकर अपनी जान को जोखिम में डालकर तथा बहादुरी का परिचय देते हुए अपराधियों के विरूद्ध जंग छेड़ दी और अपराधियों की गोलीबारी के दायरे में आगे बढ़े तथा आत्मरक्षा में गोलियाँ चलाते हुए उन्हें चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप अपराधी पस्त होकर गिर गए और घायल हो गए। बाद में दोनों अपराधियों को मृत घोषित कर दिया गया। उनमें से एक अपराधी की पहचान ऊपरवर्णित अपराधी संतोष कुमार गुप्ता के रूप में की गई और दूसरे की पहचान खूँखार अपराधी संतोष सिंह के रूप में की गई थी। निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद बरामद किए गए थे:-

1. अमेरिका निर्मित एक पिस्तौल, 09 कारतूस और .450 बोर के 17 खाली खोखे
2. फैक्ट्री निर्मित एक पिस्तौल, 05 कारतूस और 9 मि.मी. बोर के 07 खाली खोखे

इस मुठभेड़ में सर्वश्री विजय भूषण, अपर पुलिस अधीक्षक, गिरजा शंकर त्रिपाठी, निरीक्षक और विजय प्रताप सिंह, सिपाही ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 04/06/2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 66-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. दीपक कुमार,
सहायक पुलिस अधीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक)

02. विजय भूषण,
अपर पुलिस अधीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)

03. समरजीत सिंह,
उप निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक)

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 21.12.2008 को श्री विजय भूषण, अपर पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद को जानकारी मिली कि दुर्दान्त डाकू नीरज गुप्ता और पवन यादव, जिनमें से प्रत्येक पर 10,000/- रूपए का ईनाम था, वसुन्धरा क्षेत्र में कुछ जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए आ रहा है, तो वे तुरन्त हरकत में आ गए। श्री विजय भूषण, अपर पुलिस अधीक्षक ने इसकी सूचना श्री दीपक कुमार, असि. एस पी, श्री समरजीत सिंह, एस आई/एसओ इंदिरापुरम, एसओ पंतनगर, उत्तराखण्ड को दी और उपलब्ध पुलिस बल के साथ तैयार रहने को कहा तथा इस जानकारी के आधार पर दो दलों का गठन किया। प्रथम दल का नेतृत्व श्री समरजीत सिंह, एस आई द्वारा और दूसरे दल का नेतृत्व स्वयं एडि. एस पी और ए एस पी ने किया तथा उनकी कमान में पुलिस दल लगभग 2150 बजे सी आई एस एफ-वसुन्धरा रोड पर वसुन्धरा की पुलिस सीमा चौकी पर पहुँच गया। एडि. एस पी और ए एस पी ने स्थल का निरीक्षण किया और दलों को रणनीतिपूर्वक तैनात किया तथा सीमा चौकी पर अपना-अपना मोर्चा संभाल लिया और वाहनों की तलाशी शुरू कर दी।

लगभग 2335 बजे सी आई एस एफ की तरफ से दो सवारों के साथ एक मोटर साइकिल को तेज गति से आते हुए देखा गया और जब वे नजदीक आ गए तो मुखबीर द्वारा उनकी पहचान वांछित अपराधियों के रूप में की गई। तब पुलिस दल ने उन्हें रूकने का ईशारा किया,

हालांकि मोटर साइकिल सवारों ने गति को थोड़ा धीमा किया, लेकिन चालाक अपराधियों ने पुलिस दल को मारने के लिए उनकी तरफ दु:साहसपूर्वक और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे पुलिस दल बाल-बाल बच गया। श्री विजय भूषण एडि. एस पी, श्री दीपक कुमार, ए एस पी और पुलिस दलों ने उनकी कमान के तहत तीव्रता से अपराधियों की गतिविधि को रोकने के लिए पुलिस चौकी के पास घेरा डाल दिया। दोनों धूर्त अपराधियों ने अचानक सेक्टर-5 की तरफ तेजी से भागने के लिए अपनी मोटर साइकिल को मोड़ने की कोशिश की, परन्तु मोटर साइकिल फिसल गई। अपराधियों ने उसे छोड़ दिया और ईंट-रेत के ढेर के पीछे अपना मोर्चा संभाल लिया तथा निरन्तर आक्रामक गोलीबारी करते रहे, जिसमें से एक गोली श्री विजय भूषण के कान के एकदम पास से निकल गई और वे थर्रा गए परन्तु बच गए। बिल्कुल सामने अपराधियों की खतरनाक आक्रामक गोलीबारी के बीच और उसके सामने पुलिस दल की सुरक्षा को भांपते हुए, एडि. एस पी और श्री दीपक कुमार, ए एस पी ने अपराधियों को जिंदा गिरफ्तार करने के लिए दृढ़ निश्चय रहे और डटे रहे। उनहोंने उच्च कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए, निडर होकर हमले का सामना किया और उनके साथ श्री समरजीत सिंह एस आई, उनकी गोलीबारी के दायरे में रणकौशल से आगे बढ़ते रहे तथा अपनी आत्मरक्षा में गोलीबारी जारी रखी, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 0025 बजे अपराधी घायल होकर गिर गए। जब उन्हें नजदीक से देखा गया तो खुले में हुई इस आमने-सामने की भीषण लड़ाई में वे मृत पाए गए। अपराधियों के पास से निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद बरामद किए गए:-

1. एक फैक्ट्री निर्मित पिस्तौल स्वचालित यू एस ए निर्मित-01, जिंदा कारतूस और .32 बोर का 01 खाली खोखा
2. एक देशी पिस्तौल, 04 जिंदा कारतूस और 315 बोर का एक खाली खोखा

इस मुठभेड़ में सर्वश्री दीपक कुमार, सहायक पुलिस अधीक्षक, विजय भूषण, अपर पुलिस अधीक्षक और समरजीत सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 22/12/2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 67-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. रविन्द्र नाथ राय,
उप निरीक्षक

02. ब्रिजेश सिंह,
सिपाही

03. योगेन्द्र कुमार,
सिपाही

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 25.05.2010 को जब एस ओ गाजीपुर अपने पुलिस दल के साथ गश्त लगा रहे थे, तब खुर्रमनगर चौराहे पर उनकी मुलाकात धनउगाही-रोधी प्रकोष्ठ के एक दल के साथ हुई जो किसी घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि खूँखार डाकू बिचौली (जिसपर 1,00,000/- रूपए का ईनाम था) पिकनिक स्थल से जंगल होते हुए गुदाम्बा की ओर की सड़क पर पानी टंकी के मलबे में उपस्थित है और किसी सनसनीखेज अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहा है। इस जानकारी पर विश्वास करते हुए तत्काल तीन दलों को गठित किया गया। प्रथम दल का नेतृत्व एस ओ गाजीपुर द्वारा, दूसरे का एस आई रविन्द्र नाथ राय द्वारा और तीसरे का एस आई राम मूर्ति यादव द्वारा किया गया। संक्षिप्त जानकारी के आदान-प्रदान के बाद, दलें 2120 बजे मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान के लिए खुर्रमनगर चौराहे की ओर रवाना हो गई। एस ओ गाजीपुर के नेतृत्व में प्रथम दल ने पूर्वोत्तर गेट पर और एस आई रविन्द्र नाथ राय के नेतृत्व में दूसरे दल ने पश्चिमोत्तर गेट पर मोर्चा संभाल लिया तथा तीसरे दल को कवच प्रदान किए जाने हेतु रिजर्व में रखा गया। जब एस ओ गाजीपुर मलबे तक पहुँचने के करीब थे, तब उन्होंने अपराधियों की पदचाप सुनीं। उन्होंने यह जानना चाहा कि वे लोग कौन हैं। इस पर अपराधियों ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अपराधियों द्वारा चलाई गई एक गोली एस ओ के बुलेट प्रूफ जैकेट से टकराई। उन्होंने दूसरे दल को तुरन्त मोर्चा संभालने के लिए कहा और अपराधियों को आत्मसमर्पण करने की चुनौती दी। अपराधियों ने चेतावानी को कोई तरजीह नहीं दी और गोलीबारी जारी रखी। दूसरे दल के एस आई रविन्द्र नाथ राय, सिपाही ब्रिजेश सिंह और योगेन्द्र कुमार इत्यादि ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं। अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली एस आई रविन्द्र नाथ राय के बुलेट प्रूफ जैकेट से टकराई और सिपाही ब्रिजेश सिंह और सिपाही योगेन्द्र कुमार बाल-बाल बच गए। पुलिस दल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आत्मरक्षा के साथ अपराधी की गोलीबारी की ओर बढ़ना जारी रखा। इस दौरान खूँखार डाकू बिचौली मारा गया था । डाकू के पास से निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद बरामद किए गए:-

1. एक फैक्ट्री निर्मित राइफल, 03 जिंदा कारतूस और 315 बोर के 10 खाली खोखे
2. 315 बोर की एक देशी राइफल
3. एक पिस्तौल, 15 जिंदा कारतूस और 7.65 के 05 खाली खोखे

इस मुठभेड़ में सर्वश्री रविन्द्र नाथ राय, उप निरीक्षक, ब्रिजेश सिंह, सिपाही एवं योगेन्द्र कुमार, सिपाही ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 25/05/2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 68-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. रविन्द्र कुमार वशिष्ठ,
उप निरीक्षक

02. वकील अहमद
सिपाही (मरणोपरान्त)

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 30.11.2005 को 0710 बजे श्री रविन्द्र कुमार वशिष्ठ, एस आई/इंचार्ज स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, बागपत को खूँखार अपराधी धर्मेन्द्र और उसके साथ उसके तीन साथियों के बारे में जानकारी मिली कि वे गांव के आसपास छुपे हुए थे और बड़का रेलवे स्टेशन से ट्रेन द्वारा 0820 बजे जा रहे थे। जानकारी अत्यन्त विश्वसनीय मुखबीर से मिली थी, इसलिए श्री वशिष्ठ अपने पुलिस दल, कांस्टेबल वकील अहमद, कांस्टेबल नीतेन्द्र, कांस्टेबल योगेन्द्र के साथ तत्काल पुलिस स्टेशन बडौत की ओर अतिरिक्त बल के लिए चल पड़े परन्तु इंस्पेक्टर वहां मौजूद नहीं थे। एस एच ओ की अनुपस्थिति में और तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा में एस ओ जी आई/सी श्री वशिष्ठ तत्काल अपने पुलिस दल और मुखबीर के साथ बड़का रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ गए। वे बड़का रेलवे स्टेशन पहुँच गए और अपने-आपको छुपाकर अपराधियों की प्रतीक्षा करने लगे। 15 मिनट के बाद चार व्यक्ति दक्षिण की ओर से आ रहे थे। उनको देखकर मुखबिर ने उनकी पहचान कर ली और कहा कि सभी के पास हथियार और गोलाबारूद हैं। श्री वशिष्ठ ने पुलिस दल को अपराधियों को गिरफ्तार करने का निदेश दिया। जैसे ही अपराधी पुलिस दल के पास

पहुँचे, एस ओ जी टीम छुपने के स्थान से बाहर आ गई, उन्हें घेर लिया और आत्मसमर्पण करने की चुनौती दी। अचानक अपराधियों ने पुलिस दल पर उन्हें मारने के ईरादे से गोलियां चला दी। अपराधियों की एक गोली श्री आर.के. वशिष्ठ के दाहिने पैर में लगी। एस ओ जी इंचार्ज घायल हो गए और उनकी पार्टी अपराधियों की ओर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही वे अपराधियों के पास पहुँचे, कांस्टेबल वकील अहमद ने परवेन्द्र नामक एक अपराधी को पकड़ लिया। उसी समय खूँखार अपराधी धर्मेन्द्र ने कांस्टेबल वकील अहमद पर गोली चला दी। कांस्टेबल वकील अहमद बुरी तरह घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। एस ओ जी इंचार्ज श्री वशिष्ठ ने कांस्टेबल को घायल होता देखकर मरने या मारने की स्थिति को भांप लिया और श्री वशिष्ठ ने अपने पुलिस दल के साथ मिलकर अपने जान की परवाह किए बगैर आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। इस भयंकर और आमने-सामने की मुठभेड़ में खूंखार अपराधी धर्मेन्द्र मारा गया था और 01 देशी पिस्तौल, 02 जिंदा कारतूस तथा 315 बोर का 01 खाली खोखा बरामद किया गया था। तीन अन्य अपराधी भागने में सफल हो गए थे।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री रविन्द्र कुमार वशिष्ठ, उप निरीक्षक और स्वर्गीय वकील अहमद, सिपाही ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 30.11.2005 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 69-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. फतेह सिंह,
नायब सूबेदार

02. के. सुरेन्द्रो सिंह,
राइफलमैन

03. एल. अमरजीत सिंह,
राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

एक महीने की लम्बी अवधि की आसूचना जानकारी के बाद, 13/14 मई, 2010 को खम्बथेल के रिजर्व वन क्षेत्र में 08-10 सशस्त्र खूंखार आतंकवादियों की गतिविधि के संबंध में मेजर एस. कार्तिक राजा को वास्तविक जानकारी मिली थी।

योजनानुसार उनसे सम्पर्क साधने के लिए कई बार गश्त लगाई गई थी। उनमें से एक दल नायब सूबेदार जनरल ड्यूटी फतेह सिंह के कमान के तहत था। जब यह दल 14 मई, 2010 को लगभग 0025 बजे आगे बढ़ा, तो वह आतंकवादियों की ओर से भारी गोलीबारी के चपेट में आ गया। नायब सूबेदार जनरल ड्यूटी फतेह सिंह के साथी राइफलमैन जनरल ड्यूटी के. सुरेन्द्रो सिंह ने तत्काल प्रतिक्रिया दिखाई और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर पर कूद पड़े तथा बचाव के लिए उन्हें एक तरफ धकेल दिया। उसके बाद आक्रामक तेवर दिखाते हुए निडर सैनिक ने अपने जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के साथ आतंकवादियों को मार गिराने के लिए उन पर लक्षित गोलीबारी शुरु कर दी। जूनियर कमीशन्ड आफिसर ने सच्चे नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपने संयम को बनाए रखा और आतंकवादियों की भारी गोलीबारी के बीच अपने दल को तैनात किया, जबकि रेडियो सेट के माध्यम इसके बारे में अपने कम्पनी कमाण्डर को भी सूचित कर दिया।

इसके बाद उन्होंने युक्तिपूर्वक परिस्थिति का अध्ययन किया और एक टीले के पीछे लाभदायक मोर्चे की तलाश के लिए नाइट विजन डिवाइस का प्रयोग किया। युक्तिपूर्ण चतुराई का परिचय देते हुए, जूनियर कमीशन्ड आफिसर ने अन्य दलों के साथ समन्वय स्थापित किया और अपनी टुकड़ियों का संचालन करते हुए भारी गोलीबारी तथा प्रतिकूल मौसम के बीच दुर्गम वन की तराई में एक टीले तक पहुँचने में उनका नेतृत्व किया। इसके बाद उन्होंने टुकड़ियों को संभावित बचाव के मार्गों पर तैनात किया, जबकि उनके कम्पनी कमाण्डर के दल के साथ भयंकर लड़ाई चल रही थी।

इस बीच जब मेजर एस. कार्तिक राजा की टीम सम्पर्क स्थल की ओर बढ़ रही थी, तभी प्रबलन राइफलमैन जनरल ड्यूटी एल. अमरजीत सिंह, अधिकारी के साथी, ने 08-10 आतंकवादियों को एक शिलाखण्ड की आड़ में जाते देखा। उसने तत्काल कम्पनी कमाण्डर को सतर्क कर दिया और चुनौती दिए जाने पर जैसे ही आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरु की, राइफलमैन जनरल ड्यूटी एल. अमरजीत सिंह ने अपने कम्पनी कमाण्डर के साथ-साथ आक्रामक तेवर का प्रदर्शन किया और अपने निजी हथियार से जवाबी कार्रवाई की। आतंकवादियों ने निरन्तर गोलीबारी जारी रखी और सम्पर्क विच्छेद करने के लिए हथगोले फेंके। निडर सैनिक ने अपने कम्पनी कमाण्डर के साथ भाग रहे आतंकवादियों का भरसक पीछा किया। वे टीले पर दौड़ पड़े और घात लगाए हुए आतंकवादियों के निकट सम्पर्क में पहुँचने के लिए घनी झाड़ियों से होते हुए नीचे की ओर खिसकने लगे। उन्होंने लगातार अपने कम्पनी कमाण्डर को सुरक्षात्मक गोलीबारी प्रदान की और आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया। भयंकर गोलीबारी की लड़ाई के परिणामस्वरूप तीन खूँखार आतंकवादी मार गिराए गए।

कुछ देर बाद, आतंकवादियों ने अंधेरे एवं प्रतिकूल मौसम का फायदा उठाकर सम्पर्क तोड़ने की कोशिश की, परन्तु उन्हें नायब सूबेदार जनरल ड्यूटी फतेह सिंह के दल की चतुरतापूर्ण घेरेबंदी द्वारा उलझाए रखा गया। उन्होंने आक्रामक गोलीबारी शुरु कर दी और घेरे को तोड़ने की कोशिश की। जूनियर कमीशंड आफिसर संयमित रहे और आतंकवादियों का पता लगाने के लिए

मोर्टार प्रदीप्त करने के लिए कहा तथा जैसे ही राइफलमैन जनरल ड्यूटी के. सुरेन्द्र सिंह अनुकूल स्थान पर पहुँचे उन्होंने अदम्य वीरता तथा पहल का परिचय दिया और रेंगने लगे तथा एक 51 मिमी. मोर्टार ट्यूब को उठा लिया और आतंकवादियों पर रोशनी करने के लिए लगातार मोर्टार से गोलाबारी शुरु कर दी। बंदूकी लड़ाई शुरू हो गई और जूनियर कमीशंड आफिसर ने व्यक्तिगत तौर पर काफी नजदीक से दो आतंकवादियों को मार गिराते हुए अपनी निशानेबाजी के कौशल का परिचय दिया।

इस साहसिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप पाँच खूँखार आतंकवादियों को मार गिराया गया और निम्नलिखित अस्त्र-शस्त्र, युद्धक भंडार तथा अभिशंसी दस्तावेजों की बरामदगी हुई:-

क)	एम-16 राइफल	:	2
ख)	एम-15 राइफल	:	1
ग)	ए के -47 राइफल	:	2
घ)	मैगजीन एम सीरीज राइफल	:	3
ड.)	मैगजीन ए के सीरीज राइफल	:	2
च)	जिंदा एम सीरीज गोलाबारुद	:	362
छ)	जिंदा ए के सीरीज गोलाबारुद	:	173
ज)	एके गोलाबारुद के खाली खोखे	:	127
झ)	एम सीरीज गोलाबारुद के खाली खोखे	:	142
ञ)	ड्राइविंग लाइसेंस	:	1
ट)	स्टाम्प (विंग कमाण्डर पी आर ए)	:	1
ठ)	गोलाबारुद के पाऊच	:	5
ड)	मतदाता पहचान पत्र	:	1
ढ.)	वाहन के दस्तावेज	:	1
ण)	पल्सर बाइक एम एन-04 1714 की नेम प्लेट		

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री फतेह सिंह, नायब सूबेदार, के. सुरेन्द्रो सिंह, राइफलमैन और एल. अमरजीत सिंह, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 14.05.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 70-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री संधाम अजेन सिंह,
राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

राइफलमैन (जनरल ड्यूटी) संधाम अजेन सिंह एक सक्रिय, जुझारु सैनिक हैं और नवम्बर 2008 से 34 असम राइफल्स के घातक पलटन का हिस्सा हैं तथा कई सफल अभियानों में व्यक्तिगत रूप से शामिल रहे हैं।

दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 को वे मेजर टी.जे. सिंह, 21 पी ए आर ए (एस एफ) के एस सी के अधीन 34 असम राइफल्स तथा 21 पी ए आर ए (एस एफ) के संयुक्त दस्ते का हिस्सा थे जिसने फौरांगचिंग गांव में निगरानी एवं घात लगा रखी थी। जब यह दस्ता चुपके से नए स्थान की ओर बढ़ रहा था, तब वह पहाड़ की चोटी की तरफ से भारी गोलीबारी से घिर गया जिसमें स्वचालित हथियार और लेथोड चक्र शामिल थे। इस गोलीबारी के दौरान, मेजर टी.जे. सिंह, एस सी को पेट में गोली लग गई। राइफलमैन (जनरल ड्यूटी) संधाम अजेन सिंह ने उत्कृष्ट रणकौशल का परिचय दते हुए अपनी स्थिति को बदला, जिसमें उन्होंने कुछ आतंकवादियों को रिज लाइन पर देखा। राइफलमैन संधाम अजेन सिंह अपने साथी के साथ तत्काल उस स्थान की तरफ बढ़े, उनकी इस गतिविधि को आतंकवादियों ने देख लिया था और उन्होंने लेथोड गोलियां चलाईं जिससे राइफलमैन संधाम अजेन सिंह और उसके साथी गोलियों के छर्रे से घायल हो गए। अपने कूल्हे पर जख्म होने के बावजूद, जिसने उनकी गतिविधि को कठिन बना दिया था, राइफलमैन संधाम अजेन सिंह ने दुश्मन की गोलीबारी से डरे बगैर और अपने जान को खतरे में देखकर भी अपना मोर्चा फिर से संभाला और सटीक निशाना साधकर एक आतंकवादी को उसी स्थान पर ढ़ेर कर दिया। बाद में एक आतंकवादी की जख्मी होने की वजह से मृत्यु हो गयी और चार अन्य बुरी तरह घायल हो गए थे। राइफलमैन संधाम अजेन सिंह की इस बहादुरीपूर्ण कार्रवाई से अन्य आतंकवादी भागने पर मजबूर हो गए जिससे वे अपने दल के सदस्यों की जान बचा सके और हताहतों को हवाई मार्ग के जरिए बाहर निकालना संभव हो सका। इस कार्रवाई में मारे गए आतंकवादी, घायल हुए आतंकवादी और की गयी बरामदगी इस प्रकार है:-

मारे गए आतंकवादी

(क) स्वयंभू सार्जेण्ट नॉंगनाइथेम हेम्बा, पी एल ए (पीपुल लिबरेशन आर्मी) ग्रुप।
(ख) पी एल ए (पीपुल लिबरेशन आर्मी) ग्रुप का अज्ञात आतंकवादी।

<u>घायल हुए आतंकवादी:</u> इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इन्टरसेप्ट से चार काडरों के बुरी तरह जख्मी होने की पुष्टि हुई।

<u>की गयी बरामदगी:</u>

(क)	ए के -47 राइफल	-	1
(ख)	एके-47 मैगजीन	-	2
(ग)	ए के – 47 जिंदा राउंड	-	21
(घ)	ए के -47 खाली खोखे	-	50
(ड.)	लेथोड के चलाए गए खोखे	-	2
(च)	ग्रेनेड पिन	-	1
(छ)	लेदर पर्स	-	1
(ज)	नगद	-	500/-रूपए
(झ)	पाऊच	-	1
(ञ)	पॉकेट डायरी	-	1

इस मुठभेड़ में श्री संधाम अजेन सिंह, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 27.10.2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 71-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री सेन्ती रेंबा,
राइफलमैन

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:</u>

राइफलमैन सेन्ती रेंबा (सामान्य ड्यूटी) अत्यधिक उत्साही पेशेवर और कर्मठ सैनिक हैं। दिनांक 15 अप्रैल, 2011 को, फॉरेस्ट कॉलोनी जी आर आर जी 536833, कोहिमा के एक मकान में हथियारबंद काडरों के होने के बारे में विशिष्ट जानकारी मिलने पर, 0410 बजे पुलिस प्रतिनिधि के साथ एक तलाशी कार्रवाई शुरु की गई थी। इस व्यक्ति ने, अपनी असाधारण

बहादुरी का परिचय देते हुए संभावित बचाव के मार्गों को कवर करने हेतु स्वयं को तैनात किया। भूमिगत व्यक्ति सतर्क हो गए और 02 व्यक्ति मकान से बच निकलने के लिए दीवार के पार फाँद गए।

स्थिति के भयानक दबाव के तहत होने के बावजूद, इस व्यक्ति ने अपने साथी के साथ, भाग रहे उन दोनों भूमिगतों को पकड़ने के लिए अत्यधिक जोखिम उठाया। बाद में मकान की तलाशी लेने पर विभिन्न हथियार और गोलाबारुद बरामद हुए।

दिनांक 18 अप्रैल, 2011 को एक विशिष्ट जानकारी के आधार पर, भूमिगतों को पकड़ने के लिए रझु प्वाइंट, कोहिमा में 1300 बजे एक कार्रवाई शुरू की गई थी। सैन्यटुकड़ियों को देखकर दो भूमिगतों ने भागने की कोशिश की। अदम्य साहस का परिचय देते हुए, इस व्यक्ति ने अपने साथी के साथ उन दोनों का पीछा किया और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया तथा उनके पास से असले के साथ एक पिस्तौल बरामद किया।

<u>दिनांक 15 अप्रैल, 20011 को की गई बरामदगी</u>

(क)	मैगजीन के साथ ए के – 47 राइफल	-	एक
(ख)	मैगजीन के साथ एम-16 राइफल	-	एक
(ग)	12 बोर गन	-	एक
(घ)	बैरल रहित प्वाइंट 22 गन	-	एक
(ड.)	मैगजीन के साथ 7.65 मिमी. पिस्तौल	-	दो
(च)	मैगजीन के साथ प्वाइंट 22 पिस्तौल (चीन निर्मित)	-	एक
(छ)	मैगजीन के साथ प्वाइंट 9 मिमी. पिस्तौल (स्वदेशी)	-	एक
(ज)	प्वाइंट 9 मिमी. पिस्तौल	-	एक
(झ)	5.56 मिमी. इन्सास राइफल के जिंदा राउंड	-	20
( )	9 मिमी. पिस्तौल के जिंदा राउंड	-	10
(ट)	7.65 मिमी. पिस्तौल के जिंदा राउंड	-	एक
(ठ)	एके 47 के जिंदा राउंड	-	25
(ड)	प्वाइंट 22 पिस्तौल के जिंदा कारतूस	-	41
(ढ़)	5.56 मिमी. जिंदा राउंड (अज्ञात)	-	एक
(ण)	लीड के साथ सी सी टी वी कैमरा	-	एक
(त)	मोबाइल फोन	-	आठ
(थ)	जूते के साथ वर्दी	-	दो जोड़े
(द)	भूमिगत काडर	-	दो

दिनांक 18 अप्रैल, 2011 को की गई बरामदगी

(क)	मैगजीन के साथ 7.65 मिमी. पिस्तौल	-	एक
(ख)	जिंदा राउंड 7.65 मि.मी पिस्तौल	-	छः
(ग)	भूमिगत काडर	-	दो

इस मुठभेड़ में श्री सेन्ती रेंबा, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 15.04.2011 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 72-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

सुश्री मैरी ह्रंगुल
उप कमांडेंट (एस एम ओ)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

उप कमांडेंट मैरी ह्रंगुल को दिनांक 18 जनवरी 2003 को असम राइफल्स में प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने साढ़े आठ साल की निस्वार्थ, समर्पित और सत्यनिष्ठा से सेवा की है। उन्होंने दिनांक 29 जून 2011 को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए) के अतिवांछित कैडरों में से एक, आर्मी नं. 1427 सार्जेंट मेजर लोइटोंगबाम सानोटोम्बा सिंह, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) के राजस्व अधिकारी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अंडरग्राउंड कैडर के पुत्र के नाम और जिस स्कूल में वह पढ़ रहा था उसके नाम के संबंध में अपूर्ण और अल्प सूचना के आधार पर, बालक की पहचान करने और इसके आधार पर उसके पिता का पता लगाने के लिए एक अभियान चलाया गया। दिनांक 25 जून, 2011 को उप कमांडेंट मैरी ह्रंगुल ने स्वयं को एक गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ) का प्रतिनिधि बताते हुए, बच्चों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षण की स्थिति के संबंध में सर्वेक्षण करने के लिए ब्यौरे एकत्र करते हुए सामान्य क्षेत्र के सभी इलाकों में गईं। स्थानीय भाषा और संस्कृति के अपने ज्ञापन का लाभ उठाते हुए, उन्होंने सामान्य रूप से सभी माता-पिताओं से बातचीत की और संदिग्ध बच्चे

के पिता से विशेष रूप से बातचीत की। इस प्रकार घर का विशेष रूप से सर्वेक्षण करने और अंडरग्राउड कैडर की पहचान करने के बाद वे संदिग्ध माता-पिता का विश्वास जीतने में सफल हो गईं।

दिनांक 29 जून, 2011 को उप कमांडेंट मैरी ह्रंगुल दुबारा उस घर में गईं और बच्चों को मिठाइयाँ दीं और उस मकान के अंदर जाने और बाहर जाने के रास्तों की टोह ली और उस मकान में अंडरग्राउंड कैडर की उपस्थिति की पुष्टि की।

स्थिति के महत्व और उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, उप कमांडेंट मैरी ह्रंगुल ने कुछ किलोमीटर की दूरी पर इंतजार कर रहे सैन्यदलों को तत्काल संकेत दे दिया। पुष्टि हो जाने के बाद सैन्य दलों ने मकान को घेर लिया और मकान में घुस गए। अंडर ग्राउंड काडर आश्चर्य चकित रह गया और शीघ्र ही उस पर काबू पा लिया गया।

पूछताछ करने पर उसने स्वयं को सार्जेंट मेजर लोइटोंगबाम सानोटोम्बा सिंह उर्फ चिंगलेनसाना, आयु 30 वर्ष, पुत्र कालीबाबू सिंह, निवासी लखीनगर, जिरीघाट बताया। वह रेवोल्यूशनरी पीपुल्स लिबरेशन (पीपुल्स लिबरेशनल आर्मी) का राजस्व अधिकारी था। वह व्यक्ति जिरीबाम और सिलचर क्षेत्र में जबरन धन वसूली की हाई प्रोफाइल गतिविधियों में लिप्त था। आगे और पूछताछ तथा तलाशी के परिणामस्वरूप 6,88,500/-रूपये (छह लाख अठासी हजार पाँच सौ) नकद और एक लैपटॉप जिसमें जबरन धन वसूली का ब्यौरा और अन्य अपराध संबंधी दस्तावेज थे, बरामद किए गए।

सार्जेंट मेजर लोइटोंगबाम सानोटोम्बा सिंह की गिरफ्तारी उस क्षेत्र में इस गुट की जबरन धन वसूली को भारी झटका थी।

इस मुठभेड़ में सुश्री मैरी ह्रंगुल, उप कमांडेंट (एस एम ओ) ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 29.06.2011 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 73-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जय किशन,
कांस्टेबल (मरणोपरान्त)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

दिनांक 14 मई, 2011 को कांस्टेबल जय किशन, कांस्टेबल योगेश सिंह और 'ई' कम्पनी के कांस्टेबल सतीश कुमार सहित सीमा जाँच चौकी, बुधवार जो कि अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है, के उत्तरदायित्व वाले क्षेत्र में नाका ड्यूटी पर थे। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र से भारतीय भूभाग में आतंकवादियों की घुसपैठ करने के कई प्रयास किए हैं और स्वयं गश्त लगाकार पाक की ओर से गोलीबारी रोकना एक नियमित प्रक्रिया है। कांस्टेबल जय किशन, नाका कमांडर, अपनी लाइट मशीन गन (एल एम जी) लिए हुए और घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए क्षेत्र की सावधानीपूर्वक जाँच करते हुए नाका नं. 1 के आगे उस क्षेत्र का अवलोकन कर रहे थे। लगभग 1925 बजे संभवत: किसी स्निपर द्वारा चलाई गई गोली अचानक उनके सीने के निचले हिस्से में लग गई। गंभीर रूप से घायल होते हुए भी इस बहादुर सिपाही ने असाधारण प्रतिबद्धता और लड़ाकू साहसिकता का प्रदर्शन करते हुए पाक चौकी चंदर और मकबूल, जहाँ से गोली चलाई गई थी, की दिशा में अपनी एल एम जी घुमाते हुए तुरंत गोलियों की बौछार कर दी। नाका कमांडर के रूप में अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने असहनीय पीड़ा झेलते हुए धैर्य बनाए रखा और सतत रूप से उलझाए रखना सुनिश्चित करने के लिए कांस्टेबल योगेश सिंह को लक्ष्य बताया। उन्होंने स्वयं अपनी एल एम जी से गोलीबारी जारी रखी और जब तक वे बेहोश नहीं हो गए तब तक उन्होंने पाक पोजीशनों को उलझाए रखा। विश्वसनीय आसूचना रिपोर्टों के अनुसार, लश्कर-ए-तैयबा के दो खूंखार उग्रवादियों में से एक, जिसने कांस्टेबल जय किशन पर गोली चलाई थी, कांस्टेबल जय किशन द्वारा की गई जवाबी गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गया था और बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

कांस्टेबल जय किशन के इस बहादुरीपूर्ण कृत्य से उत्साहित होकर उनके साथी कांस्टेबल योगेश कुमार ने भी पाक गोलीबारी के जबाव में भीषण गोलीबारी की। शुरू हुई इस जंग में एक अन्य पाक पोस्ट उमरानवाली ने भी हमारी सीमा जाँच चौकी, बुधवार और नाका स्थलों को लक्ष्य बनाते हुए नियमित अंतराल पर यूनिवर्सल मशीन गनों, लाइट मशीन गनों और अन्य स्वचालित हथियारों से गोलीबारी शुरु कर दी। कांस्टेबल जय किशन द्वारा आरंभिक त्वरित जवाबी कार्रवाई तथा हमारी सीमा जाँच चौकी बुधवार और अन्य नाका स्थलों द्वारा उचित जवाबी कार्रवाई के फलस्वरूप पाक पक्ष को जानमाल की भारी क्षति हुई और जैसाकि बाद में आसूचना जानकारियों

और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों से पुष्टि हुई इसमें दो पाक रेंजरों सहित तीन सिविलियन और दस मवेशी भी मारे गए थे।

कांस्टेबल जय किशन ने गंभीर रूप से घायल होते हुए भी पाक गोलीबारी का जवाब देते हुए असाधारण साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया और नाका पोजीशन को क्षतिग्रस्त करने और भारतीय भू-भाग में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया।

इस मुठभेड़ में (स्वर्गीय) श्री जय किशन, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 14.05.2011 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 74-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री वासुदेव,
उप निरीक्षक

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 28 नवंबर, 2008 को लगभग 12.15 बजे पुलिस अधीक्षक (आपरेशन), अनंतनाग ने श्री संजय कुमार, कमांडेंट, 40 बटालियन सी आर पी एफ को ग्राम- पंजगाम, थाना-अवंतीपुरा, जिला-अवंतीपुरा में उग्रवादियों के एक दल के मौजूद होने की सूचना दी। तुरंत ही ऑपरेशन की योजना बनाई गई और श्री अरूण कुमार मीना, 2-आई/सी की कमान के अधीन क्यू आर टी सहित कमांडेंट 40 बटालियन और लैंब अपूर्व की कमान के अधीन ए/40 की दो प्लाटूनें और पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) के साथ एस ओ जी अनंतनाग की टुकड़ियाँ स्थल की ओर चल पड़ीं, रास्ते में कमांडेंट, 40 बटालियन ने कमांड एलीफैंट संजीव सिंह के अधीन कमांडेंट 130 बटालियन को इसकी सूचना दी और कमांड डिप्टी कमांडेंट (आपरेशन)130 बटालियन, सी आर पी एफ के अधीन यूनिट क्यू आर टी भी उस गाँव के लिए रवाना हो गई। गाँव पहुँचने के बाद ए/40 बटालियन की टुकड़ियों को गाँव की घेराबंदी करने का निदेश दिया गया, जब 40 बटालियन की टुकड़ियों द्वारा घेराबंदी की जा रही थी, तभी उप निरीक्षक वासुदेव ने देखा कि दो

उग्रवादी गाँव के पिछले हिस्से की ओर से पास की घनी झाड़ियों की ओर भागने का प्रयास कर रहे थे। उप निरीक्षक वासुदेव और उनके दल, जो अभी भी क्षेत्र की घेराबंदी कर रहे थे, ने उग्रवादियों की आवाजाही को देखने के बाद दो उग्रवादियों को चुनौती दे दी। इसके प्रत्युत्तर में दोनों उग्रवादियों ने उप निरीक्षक वासुदेव और उनकी पार्टी की ओर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। यह वह क्षण था जब उप निरीक्षक वासुदेव और अन्य सुरक्षा कार्मिकों की जिंदगी मौत के साये में आ गई। उप निरीक्षक वासुदेव और उनके दल की ओर की जा रही गोलीबारी की आड़ में दोनों उग्रवादियों ने घेराबंदी को तोड़ते हुए भागने का प्रयास किया। किंतु उप निरीक्षक वासुदेव ने अपना साहस बनाये रखा और उग्रवादियों की गोलीबारी से बचते हुए तत्परता से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और उग्रवादियों पर गोली चला दी। उप निरीक्षक वासुदेव की तेज एवं जल्द जवाबी कार्रवाई से भाग रहे उग्रवादी रूक गए। घनी झाड़ियों वाला क्षेत्र रणक्षेत्र में तब्दील हो गया और लगभग 30 मिनट तक दोतरफा गोलीबारी चली। उग्रवादियों ने उप निरीक्षक बासुदेव की ओर गोलीबारी जारी रखी और उनके उपर ग्रेनेड फेंका जिससे वह बाल-बाल बचे। उप निरीक्षक वासुदेव की ओर उग्रवादियों की भीषण गोलीबारी के बावजूद उन्होंने अपना संयम नहीं खोया और अदम्य साहस एवं बहादुरी का परिचय दिया तथा अपनी जान की परवाह किए बगैर उग्रवादियों पर गोली चलाते रहे जिसके परिणामस्वरूप रहीस अहमद वागे- एल ई टी (पंजगाम निवासी) और अबू तलहा-एलईटी (पाकिस्तान निवासी) नामक दो उग्रवादी मारे गए। इस आपरेशन के दौरान एके-47 राइफल-02, मैगजीन-04, राउन्ड 22 एवं वायरलेस सेट-01 बरामद किए गए। 112/130/185 बटालियन, सी आर पी एफ/एस ओ जी अनंतनाग/55 आर आर एवं अवंतीपुरा पुलिस की टुकड़ियों ने भी क्षेत्र की घेराबंदी करके अहम भूमिका निभाई जिसके परिणामस्वरूप उग्रवादी भाग नहीं पाए।

इस मुठभेड़ में श्री वासुदेव, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 28/11/2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 75-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

01. मोहम्मद लतीफ, कांस्टेबल
02. खुर्शीद अहमद, कांस्टेबल

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 23/04/2010 को सायं करीब 5.10 बजे, उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त विशेष सूचना के आधार पर थाना: गंडोह, जिला डोडा (जम्मू एवं कश्मीर) में मनोई वन क्षेत्र के पास मुकरूलू में सिविल पुलिस, एस टी एफ, 26 आर आर, 76 बटालियन, सी आर पी एफ एवं 151 बटालियन, सी आर पी एफ द्वारा एक योजनाबद्ध संयुक्त अभियान शुरू किया गया। तलाशी के दौरान उग्रवादियों ने अचानक अत्याधुनिक हथियारों से सुरक्षा बल के दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के दल ने भी जवाबी कार्रवाई की, किंतु दल ठीक उस स्थान तक नहीं पहुँच सका जहाँ उग्रवादी छिपे हुए थे। इस प्रक्रिया के दौरान, दल ने क्षेत्र की घेराबंदी की, हालाँकि इस समय तक सूर्यास्त हो गया था और अंधेरा छाने लगा था। इस स्थिति को देखते हुए, कांस्टेबल/जीडी मोहम्मद लतीफ एवं कांस्टेबल/जीडी खुर्शीद अहमद ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बगैर साहस से काम लिया और उग्रवादियों के छिपने के स्थान पर धावा बोल दिया एवं इस पर रोशनी भी कर दी। उन्होंने उग्रवादियों के साथ गोलीबारी भी की। उनकी सावधानी एवं सूझ-बूझ के कारण सुरक्षा बलों ने अंधेरे में भी उग्रवादियों के छिपने के स्थान पर की गई रोशनी की सहायता से ठीक उनके छिपने के स्थान पर गोली चलाई। इसके बाद हुई मुठभेड़ में दो कट्टर हिजबुल मुजाहिद्दीन उग्रवादी नामत: तनवीर अहमद, पुत्र-शमसदीर निवासी, शोरन, मनोई गंडोह एवं यवर अजीज कोड अबू तोफील अंसारी पुत्र-शमसडिंग, निवासी शोरन, मनोई, गंडोह एवं यवर अजीज कोड अबू तोफल अंसारी पुत्र अब्दुल अजीज निवासी जकियास, गंडोह मारे गए और निम्नलिखित अस्त्र, गोला बारूद तथा सामान बरामद किए गए:-

एके-56 राइफल	-	1
एके मैगजीन	-	3
एके लाइव राउन्ड	-	28
चीनी पिस्तौल, मैगजीन सहित	-	1
डायरी	-	1

इस मुठभेड़ में श्री मोहम्मद लतीफ, कांस्टेबल एवं खुर्शीद अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 23.04.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 76-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री नवल सिंह,
उप निरीक्षक

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

उग्रवादियों की मौजूदगी के संबंध में दिनांक 5.10.2010 को विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त एवं एस डी पी ओ माहोर, जिला रीयसी द्वारा तैयार की गई सूचना के आधार पर 126 बटालियन के एस आई/जीडी नवल सिंह के नेतृत्व में एक संयुक्त घेराबंदी/तलाशी अभियान, थाना-माहोर, जिला- रीयसी के क्षेत्राधिकार में पथरिया, बोकार नार में पुलिस दल, 126 बटालियन, सी आर पी एफ द्वारा चलाया गया था । तलाशी के दौरान, उग्रवादियों ने घने जंगल की ओर से अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस दल पर अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। एस आई/जी डी नवल सिंह ने एक सच्चे सिपाही की तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर जवाबी गोलीबारी की। उक्त एस. ओ. उग्रवादियों की भीषण गोलाबारी के बीच छिपने के स्थान की ओर बड़ी ही युक्ति से आगे बढ़ा और बेहतर मोर्चे पर पहुँचने के बाद उग्रवादियों पर गोलीबारी की और दोनों उग्रवादियों को ढेर कर दिया। मृत उग्रवादियों की बाद में एच एम उग्रवादी मुस्ताक अहमद उर्फ कमांडो उर्फ इरफान (स्वयंभू जिला कमांडर) हिजबुल मुजाहिद्दीन, पुत्र जमालदीन, निवासी लार, थाना/तहसील-माहोर, जिला- रीयसी (जम्मू व कश्मीर) के रूप में पहचान की गई। उनके कब्जे से निम्नलिखित अस्त्र/गोला बारूद एवं अन्य सामान भी प्राप्त हुए:-

i)	एके -56 राइफल	- 2
ii)	एके मैगजीन	- 4
iii)	एके 56 लाइव राउन्ड	- 90
iv)	वायरलेस सेट	- 1
v)	बायनोकूलर	- 1
vi)	मोबाइल नोकिया 2700	- 1
vii)	मोबाइल जी-5	- 1
viii)	पाउच	- 1
ix)	पॉकेट डायरी	- 1
x)	डायरी	- 1

इस मुठभेड़ में श्री नवल सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 5/10/2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 77-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री संजय कुमार सिंह,
निरीक्षक

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

रेनिया क्षेत्र में पी एल एफ आई गुटों की मौजूदगी के बारे में ऑपरेशन संबंधी सूचना प्राप्त होने पर श्री बी के शर्मा, कमांडेंट-133 बटालियन एवं श्री प्रभात कुमार, पुलिस अधीक्षक खूंटी ने दिनांक 4/7/2008 को एक अभियान की योजना बनाई। अभियान संबंधी योजना के अनुसार रेनिया, थाना-खूंटी के प्रभारी अधिकारी सहित निरीक्षक संजय कुमार सिंह की कमान के अधीन 35 कर्मियों वाली जी/133 की दो प्लाटूनें एवं कामदारा, थाना गुमला के सिविल पुलिस घटक दिनांक 5/7/2008 को करीब 02.30 बजे छापा एवं तलाशी ड्यूटी के लिए चल पड़े। रेनिया से लगभग 20 किमी. की दूरी तय करने के बाद, करीब 04.30 बजे जब दल कोयलागढ़ गाँव के पीछे एक पहाड़ी के पास पहुँचा तो दल को पहाड़ी की चोटी पर कुछ फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। दल को पहाड़ी की चोटी पर नक्सलों के मौजूद होने का संदेह हुआ। संजय कुमार सिंह ने तुरंत उस क्षेत्र की पूर्व निर्धारित संकेतों से घेराबंदी करने की योजना बनाई। पुलिस दल ने क्षेत्र की घेराबंदी की और छापा दल ने निरीक्षक संजय कुमार सिंह की कमान में पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना शुरू कर दिया। संदेहास्पद नक्सलियों ने अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। दल ने शीघ्र ही मोर्चा संभाल लिया और दृढ़ता से जवाबी गोलीबारी की। दो तरफा गोलीबारी लगभग आधे घंटे चली। निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने पहल करते हुए संकल्प के साथ आगे से दल को नेतृत्व किया और गोलीबारी को कारगर ढंग से नियंत्रित किया। इस प्रक्रिया में निरीक्षक संजय कुमार सिंह की बायीं कोहनी में गोली लगी किंतु अपनी चोट की परवाह किए बगैर अनुकरणीय साहस और कार्य के प्रति निष्ठा का परिचय देते हुए आगे से अपने दल का नेतृत्व किया जिससे नक्सलियों को पीछे हटने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। मुठभेड़ रूकने के बाद घायल निरीक्षक संजय कुमर को प्राथमिक उपचार के लिए घटना स्थल से तोरपा अस्पताल ले जाया

गया। उसके बाद उन्हें आगे उपचार के लिए चॉपर से अपोलो अस्पताल राँची ले जाया गया । इसी बीच, कमांडेट बी.के. शर्मा, सहायक कमांडेंट आर.के. सिंह के साथ और अधिक सुरक्षा कर्मियों एवं अस्त्रे के साथ मौके पर पहुँचे। क्षेत्र की पूरी तलाशी के उपरांत एक शव पाया गया जिसकी पहचान नक्सल (पी एल एफ आई), सलमान होरो, आयु 25 वर्ष, निवासी, चलांगी, थाना-लापुंग के रूप में की गई। दो अन्य नक्सली काडरों नामत: दुर्गा सिंह, आयु 19 वर्ष, निवासी, जरिया, थाना-लापुंग एवं नीलू टोपनो, आयु-15 वर्ष, निवासी-पासम,थाना-रेनिया को गिरफ्तार किया गया। दो 9 एम एम पिस्तौल (इटली में बना हुआ), 9 एम एम पिस्तौल की 4 मैगजीन, दो 7.62 एम एम बोल्ट एक्शन राइफल, 7.62 एम एम बोल्ट एक्शन राइफल की 01 मैगजीन, 7.62 एम एम के 52 लाइव राउन्ड, 9 एम एम के 17 लाइव राउन्ड, 315 बोर के 12 लाइव राउन्ड, 9 एम एम का एक खोखा, 7.62 एम एम के 02 खोखे, बेल्ट सहित पिस्तौल का एक होलस्टर, 2 बंदोलियर, 3 मोबाइल सेट्स (नोकिया), नकद 9900 रू, पी एल एफ आई के 2 लेटर पैड, पी एल एफ आई के 25 पैम्फलेट, 4 प्रस्तावना पुस्तकें एवं एक बूस्टर, जिसका प्रयोग बारूदी सुरंग विस्फोट में किया जाता है, भी बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री संजय कुमार सिंह, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 5/7/2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 78-प्रेज/2012- राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. गंगा राम नाथ,
हेड कांस्टेबल

02. जुगल चन्द्र नाथ,
कांस्टेबल

03. इंदुकुरू पवन कुमार,
कांस्टेबल

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 20/10/2008 को एफ/170 बटालियन सी आर पी एफ की दो टुकड़ियों और बी/170 बटालियन सी आर पी एफ की तीन टुकड़ियों को एस आई/जी डी खालिद अहमद की कमान के प्रभार में मुडकपाल कैम्प से भोपालपटनम तक बी आर ओ की सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। तदनुसार, टुकड़ियाँ, सड़क के बायीं ओर से भोपालपटनम की दिशा में आगे बढ़ रही थीं। जब टुकड़ियों ने पैदल लगभग ढाई किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, तब करीब 11.45 बजे नक्सलियों ने सड़क के दायीं ओर से टुकड़ियों पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। टुकड़ियों ने भी जवाबी गोलीबारी की। लगभग 10-15 मिनट के बाद, नक्सलियों ने दोबारा टुकड़ियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया।

उक्त घटना में एचसी/जीडी जी.आर. नाथ, जिन्हें टुकड़ी संख्या 2 का टुकड़ी कमांडर बनाया गया था, को समुचित कवर/आश्रय नहीं मिल पाया था और नक्सलियों द्वारा चलाई गई एक गोली उनके दाएँ जंघे पर लग गई जिसके परिणामस्वरूप उनके शरीर से रक्त बहना शुरू हो गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे लगभग एक घंटे तक नक्सलियों पर गोलीबारी करते रहे और नक्सलियों को अपने पास नहीं आने दिया। इसी समय नक्सलिनयों ने उनके पास एक ग्रेनेड से विस्फोट कर दिया, जिसमें उनकी बायीं आँख, सिर, चेहरे पर बायीं ओर, गर्दन, बाएं हाथ और बायीं पसलियों पर गंभीर चोटें आईं। बुलेट और ग्रेनेड से घायल होने के बाद भी वे तब तक गोलीबारी करते रहे जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गये। तथापि, उनकी बहादुरी से नक्सलियों द्वारा अस्त्र एवं गोला-बारूद छीने जाने से बच गया। इस प्रकार, एचसी/जीडी/ जी.आर. नाथ ने अदम्य शौर्य, साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

चूँकि नक्सली अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे, इसलिए कांस्टेबल/ जीडी जुगल चंद्र नाथ, जो एक वृक्ष के पीछे राइफल-6 का मोर्चा संभाले हुए थे, ने नक्सलियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक नक्सली छिपकर उपर्युक्त कांस्टेबल/जीडी की ओर बढ़ने लगा। इसे देखकर उक्त कांस्टेबल/जीडी ने इस नक्सली पर 2-3 राउन्ड गोली चलाई। उपर्युक्त कांस्टेबल/जीडी की ओर बढ़ रहे नक्सली ने 3-4 और नक्सलियों को इशारे से बुलाया और उपर्युक्त कांस्टेबल/जीडी की ओर बढ़ने लगा। तथापि, कांस्टेबल/जीडी जुगल चंद्र नाथ ने तुरंत अपनी ओर आ रहे 3-4 नक्सलियों पर गोली चला दी। एक नक्सली तुरंत ही मौके पर ढेर हो गया। उसके बाद वह मृत पाया गया तथा बारह बोर वाली एक राइफल उससे बरामद की गयी। कांस्टेबल/जीडी जुगल चंद्र नाथ ने जवाबी गोलीबारी की तथा नक्सलियों द्वारा अस्त्रों एवं गोला बारूदों को ले जाने से बचाया तथा इस प्रकार अदम्य शौर्य, साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

नक्सलियों की ओर से हो रही अंधाधुंध गोलीबारी को देखकर कांस्टेबल/जीडी आई. पवन कुमार, जो राइफल संख्या 3 का मोर्चा संभाले हुए थे, ने तुरंत ही दूसरे वृक्ष के पीछे आड़ ली

और कांस्टेबल/जीडी नीरज शर्मा के साथ मिलकर नक्सलियों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। कांस्टेबल/जीडी आई. पवन कुमार ने एल एम जी संभाले कांस्टेबल/जीडी नीरज शर्मा से स्वचालित मोड से गोलीबारी करने के लिए कहा किंतु एल एम जी का स्वचालित मोड उस समय काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने केवल एक ही राउन्ड गोली चलाई। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ वर्दीधारी नक्सली उनकी ओर बढ़ रहे थे। नक्सलियों ने कवर के पीछे स्वयं को छिपा लिया था और उनकी ओर गोलीबारी शुरू कर दी। उस व्यक्ति ने भी नक्सलियों पर जवाबी गोलीबारी की और नक्सलियों को उनकी ओर नहीं आने दिया। अचानक ही नक्सलियों ने एक ग्रेनेड फैंका, जो उनके पास गिरा। ग्रेनेड का बेस प्लग कांस्टेबल/जीडी आई. पवन कुमार की दायीं आँख के नीचे लगा और छिटककर लगी चोट के कारण उनके चेहरे और आँख से रक्त बहने लगा। तथापि वे अपने साथी के साथ नक्सलियों पर गोलीबारी करते रहे। उन्होंने अनुकरणीय साहस और बहादुरी का परिचय दिया तथा अपनी चोट एवं जिंदगी की परवाह किए बगैर वीरतापूर्ण कार्य किया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री गंगा राम नाथ, हेड कांस्टेबल, जुगल चन्द्र नाथ, कांस्टेबल और इन्दुकुरू पवन कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 20/10/2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 79-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. प्रकाश रंजन मिश्रा,
    सहायक कमांडेंट
02. राम चन्द्र,
    हेड कांस्टेबल
03. सुरजीत सिंह
    कांस्टेबल

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

थाना-बिष्णुगढ़, जिला- हजारीबाग के अंतर्गत तिलैय्या गांव में सी पी आई माओवादियों द्वारा शहादत दिवस के आयोजन के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने के बाद आपरेशन रेड नामक एक विशेष आपरेशन कोड की योजना बनाई गई। योजना के अनुसार, श्री पी.आर. मिश्रा, सहायक कमांडेंट (अब डिप्टी कमांडेंट), ओ सी-डी/22 की कमान के अधीन डी/22 बटालियन, सी आर पी एफ को दो शक्तिशाली प्लाटूनें दिनांक 28/07/08 को लगभग 1600 बजे उस क्षेत्र की ओर रवाना हुईं। सौंपें गए कार्य को करने के लिए डी/22 की टुकड़ियों को तीन समूहों मे बाँटा गया। डी/22 बटालियन की टुकड़ियों के साथ-साथ, ए/22 बटालियन को भी नारकी गाँव में तैनात किया गया ताकि डी/22 की आवाजाही के बारे में नक्सलियों को भ्रमित किया जा सके। दूसरी ओर डी/22 ने निर्धारित समय की योजना अनुसार लक्षित क्षेत्र तक पहुँचने के लिए कई नक्सलियों का सामना करके घोर अँधेरे और भारी बारिश में घने पेड़-पौधों से होकर कच्चे रास्ते पर पैदल लगभग 10 किमी. की दूरी तय की। चूँकि श्री पी.आर. मिश्रा, सहायक कमांडेंट, नक्सलियों की कार्य प्रणाली से अच्छी तरह परिचित थे, जो समान्यतया उनके कैम्पों की दिशा में आने वाले मार्गों, छिपने के स्थान पर घात लगाते हैं और बारूदी सुरंग बिछाते हैं, इसलिए वे घने जंगल से होकर दुर्गम क्षेत्रों एवं अप्रत्याशित मार्गों पर अपने दल के साथ आगे बढ़े। पूरा दल घोर अंधेरे में तिलैय्या गांव के पास पहुँचा और रोशनी एवं ध्वनि की व्यवस्थाओं से स्पष्ट पता चल गया था कि नक्सलियों का समारोह चल रहा है। नक्सलियों को पूरी तरह आश्चर्य में डालने के लिए दल समारोह स्थल के और अधिक निकट तक गया ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके तथा छापे के लिए कार्रवाई करने का आधार स्थापित कर लिया। वास्तविक स्थिति और आगे की जाने वाली कार्रवाई के बारे में श्री पी. आर. मिश्रा ने दूरभाष पर कमांडेंट-22 बटालियन एवं पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग को सूचित किया। भेजे गए दलों को अवरोध एवं सुरक्षित दल के रूप में तैनात किया गया तथा छापा दल कई नक्सली संतरियों को धोखा देकर नक्सलियों के और पास आ गया तथा समारोह स्थल में प्रवेश किया। स्थिति का विश्लेषण करने के बाद, छापा दल ने मोर्चा बदल लिया और अपनी जान को पूरी तरह जोखिम में डालते हुए रेंगकर लक्ष्य क्षेत्र की ओर अधिक नजदीक आ गया क्योंकि नक्सलियों की गोलीबारी से बचने के लिए कोई कवर नहीं था। छापा दल अत्यधिक धैर्य एवं जोखिम के साथ, समारोह में मौजूद 300 से अधिक ग्रामीणों के वहाँ से हटने का इंतजार करता रहा। समारोह खत्म होने के बाद ग्रामीण वहां से हटे और उसके बाद नक्सली क्रियाकलाप और अधिक स्पष्ट हो गए। करीब 2315 बजे, चार नक्सलियों के एक समूह, जो गाँव की ओर आ रहे थे, ने शायद टुकड़ियों की मौजूदगी को भांप लिया। उसके बाद, ये चार नक्सली छापा दल की दिशा में मुड़े और बहुत सतर्कता से तलाशी शुरू कर दी। उनकी जान को अत्यधिक जोखिम होने के बावजूद श्री पी. आर. मिश्रा की कमान में छापा दल ने उच्च कोटि का आत्म अनुशासन दिखाया तथा संभावित दोतरफा गोलीबारी से सिविलियनों को बचाने के लिए बहुत ही धैर्यपूर्वक नक्सलियों को अपनी ओर आते देखता रहा। तथापि, नक्सलियों को टुकड़ियों की मौजूदगी का पता चल गया था और वे चिल्ला उठे, पुलिस,

मारो और छापा दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। चूँकि श्री पी.आर. मिश्रा, सहायक कमांडेंट छापा समूह के आगे थे, इसलिए कई गोलियों की बौछार उनके उपर से निकल गयी, किंतु वे बाल-बाल बच गये। सिविलियनों को हताहत होने से बचाने के लिए श्री पी. आर. मिश्रा, सहायक कमांडेंट अपनी जान को जोखिम में डालकर बिना किसी जवाबी हमले के गोलियों की बौछार के बीच नक्सलियों की ओर बढ़ते रहे। साथ ही उन्होंने छापा दल के अन्य सदस्यों को गोलीबारी के विरूद्ध कवर प्रदान करके उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए कहा ताकि वह गोलीबारी कर रहे नक्सलियों के और अधिक पास पहुँच सके। एचसी/जीडी राम चन्द्र ने छापा समूह के 3 कार्मिकों के साथ गोलीबारी के विरूद्ध कवर प्रदान किया और श्री पी. आर. मिश्रा, सहायक कमांडेंट और उनके पीछे कांस्टेबल/जीडी सुरजीत सिंह बिल्कुल प्रतिकूल स्थितियों में उत्कृष्ट/अनुकरणीय साहस एवं बहादुरी दिखाते हुए उन नक्सलियों के समूह की ओर रेंगते हुए आगे बढ़े जो गोलीबारी कर रहे थे। भीषण गोली-बारी वाले क्षेत्र के बीच बहुत ही नजदीक पहुँचने के बाद, श्री पी. आर. मिश्रा, सहायक कमांडेंट ने एक पुरूष नक्सली जो कमांडर प्रतीत हो रहा था और एक महिला नक्सली पर कई राउन्ड गोली चलाई। उन दोनों को श्री पी. आर. मिश्रा द्वारा की गई गोलीबारी से कई गोलियां लगीं और वे चिल्लाने लगे। इसके उपरांत, एक और महिला नक्सली को छापा दल द्वारा मार गिराया गया। श्री पी.आर.मिश्रा, सहायक कमांडेंट ने गोलियों से सिविलियनों को बचाने के लिए नक्सलियों पर गोलीबारी करते हुए पूरी सावधानी बरती। कई अन्य नक्सलियों ने भीषण गोलीबारी करके छापा दल के पास पहुँचने का प्रयास किया, किंतु छापा दल को हताहत करने में असफल रहे। नक्सलियों ने अगले दिन सुबह 0400 बजे तक गोलीबारी जारी रखी। संपूर्ण अभियान में मौत श्री पी.आर. मिश्रा सहायक कमांडेंट एवं कांस्टेबल/जीडी सुरजीत सिंह के आस-पास मंडराती रही जो कई गोलियों से बच गए। यह सच है कि छापा दल और अवरोधक दलों द्वारा जवाबी कार्रवाई के कारण कुछ और नक्सली गोलियां लगने से घायल हुए थे, किंतु वे घोर अंधेरे की आड़ में भागने में सफल हो गए। छापा दल बिल्कुल असुरक्षित था क्योंकि अलग-अलग दिशाओं से नक्सली उन पर गोलीबारी कर रहे थे किंतु श्री पी. आर. मिश्रा, सहायक कमांडेंट का अपने दल एवं फायर पावर पर पूरा नियंत्रण था। तथापि, वे सर्वाधिक असुरक्षित स्थान पर थे और किसी भी समय उसकी जान जा सकती थी किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया एवं पूरी मुठभेड़ के दौरान अत्यन्त साहस का परिचय दिया। इस अभियान में श्री पी. आर. मिश्रा, सहायक कमांडेंट, एचसी/जीडी राम चन्द्र एवं कांस्टेबल/जीडी सुरजीत सिंह ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अनुकरणीय साहस एवं अदम्य बहादुरी का परिचय दिया। श्री पी. आर. मिश्रा द्वारा दिखाए गए समर्पण, प्रतिबद्धता एवं नेतृत्व गुणों से आपरेशन रेड सफल हुआ जिसमें निम्नलिखित खतरनाक नक्सल कमांडर एवं झारखंड राज्य के कट्टर काडरों को उनके गढ़ में घुसकर मार गिराया गया।

i) कट्टर नक्सल निरंजन माँझी उर्फ चंदु मॉझी- उप जोनल कमांडर-30 वर्ष
ii) कट्टर नक्सल- नमिता मॉझी-25 वर्ष
iii) कट्टर नक्सल-ललिता माँझी उर्फ ममता-20 वर्ष

बरामदगी:-

क्रम सं.	अस्त्र/गोला बारूद एवं सामान का नाम	बरामद मदों की संख्या
01	7.62 एमएम एस एल आर	01
02	.303 बोल्ट एक्शन राइफल	02
03	7.62 एस एल आर मैगजीन	03
04	303 बोल्ट एक्शन मैगजीन	02
05	7.62 एमएम गोला बारूद	205 राउन्ड
06	303 गोला बारूद	102 राउन्ड
07	वायरलेस सेट	01
08	पिठू	04
09	भारतीय करेंसी रू. में	65000/-
10	महेंद्रा जीप, पंजीकरण सं. एम एच 06-डब्ल्यू 908	01
11	जनरेटर सेट 1.1 किलोवाट	01
12	एम्लीफायर	01
13	लाउडस्पीकर वायर	01
14	नक्सल बैनर एवं झंडे	158
15	7.62 एमएम चार्जर क्लिप	34
16	303 चार्जर क्लिप	10

इस मुठभेड़ में सर्वश्री प्रकाश रंजन मिश्रा, सहायक कमांडेट, राम चन्द्र, हेड कांस्टेबल और सुरजीत सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 28/07/2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 80-प्रेज/201-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एस. सलीम कुमार, सहायक कमांडेंट (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
2. नजीमुद्दीन हसीनुद्दीन, कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)
3. सतेन्द्र यादव, कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)
4. दिनेश कुमार, कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 21/11/2010 को जागरगुंडा थाने के अधीन आश्रमपारा, कुंदेर एवं मेट्टागुडा गांवों में बड़ी संख्या में सशस्त्र नक्सलियों की मौजूदगी के बारे में आसूचना संबंधी जानकारी पर कार्रवाई करते हुए श्री सलीम कुमार, सहायक कमांडेंट, सीआरपीएफ ने एफ/111 सी आर पी एफ एवं सी जी पुलिस घटकों एवं उनकी कमान के अधीन एस पी ओ के साथ मिलकर एक क्षेत्र प्रभुत्व अभियान चलाया। नक्सलियों के खतरे एवं कठिन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, दल के कमांडर श्री सलीम कुमार, सहायक कमांडेंट ने पूरे दल को चार टुकड़ियों में बाँट दिया और इसके अलावा एक त्वरित कार्रवाई दल (क्यू ए टी) को अपने साथ रखा। योजना के अनुसार, अभियान दल एफ/111 बटालियन, सी आर पी एफ कैम्प जागरगुडा से सुबह 7 बजे रवाना हुआ और दल की दो टुकड़ियां बायीं एवं दायीं ओर से एक युक्ति के साथ आगे बढ़ीं और दोनों टुकड़ियों के साथ त्वरित कार्रवाई दल भी था एवं दल का कमांडर, बेहतर कमांड एवं नियंत्रण के लिए बीच में चल रहा था। जागरगुडा से लगभग 6 किमी. की दूरी तय करने के बाद अचानक ही दल के आगे चल रही टुकड़ी सं. 01 पर पास की पहाड़ी की चोटी से भीषण गोलीबारी हुई। जब वह आश्रमपुरा एवं कुंदेर के बीच एक प्राकृतिक दर्रे से होकर जा रहा था, तब लगभग 100 सशस्त्र नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों को मारने एवं उनके अस्त्रों एवं गोले बारूद को लूटने के इरादे से घात लगा रखी थी। शीघ्र ही दल ने आड़ ली और जवाबी गोलीबारी की। श्री सलीम कुमार, सहायक कमांडेंट ने स्थिति का जायजा लेने के बाद टुकड़ी सं. 2 को दायीं और टुकड़ी सं. 4 को बायें एवं पीछे की

ओर कवर प्रदान करने तथा टुकड़ी सं. 3 को बचकर निकलने वाले मार्गों को बंद करने तथा जवाबी घात लगाने का निदेश दिया। चूँकि नक्सली लगभग आधे घंटे तक हम दल पर गोलीबारी करते रहे, इसलिए श्री सलीम कुमार, सहायक कमांडेंट ने घात को तोड़ने के इरादे से बगल में चल रही टुकड़ियों को नियंत्रित गोलीबारी से नक्सलियों का ध्यान बाँटे रखने का निदेश दिया तथा उन्होंने अपनी जान एवं सुरक्षा की परवाह किए बगैर नक्सलियों की भीषण गोलीबारी के बीच नक्सलियों के मोर्चे की ओर त्वरित कार्रवाई दल के साथ युक्ति से पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना शुरू किया। बहुत नजदीक पहुँचने के बाद श्री सलीम कुमार, सहायक कमांडेट ने नक्सलियों के मोर्चे पर गोली चलाना शुरू कर दिया तथा कांस्टेबल/जीडी नजीमुद्दीन एच. को भी एच. ई. बम दागने का निदेश दिया जिसने गोली की बौछार के बीच अपनी जान एवं सुरक्षा की परवाह किए बगैर खुले में मोर्चा संभाल लिया तथा अपने 51 एम एम मोर्टार से चार एचई बम दाग दिये जो प्रमुख नक्सलियों के बीच फटा जिससे नक्सली बड़ी संख्या में हताहत हुए और उनके मनोबल को भी धक्का पहुँचा। पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते समय और सभी दिशाओं से गोली की बौछार के बीच त्वरित कार्रवाई दल के सीटी/जीडी सतेन्द्र यादव एवं कांस्टेबल/जीडी दिनेश कुमार ने भी अपनी जान एवं सुरक्षा की परवाह किए बगैर नक्सलियों के मोर्चे पर गोलाबारी की जिससे नक्सली हताहत हुए। पुलिस दल द्वारा अप्रत्याशित जवाबी घात ड्रिल एवं साहसी कार्रवाई ने नक्सलियों को पीछे हटने के लिए बाध्य कर दिया और वे भारी क्षति के बाद 09 शवों को छोड़कर घने जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्र से होकर भाग खड़े हुए। घटना स्थल की तलाशी कार्रवाई के दौरान नक्सलियो के 9 शव और साथ ही .315 बोर की गन, एक 12 बोर की गन, 06 भारमर गन, एक देशी कट्टा, एक ग्रेनेड, पिग बम, तीन तीर/धनुष, 7.62 एस एल आर के 10 खोखे, 303 राइफल के 03 खोखे, 5.56 एमएम इनसास राइफल के 05 खोखे बरामद किए गए। मुठभेड़ स्थल से स्पष्ट संकेतों एवं रक्त के धब्बों के अनुसार यह माना गया कि और अधिक संख्या में नक्सली हताहत हुए थे जिनको वे घात स्थल से भागते समय साथ ले गए। पुलिस के अनुसार ये नक्सली सी पी आई (माओवादी) की तीसरी मिलिटरी कंपनी के थे, जो इस क्षेत्र में सक्रिय हैं।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री एस. सलीम कुमार, सहायक कमांडेंट, नजीमुद्दीन हसीनुद्दीन, कांस्टेबल, सतेन्द्र यादव, कांस्टेबल और दिनेश कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 23/11/2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 81-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. नलिन प्रभात,
उप महानिरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)

02. दिनेश पाल सिंह,
सहायक कमांडेंट (वीरता के लिए पुलिस पदक)

03. प्रवीण कुमार चौधरी,
सहायक कमांडेंट (वीरता के लिए पुलिस पदक)

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 3 जुलाई, 2008 की सुबह, एस ओ जी अनंतनाग की एक छोटी टीम 93 बटालियन सी आर पी एफ के कुछ घटक के साथ न्यायून बटपुरा के लिए रवाना हुई, जहाँ उनके साथ डी कंपनी, 130 सी आर पी एफ शामिल हो गई और (संदिग्ध) लक्षित घर की घेराबंदी की। उनके पीछे 182 सी आर पी एफ एवं 55 आर आर की टुकड़ियाँ भी आईं।

सी ओ 93, सी आर पी एफ ने उप महानिरीक्षक ओ पी एस, श्री नलिन प्रभात को आतिफ एवं अन्य पाकिस्तानी आतंकवादियों की पुष्ट मौजूदगी के बारे में सूचना दी। श्री नलिन प्रभात के गाँव पहुँचने तक छिपे हुए आतंकवादियों के स्थान की सकारात्मक रूप से पहचान कर ली गई थी। जो घर के आँगन में शौचालय के नीचे भूमिगत बंकर था। जब जम्मू व कश्मीर पुलिस एवं सी आर पी एफ कार्मिक ने लक्षित घर के आसपास से नागरिकों को हटाया, उसी समय चारों और से घिरे आंतकवादियों ने घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया किंतु असफल रहे और पुन: छिप गये।

ठोस बंकर में अच्छी तरह आराम से बैठे हुए आतंकवादियों को सुनिश्चित रूप से निष्प्रभावी बनाने के लिए जम्मू व कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने सी ओ 55 आर आर को हमला बोलने का निदेश दिया। तथापि, आर आर कोई जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए छिपने के स्थान के आसपास शौचालय पर छोटे अस्त्रों एवं क्षेत्र हथियारों से ही हमला किया। इस संकेंद्रित गोलीबारी की एकमात्र उपलब्धि यह थी कि शौचालय की दो दीवारें ढह गईं। लिन्टल स्लैब और अन्य दो दीवारें अभी भी सुरक्षित थीं।

चूंकि अभियान आगे नहीं बढ़ रहा था, इसलिए श्री नलिन प्रभात ने जम्मू व कश्मीर पुलिस को आर आर से अभियान का दायित्व लेने और एस ओ जी को अंतिम हमला करने के लिए भेजने की सलाह दी। करीब 1300 बजे सेक्टर कमांड पोस्ट (सीआरपीएफ कमांडो दल)

स्थल पर पहुँचा। चूँकि आर आर एवं जम्मू व कश्मीर पुलिस दोनों आगा-पीछा कर रहे थे, इसलिए श्री नलिन प्रभात ने वरिष्ठतम अधिकारी होने के नाते स्थिति को सुधारने का निर्णय लिया एवं नेतृत्व अपने जिम्मे ले लिया, सीआरपीएफ, आर आर एवं जम्मू एवं कश्मीर पुलिस से अपनी इच्छा से आगे आने का आह्वान किया। केवल दो सहायक कमांडेंट अर्थात श्री प्रवीण कुमार चौधरी एवं दिनेश पाल सिंह (दोनों सेक्टर कमांड पोस्ट के) ने ही इच्छा व्यक्त की।

तीनों अधिकारी आँगन में शौचालय की ओर गए और उनके पास न तो कवर था और न ही आवरण। अच्छी स्थिति में तैनात आतंकवादियों ने बंकर के ऊपर छिद्र से तीनों सी आर पी एफ अधिकारियों पर स्वचालित गोलीबारी की जिनसे उन्होंने अपने आपको बचा लिया। अपनी सुरक्षा एवं जान की तनिक भी परवाह किए बगैर वे छिद्र के पास पहुँचे और एक के बाद एक गोली बंकर में दागी। आतंकवादियों ने जवाबी कार्रवाई की, किंतु तीनों अधिकारियों ने छिपे हुए आतंकवादियों के सिर के ठीक ऊपर खड़े होकर बिना विश्राम किए लगातार गोलीबारी जारी रखी। उसके बाद श्री नलिन प्रभात ने श्री डी.पी. सिंह को बंकर में ग्रेनेड फेंकने का निदेश दिया जबकि उन्होंने एवं श्री प्रवीण चौधरी ने कवर प्रदान किया। बंकर से रूक-रूककर होने वाली गोलीबारी के बंद होने के बाद स्थल की तलाशी ली गई और मृत आतंकवादियों के शव बरामद किए गए जिनकी पहचान निम्नलिखित के रूप में की गई:

i) आबू आतिफ (दक्षिण कश्मीर का एल ई टी का डिवीजनल कमांडर)
ii) सैय्यद हैदर (एल ई टी आपरेटिव)-दोनों पाकिस्तानी

उनके पास से निम्नलिखित बरामदगियां की गई थीं:-

i)	एके 47 राइफल	-02
ii)	एके मैगजीन	-03(क्षतिग्रस्त)
iii)	चीनी हथगोला	-01(स्थल पर नष्ट किया गया)

आतिफ लश्कर का सर्वाधिक कुख्यात शीर्ष कमांडर था, जिसे जम्मू एवं कश्मीर के बाहर भी अभियान चलाने का अधिदेश दिया गया था। उसने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बेंगलूर तथा सी आर पी एफ ग्रुप सेन्टर, रामपुर, उत्तर प्रदेश पर किए गए हमले में भी सहायता प्रदान की थी।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री नलिन प्रभात, उप महानिरीक्षक दिनेश पाल सिंह, सहायक कमांडेंट और प्रवीण कुमार चौधरी, सहायक कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का द्वितीय बार/ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 03.07.2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 82-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री भूप सिंह,
कांस्टेबल (मरणोपरांत)

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

आई टी बी पी की 35वीं बटालियन और छत्तीसगढ़ पुलिस का एक संयुक्त क्षेत्र प्रभुत्व गश्ती एवं तलाशी अभियान, छत्तीसगढ़ के सामान्य क्षेत्र खूनेरा, जिला राजनंदगांव के जंगल में दिनांक 28.01.2011 को चलाया गया था। गश्ती दल में श्री अशोक कुमार यादव की एसी/जीडी की कमान में आई टी बी पी के जी ओ-1, एस ओ- 3, ओआर-69 थे और श्री वाई.पी. सिंह, ए एस पी (नक्सल आपरेशन), जिला राजनंदगांव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पुलिस में जी ओ-1,एसओ-04, ओआर-97 शामिल थे।

दल को दो समूहों में बाँटा गया जिसमें आई टी बी पी टुकड़ियों को दायीं ओर रखा गया और छत्तीसगढ़ पुलिस पार्टी बायीं ओर थी। वृहत रूप में प्रभुत्व गश्ती दल खुरेना के घने जंगल में आगे बढ़ रहा था और तलाशी कर रहा था। कांस्टेबल/जीडी भूप सिंह दल के स्काउट के भाग के रूप में आगे बढ़ रहे थे। करीब 1205 बजे अचानक बायीं ओर के दल के आगे से और इसके बाद विभिन्न दिशाओं से और अधिक गोलीबारी हुई क्योंकि नक्सलियों ने घात लगाकर हमला बोल दिया था। जब सुरक्षा बल नक्सली काडरों को घेरने की प्रक्रिया में थे, उसी बीच कांस्टेबल/जीडी भूप सिंह, 35वीं बटालियन, आई टी बी पी, दल के स्काउट ने नक्सलियों को जंगल के दूसरी ओर से आते हुए देखा। उन्होंने अन्य सदस्यों को तुरंत ही यह चिल्लाकर सचेत कर दिया कि " ये रहे नक्सली, इनको पकड़ो" और अपनी जान की परवाह किए बगैर गोलीबारी कर रहे नक्सलियों की ओर बढ़े। घात को तोड़ने के लिए टुकड़ियों के आक्रामक जीवट एवं पक्के इरादे ने नक्सलियों को भागने के लिए बाध्य कर दिया। मुठभेड़ के दौरान, नक्सलियों की एक गोली कांस्टेबल/जीडी भूप सिंह को उनके दायें कान के ठीक नीचे चेहरे के बायीं ओर लगी। चोट लगने की वजह से बहुत अधिक खून बह रहा था। प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें उस स्थान से उठाकर अम्बागढ़ चौकी में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इस

सर्वोच्च बलिदान द्वारा कांस्टेबल/जीडी भूप सिंह ने अपनी जान पर खेलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपना साहस एवं प्रतिबद्धता दिखाई। नक्सल की मौजूदगी के बारे में समय पर सतर्क होने और तुरंत ही जवाबी कार्रवाई करने से अभियान दल बेहतर स्थिति में आ गया जिससे न केवल कई अन्य व्यक्तियों की जिंदगी बची बल्कि सशस्त्र नक्सली हताहत हुए और उनको घने जंगल में भागना पड़ा।

घात वाले स्थल की दल द्वारा तुरंत घेराबंदी की गई और तलाशी की गई। इसके फलस्वरूप एक 303 खोखा, आई एन एस ए एस लॉट सं. केएफ-90 का एक खोखा, तीन नक्सली साहित्य, पी एल जी ए के पैम्फलेट बरामद किए गए, 19 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई, एक हीरो होन्डा सी डी डी एल एक्स मोटर साइकिल जब्त की गयी। एस आई बी रिपोर्टों के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान नक्सली हताहत हुए और एक महिला नक्सली की मौत की पुष्टि हुई।

इस मुठभेड़ में (स्वर्गीय) श्री भूप सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 28.01.2011 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 83-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, रेलवे सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री एस. एस. रामचन्द्र,
कांस्टेबल

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

श्री एस. एस. रामचन्द्र, बंगलौर सिटी आर पी एफ पोस्ट/दक्षिण पश्चिम रेलवे कांस्टेबल, यात्रियों की सुरक्षा ड्यूटी के लिए बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन के सामने आवाजाही वाले क्षेत्र में दिनांक 7.11.2011 को 1400 बजे से 2200 बजे तक तैनात थे। अपनी ड्यूटी करते समय करीब 15.10 बजे, कुछ यात्रियों ने उनसे शिकायत की कि उनके सामान कुछ अपराधियों द्वारा छीन लिए गए हैं। श्री एस.एस. रामचन्द्र तुरंत वहां पहुंचे और बचकर भागने का प्रयास कर रहे अपराधियों का सामना किया। श्री एस.एस. रामचन्द्र ने अनुकरणीय चुस्ती एवं साहस दिखाया

और दो अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल रहे। उनमें से एक अपराधी ने, श्री एस.एस. रामचंद्र की गिरफ्त से भागने के असफल प्रयास में चाकू निकाल लिया और श्री एस.एस. रामचंद्र, कांस्टेबल को भोंक दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये। किंतु वीर कांस्टेबल ने अटल एवं असाधारण धैर्य एवं बहादुरी का परिचय देते हुए उनको अपनी गिरफ्त में बनाए रखा। इसी समय पास खड़े भारतीय सेना के नायक नवतिंदर सिंह उनके बचाव में आगे गए और अपराधियों से लड़ते समय उनके सीने पर चाकू लगने से घातक चोट लगी। आर पी एफ अधिकारी नामत: उप निरीक्षक श्री जेड़. आर. खान एवं सहायक उप निरीक्षक श्री एच.जी. पठान, जो ड्यूटी पर थे, तुरंत घटना स्थल पर पहुँचे और श्री एस.एस. रामचंद्र एवं नायक नवतिंदर सिंह को रेलवे अस्पताल ले गए। आर पी एफ कांस्टेबल एस.एस. रामचंद्र को बाद में गंभीर स्थिति में अपोलो अस्पताल, बंगलौर ले जाया गया। यद्यपि, नायक नवतिंदर सिंह की अस्पताल पहुँचने पर घायल होने की वजह से मृत्यु हो गई, तथापि, आर पी एफ कांस्टेबल, रामचंद्र चाकू से घायल होने के बावजूद आश्चर्यजनक ढंग से बच गये।

उपर्युक्त घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302, 333, 307 के अंतर्गत बंगलौर सिटी रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला संख्या 129/2010 दर्ज किया गया। इस बीच (i) कुमार नायक उर्फ प्रदीप उम्र 20 वर्ष, (ii) सतीश कुमार उम्र, 23 वर्ष, (iii) एंटोनी उर्फ गुरू, उम्र -21 वर्ष और (iv) सूमा उर्फ सौम्या, उम्र 25 वर्ष नामक अपराधी गिरफ्तार किए गए।

आर पी एफ कांस्टेबल श्री एस.एस. रामचंद्र, उम्र 38 वर्ष का जन्म दिनांक 02.11.1972 को कर्नाटक के टुमकुर जिले के सोबागानाहल्ली गाँव में हुआ था। उन्होंने दिनांक 01.12.1998 को आर पी एफ में कांस्टेबल के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे चेन्नई (दक्षिण रेलवे), हुबली (दक्षिण-पश्चिम रेलवे) में नौकरी कर चुके हैं और इस समय दिनांक 24.06.2008 से दक्षिण पश्चिम रेलवे के बंगलौर सिटी आर पी एफ पोस्ट में तैनात हैं। विगत में उन्होंने कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करके रेलवे संपत्ति (विधिविरूद्ध कब्जा) अधिनियम के अधीन कई मामलों का पता लगाया है। आर पी एफ कांस्टेबल के रूप में, श्री एस.एस. रामचन्द्र को यात्री सुरक्षा के क्षेत्रों में तैनाती के लिए बहुत उपयोगी पाया गया था जिसे उन्होंने आपराधिक तत्वों से हमेशा मुक्त रखा। ड्यूटी की मांग को पूरा करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर भी कार्रवाई करते रहना उनके उच्च कोटि के साहस/बहादुरी की गाथा का बयान करता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद श्री एस.एस. रामचंद्र ने पकड़े गए अपराधियों को नहीं छोड़ा और उनसे तब तक लड़ते रहे जब तक कि उन लोगों ने उनके पेट में चाकू नहीं भोंक दिया और वे गंभीर रूप से घायल नहीं हो गये। श्री एस.एस. रामचंद्र द्वारा दिखाई गई बहादुरी ने न केवल बल के अन्य सदस्यों को प्रेरित किया है अपितु रेलवे की छवि में चार चाँद लगाया है और देश को गौरव प्रदान किया है।

इस मुठभेड़ में श्री एस.एस. रामचन्द्र, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 07/11/2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 84-प्रेज/2012-राष्ट्रपति, रेलवे सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मोहन लाल खिची,
उप निरीक्षक

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 22/04/2011 को श्री मोहन लाल खिची, उप निरीक्षक, आर पी एफ झाँसी स्टोर पोस्ट को आगरा से झांसी स्टेशन तक 5 स्टाफ के साथ ट्रेन संख्या 12616 अप जी टी एक्सप्रेस की एस्कोर्ट पार्टी का प्रभारी बनाया गया था। करीब 2335 बजे जब उक्त ट्रेन ने ग्वालियर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से चलना ही शुरू किया था, तभी एक अपराधी ने कोच संख्या एस-4 की खिड़की से एक महिला यात्री की सोने की चैन झपट ली और कोच संख्या एस-6 के दरवाजे पर खड़े श्री मोहन लाल खिची ने उसे बचकर भागने का प्रयास करते हुए देख लिया। श्री खिची ने अपराधी को खिड़की से सोने की चैन को झपटकर छीनते हुए और प्लेटफार्म को पार करके भागते हुए देखा। श्री खिची भी चलती ट्रेन से कूद पड़े और प्लेटफार्म के किनारे तक उसका पीछा किया। उन्होंने अकेले ही भागते हुए अपराधी को अपने कब्जे में कर लिया जिसने उनकी मजबूत पकड़ से भागने का भरसक प्रयास किया। अपराधी को नीचे लाने का प्रयास करते समय श्री खिची पर अपराधी के दूसरे सहयोगी ने प्रहार कर दिया। उन दोनों ने पत्थर फैंककर उप निरीक्षक खिची को घायल करने का प्रयास किया और यहाँ तक कि चलती जीटी एक्सप्रेस के नीचे धकेलने का भी प्रयास किया। एस्कोर्ट पार्टी के कांस्टेबल श्री आर.के. यादव, जो ट्रेन के पिछले हिस्से की ओर थे, ने उप निरीक्षक खिची के कंधे पर लगे बैज की चमक को देखा और अनुमान लगाया कि श्री खिची पर कुछ अपराधियों द्वारा प्रहार किया जा रहा है। उन्होंने ट्रेन की अलार्म चैन खींच दी और उप निरीक्षक खिची की मदद करने के लिए मौके पर पहुँचे। उस समय तक खिची बुरी तरह घायल हो गये थे और उनके सिर पर चोट लग गई थी। कांस्टेबल आर.के. यादव की मदद से उप निरीक्षक खिची अपराधी को गिरफ्तार करने में सफल रहे किंतु उसका सहयोगी गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

घायल होने एवं भारी रक्तस्राव के बावजूद श्री खिची ने स्थिति का बहादुरी से सामना किया और उस अपराधी को गिरफ्तार करने में सफल हुए जिसने एक महिला यात्री की सोने की चैन छीन ली थी। इस घटना के परिणामस्वरूप सुमित चौहान नामक अपराधी को जी आर पी ग्वालियर को सौंप दिया गया जिसने दिनांक 23.04.2011 को भारतीय दंड संहिता की धारा 394, 353, 294, 323, 506 एवं मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम की धारा 11 एवं 13 के अधीन मामला संख्या 46/11 दर्ज किया।

श्री मोहन लाल खिची, उप निरीक्षक आर पी एफ झाँसी स्टोर पोस्ट ने उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया और अपनी जान को जोखिम में डालकर चलती ट्रेन में एक महिला यात्री से छीनी गई संपत्ति को बचाया तथा अपराधी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

इस मुठभेड़ में श्री मोहन लाल खिची, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 22/04/2011 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

(अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 2012

विषय :--अंतर्राज्य परिषद् का पुनर्गठन।

सं. 7/1/2012-आई.एस. सी.--इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 7/1/2011-आई.एस.सी. दिनांक 27 सितम्बर, 2011 के अधिक्रमण में, अंतर्राज्य परिषद् आदेश, 1990 के परंतुक 2(डी) में निहित शर्तों के अध्यधीन प्रधानमंत्री ने अंतर्राज्य परिषद् की निम्नलिखित संरचना अनुमोदित की है :--

अध्यक्ष

डॉ. मनमोहन सिंह -- प्रधानमंत्री

सदस्य

(i) सभी राज्यों के मुख्यमंत्री

(ii) विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं विधानसभा रहित संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनिक।

(iii) छः केन्द्रीय मंत्री

(a) श्री प्रणव मुखर्जी -- वित्त मंत्री

(b) श्री शरद पवार -- कृषि मंत्री एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री

(c) श्री पी. चिदम्बरम -- गृह मंत्री

(d) श्री एम. वीरप्पा मोइली -- कारपोरेट मामले मंत्री

(e) श्री कमल नाथ -- शहरी विकास मंत्री

(f) श्री मुकुल राय -- रेल मंत्री

केन्द्रीय मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्थायी आमंत्रित सदस्य :

(i) श्री गुलाम नबी आजाद -- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

(ii) श्री सुशील कुमार शिन्दे -- ऊर्जा मंत्री

(iii) श्री एस. जयपाल रेड्डी -- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री

(iv) श्री सी. पी. जोशी -- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री

(v) श्री एम. के. अलगिरि -- रसायन एवं उर्वरक मंत्री

(vi) श्री सलमान खुर्शीद -- विधि एवं न्याय मंत्री

पी. जी. धर चक्रबर्ती

परामर्शी एवं अपर सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 2012

संकल्प

सं. 5(1)-बी(पी.डी.)/2012--आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2012-2013 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर 8.8% (आठ पाइंट आठ प्रतिशत) प्रतिवर्ष रहेगी। यह दर 01.04.2012 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू रहेगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं :--

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं)।
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ब्रजेन्द्र नवनीत

उप-सचिव (बजट)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 10th May, 2012

No. 43–Pres/2012- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Andhra Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. D. Narender Reddy
Reserve Inspector (PPMG)

02. N. Mohan Reddy
Reserve Sub Inspector (PPMG)

03. E. Lokesh
Police Constable (PPMG)

04. K. Chelli Babu
Police Constable (PMG)

05. K. Yadagiri
Head Constable (PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 14-12-10 credible information regarding assembly of 1st CRC Company of Maoists in Andhra-Orissa border area to commit action was received by SP, Vizag(R) and SIB. Greyhounds teams including the one lead by Sri D.Narender Reddy was detailed into operation. The terrain consisted of deep inaccessible remote and thickly forested areas.

On 17-12-10 the Greyhounds teams observed the military company consisting of 60 Maoists in Olive Green uniform armed with sophisticated weapons across river called Palaeru. The river being in spate only 9 members of the unit could cross with difficulty. The Maoists saw the team crossing the river and prepared to attack. The police party, with a determination to either arrest or neutralize moved tactically dividing into 3 teams of 3 each and asked the Maoists to surrender. Narender Reddy lead the main firing group, Mohan Reddy the right cutoff & AAC Yadagiri the left cutoff. The Maoists opened fire against the police team with automatic weapons like

AK-47, INSAS and LMG etc. Braving the bullets Shri D. Narender Reddy, N. Mohan Reddy and K. Yadagiri lead their team with exemplary commitment. During exchange Mohan Reddy received bullet injury in his lower abdomen. Along with the team leaders Chelli Babu and Lokesh advanced forward and continued the attack resulting in death of (4) hard core Maoists and recovery of weapons and other articles. The rest of the Maoist company managed to flee under cover of heavy fire. It has been subsequently learned that Chalpati, a Central committee member of Maoists, was also injured in the EoF. The following arms/ammunition recovered from Maoists:

INSAS Weapon- 01, .303 Rifle-01, Motorola Man pack-3, NVGs-02, Camera-01, Mines-02, DB-01, Transiter-01, Man pack Batteries-04, I pad-01, Grenade -02 and Literature etc.

In this encounter S/Shri D. Narender Reddy, RI, N. Mohan Reddy, RSI, E. Lokesh PC, K. Chelli Babu, PC and K. Yadagiri, HC displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17/12/2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 44–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Satyajit Nath
Addl. Superintendent of Police

02. Gokul Chetry
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

Shri Satvajit Nath, APS, Addl. Supdt. of Police, (HQ), Udalguri has been carrying out operational task in Udalguri since December2009 with immensde dedication and great enthusiasm combined with excellent psychological operations. Owing to his exemplary skills, he has been able to cultivate reliable sources and the officer has excellent intelligence network.

Based on specific input about the movement of NDFB (Ranjan Daimary group) militants at Majuli area under Udalguri PS on 16.3.2010 at 0315 hrs. Shri Nath conducted an operation along with SI R N Das and Major Sanjib Hariyal of 315 Field Regiment (Army) Multiple ambushes were laid as per input . At around 4.15 hrs ASP Shri Nath observed the movement of 2 bikes at a gap of approx 300-400 meters. When Sri Nath asked them to stop, the militants opened fire upon Shri Nath as a result of which a bullet was lodged in his Bullet Proof Jacket. Unnerved by this, he along with his PSO constable Gokul Chetry reacted spontaneously and fired back at the militants, Shri Nath demonstrated an extraordinarily high quality of courage and leadership at the time of crisis and remained unperturbed even in the face of intense gun fire and succeeded in holding the force personnel together and led retaliatory action by front. When gunfire stopped, a thorough search was conducted at the place of occurrence. Two militants were killed and one AK 47 Rifle with loaded magazine of 22 live rounds, 8 empty cases, one 9mm Pistol with magazine and two live rounds, one Chinese hand grenade other incriminating documents, mobile SIM cards etc were found from the slain militants. Others managed to escape due to the difficult terrain. Later on one was identified as SS Lt Kobhai @ Kumba Roro of NDFB (Ranjan Daimary Faction) who was involved in arms trafficking and recruitment of new cadres.

As an intelligence and responsible police officer, Shri Nath Himself generated the intelligence regarding the movement of the militants belonging to NDFB (RDF). He also demonstrated rare act of valour and high degree of responsibility when he himself led the operation from the front .

In this encounter S/Shri Satyajit Nath, Addl SP and Gokul Chetry, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16/03/2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 45–Pres/2012- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Chhattisgarh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Ankit Garg
Superintendent of Police **(1st Bar to PMG)**

02. Abhishek Pathak
Superintendent of Police (PMG)

03. Alok Tiwari
Company Commander (PMG)

04. James Ekka
Company Commander (PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded

In first week of September 2010, Shri Ankit Garg, Suptd. of Police, Mahasamund received intelligence inputs about movement of one military company of naxalites in the border of district Mahasamund. Considering the importance of the input shri Garg along with Shri Abhishek Pathak, Suptd. of Police, STF chalked out an elaborate plan to confront the naxalites and kept track of naxal movement.

On 09.10.2010, Shri Garg received progressive intelligence input related to presence of 65-70 naxalites in the forest area of village Padkipani & Ledgideepa, PS Sankara. He discussed the matter with SP STF Shri Abhishek Pathak & mobilized available force and the force was divided into two parts, one led by Shri Garg & Shri James Ekka , Company Commander and another led by Shri Pathak & Shri Alok Tiwari, Company Commander & briefed the troops meticulously as per plan. The first party moved toward village Padkipani and second party moved towards village Ledgideepa.

After reaching the spot and as per plan, the parties encircled the suspected Jungle area & started combing it. In the mean time, naxalites noticed the police party and fired rapidly on the police party. The police party instantly located the naxals and SP Garg & Jems Ekka led the police party from the front & charged the naxals effectively by firing & moving tactically towards naxals. But the heavy firing from top of hillocks by naxals posed serious danger to police party. At that movement Shri Garg exhibited exemplary bravery moved ahead by crawling and faced naxalites. From the other side Shri Ekka attacked bravely. Both officers encircled naxals & pined down few naxals in the gun battle. The gun battle ceased after 1 hour and then police party searched the area and recovered dead bodies of 03 armed naxalites, one 303 rifle, one 410 musket and two 12 bore guns from the spot along with ammunitions and landmine.

The police party led by Mr. Pathak tried to intercept the naxalites near the village. Shri Pathak advanced his party tactically and again they were challenged by the naxals by heavy firing. Shri pathak and Shri Alok Tiwari exhibited courage under fire and led their team effectively and engaged the naxals in gunbattle. The police

searched the area after cessation of firing and recovered dead bodies of four naxalites from the spot. Police also seized one SLR, one 315 bore gun, one 12 bore gun, one 410 musket, hand grenades, ammunition etc. from the spot.

The gallant police actions resulted in neutralization of deadly armed naxalites & led to recovery of arms of one SLR, one 303 rifle, two 410 muskets, three 12 bore guns, one 315 bore gun, hand grenades, landmine, ammunitions and other personnel items of naxalites. The seven dead naxalites were identified as members of 10th company of Dandkaranya Special Zonal Committee of banned naxalite outfit of CPI (Maoist). This encounter worked as a major set-back to the expansion of naxal influence in the district of Mahasamund. Shri Ankit Garg's and Shri Abhishek Pathak's pre operational preparation, planning and admirable courage and superb leadership during operations yielded this marvelous result.

In this encounter S/Shri Ankit Garg, SP, Abhishek Pathak, SP, Alok Tiwari, Company Comdr. and James Ekka, Company Comdr. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09/10/2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 46–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Haryana Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mahal Singh,
Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

While posted in Police Station, Mahesh Nagar, Distt. Ambala, on 29.11.2009, ASI Mahal Singh received a secret information regarding presence of four suspicious young boys near Tangri river. On receipt of information, ASI Mahal Singh quickly formed a police party to check the suspicious persons. ASI Mahal Singh alongwith police party reached the spot and tried to round up the suspicious boys, but they fired at the police party. A bullet hit ASI Mahal Singh as a result of which he sustained serious injuries, but without caring for his life he continued to chase these suspicious boys and also provided help to his colleagues. Ultimately the police party succeeded

in apprehending Mukesh, Harinder Gill @ Mintoo, Rakesh Kumar @ Raju and Deepak Kumar, Deepu @ Babli and recovered one country made pistol of .315 bore and one live cartridge from the spot. Later on two country made pistols and five live cartridges were also recovered at their instance from Sharanpur. A case FIR No.227 dated 30.11.2009 u/s 332/353/186/307/34 IPC & 25/54/59 Arms Act PS Mahesh Nagar was registered.

It is evident that ASI Mahal Singh without caring for his life had shown extraordinary courage in apprehending dreaded criminals involved in various crimes and also helped in saving the life of his team members.

In this encounter Shri Mahal Singh, ASI displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29/11/2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 47–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Haryana Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Suresh Kumar
Constable **(Posthumously)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

During the investigation of case FIR No.58 dated 16/04/2010 under section 379 IPC with Inspector Mukesh Kumar, SHO, Police Station, Kalka, on 24.08.2010 a secret information was received from reliable sources that accused (1) Amit @ Monu S/o Rattan Singh R/o Village Salva P.S. Sardhana Distt. Meerut(U.P), (2) Tej Singh @ Teja S/o Mani Singh R/o village Khadian P.S Parmanu Distt. Solan(HP) are moving in Panchkula, near Yavnika Park, Sector-5, Panchkula on a stolen motorcycle. After receiving the information, the control Room, Panchkula acted quickly and put all police stations/police posts/Nakas/PCR Vans and Riders on the alert to nab the criminals. The police party headed by Inspector Mukesh Kumar, SHO, Kalka including Constable Suresh Kumar reached the spot and saw the accused near Yavnika Park, Panchkula. On seeing the police party, both accused were tried to run away on the stolen motorcycle. Constable Suresh Kumar acted swiftly and he succeeded in catching one accused named Amit @ Monu struggled to

escape, but Constable Suresh Kumar did not let him. On this, Accused Amit @ Monu attacked Constable Suresh Kumar who as a result of stab on the left side of his chest, fell down on the spot. Constable Suresh Kumar was taken to hospital where the doctor declared him brought dead. Thereafter, one accused Amit @ Monu was arrested on the spot and the other accused Tej Singh @ Teja was arrested on 24.08.2010 from Bus stand, Pinjore, District Panchkula. In this way, Constable Suresh Kumar exhibited gallant action to catch the criminal and fight with him till the end of his own life. In this regard case FIR No.281 dated 24/08/2010 u/s 302/307/332/253/186/411/34 IPC P.S. Sector-5, Panchkula has been registered against above said accused. Constable Suresh Kumar had scarified his precious life in public interest with a view to apprehend the accused. This official had shown great dedication and sincerity towards his Govt. duties and set an example for other Police officers/officials to serve the general public.

In this encounter (Late) Shri Suresh Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24/08/2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 48–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Gurdeep Singh
Sub Inspector

02. Abdul Jabbar
SG. Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

Acting on an information about the presence of terrorists in Hyder Mohlla Khowjabagh Baramulla on 22.04.2008, a cordon and search operation was planned/launched by Police Baramulla with the assistance of troops of Army 46 RR in the said village . During the operation, police party came under heavy fire from the terrorists hiding in the house of Mushtaq Ahmed Fafoo.The police party took cover of the nearby houses/trees and retaliated. The task of evacuating the civilians who were trapped in the nearby houses was done by a police party comprising of SI

Gurdeep Singh and SGCT Mohammad Hussain and SGCT Abdul Jabbar who volunteered themselves for this job. Despite, heavy firing, the team managed to rescue all the people from the surrounding houses, though the terrorists continued firing indiscriminately. Thereafter, the operation party tactfully kept on firing systematically and exhibited courage and professionalism to reach in close proximity and without caring for their personal safety, they chased the terrorists and shot them on spot. The deceased terrorists were identified as Tanveer Ahmad Zargar @ Tan Khan S/O Ghulam Mustafa Zargar R/O Bagh-e-Islam Baramulla Self styled District Commander of HM terrorist outfit and Imtiyaz Ahmad Khan @ Aan Khan S/O Abdul Rashid Khan R/O Jamia Mohalla Baramulla of HM outfit who were active in the area for a long time and their killing was a great achievement for Police as these terrorists were wanted in many criminal cases. The following Arms, ammunition and other items were also recovered from the site of encounter:-

i)	AK 47 Rifle	-	01 No.
ii)	Mag AK 47	-	06 Nos.
iii)	AK Ammunition	-	13 rounds
iv)	Rifle Kala kaof	-	01 No.
v)	Satellite phone	-	01 No.
vi)	Pouch	-	02 Nos.

In this encounter S/Shri Gurdeep Singh, SI and Abdul Jabbar SG. Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22/04/2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 49–Pres/2012- The President is pleased to award the 2nd Bar to Police Medal for Gallantry/1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Mohd Arshad,
Superintendent of Police **(2nd Bar to PMG)**

02. Rajesh Kumar,
Inspector **(1st Bar to PMG)**

03. Omesh Thakur,
Sub Inspector **(PMG)**

04. Bikram Kumar, **(PMG)**
SG. Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 6th January, 2010 at around 1400 hrs, two terrorists attacked SHO Maisuma SI Zahoor Ahmad and his police party while they were carrying out frisking and checking duties in lal chowk area following the reports of specific inputs of terrorist attack in the city resulting into killing of his driver Foll. Mohd Yousuf who bravely resisted the attack but succumbed to the injuries on spot besides injury to CRPF constable and civilians.

On this SHO P/S Maisuma took shelter in his BP vehicle and challenged them with counter firing. To escape from firing, terrorists entered in near by Punjab Hotel, Lal Chowk and started indiscriminate firing followed by lobbing of grenades on his party and command post Lal Chowk of 132 Bn, CRPF. Because of this attack B.P. vehicle of SHO Maisuma got badly damaged. SHO Maisuma immediately called his jurisdictional SP (SP City East Srinagar) for rescue and reinforcement. On hearing the call of SHO Maisuma for rescue, SP City East Srinagar Sh. Vidhi Kumar Birdi, IPS rushed to the spot with a small police party and tactfully positioned himself with the police party near the Punjab Hotel where terrorists were holed up. SP City East and his police party were fired upon by terrorists in which they had a narrow escape. SP east and his party retaliated in self defence without caring for their lives and utilized nearby mobile BP bunker to evacuate trapped SHO Maisuma from damaged vehicle.

SP City East requested SSP Srinagar for reinforcement so as to repulse their attack and maintain law and order situation in Maisuma. Meanwhile, IGP Kashmir, Mr. Farooq Ahmad, IPS, DIG CKR, Mr. H.K. Lohia, IPS and SSP Srinagar Mr. Javid Riyza, IPS reached on spot with reinforcement. Since the area was densely built up with many hotels, offices, institutions and commercial complexes and many men, women and children were trapped inside the adjacent buildings, they gave orders for evacuation of all civilians trapped in the adjacent buildings. Since lot of civilians had to be evacuated, these officers personally evacuated civilians trapped inside adjacent buildings without caring for their lives. While evacuating them along with police escort they were fired upon by militants, however they had a close share.DIG CKR and SSP Srinagar directed SP City East to strengthen the cordon and illuminate the area around Punjab hotel. Accordingly SP East along with SHO Maisuma laid off the cordon around the Hotel Punjab and blocked lanes and by lanes with concertina wire and tactically placed hurdles around Hotel Punjab while

heavy firing was going on from terrorists. They illuminated the main gate of hotel Punjab by placing generator lit halogen at the end of by lane just in front of Main Gate of hotel Punjab and placed the cordon around with 29 Bn/132 Bn CRPF so as to prevent escape of terrorists taking advantage of darkness.

Since final operation was to be launched from a suitable position, SP, South Sh Mohd Irshad and DIG (Ops) CRPF South Kashmir, Sh. Nalin Prabhat, IPS along party of Police/180 Bn, CRPF physically cleared and occupied the buildings next to Punjab hotel. At about 1800 hrs, Diamond hotel was cleared and command post-cum-launching base was established. As it was getting dark and evacuation of civilians was in progress, the final assault was deferred to avoid civilian causalities. For the whole night Lal Chowk area remained cordoned off and intermittent heavy exchange of fire took place between Police/CRPF and terrorists. IGP Kashmir and IGP CRPF continued to supervise the whole operation from the spot. In the morning of 07 January, 2010 at about 0800 hrs the final operation was launched from the room at fourth storey of Hotel Diamond. Assualt team of J&K Police and CRPF was formulated which included Insp. Rajesh Kumar, SI, Omesh Thakur, SgCt. Bikram Kumar of J&K Police. While final assault against holed up terrorists was in progress, DGP J&K Shri Kuldeep Khoda, IPS arrived and monitored the operation from command post established at Hotel Diamond. The assault team negotiated across sloping CGI roof top of "Srinagar News" office building in between Hotel Diamond and Hotel Punjab traversing a length of 30 feet braving fear of terrorist firing from Hotel Punjab and danger of falling from height of fourth storey onto the ground from slippery roof top of corrugated CGI sheets.

Assault team breeched the side walls of Hotel Punjab and occupied the top floor forcing the terrorists to retreat a floor down wards. During intervention CT Sadanadan of 180 CRPF received bullet injury on his leg. Unmindful of grave danger to their lives assault team methodically soldiered down to the third storey of Hotel Punjab. Realizing the undoubting morale of assault team terrorist set fire in rear part of Hotel Punjab in frustration. The spewing smoke forced the assault team to retreat. While the assault team was negotiating its way across the roof top of "Srinagar News" office building the terrorists jumped a drop of 10 feet from rear side of Hotel Punjab upon roofing of "jacket' street on rear side of Hotel Punjab cushioned by CGI sheets in a bid to escape. Unmindful of slippery roof assault team engaged the terrorist and successfully neutralized them. Wooden flooring and ply board wall construction of Hotel Punjab posed great difficulty for the assault team but operation was concluded with minimal casualty and collateral damage. Fire initiated by terrorists got intensified and engulfed the entire building of Hotel Punjab and there was every apprehension that fire may spread to other buildings adjacent to Hotel Punjab. But timely intervention of fire tenders of J&K Fire and Emergency Services under the command of Sh.R.T. Dubey unmindful of dangers posed by explosion of unexploded grenades in the building extinguished the fire and thus prevented huge

collateral damage from happening. The following arms/ammunition were recovered from the site on encounter:-

i)	AK 47 rifle	-	01 No.
ii)	AK 57 rifle	-	01 No.
iii)	UBGL (thrower)	-	01 No.
iv)	AK Magazine	-	10 Nos.(05 Nos.damaged)
v)	AK Ammunitions	-	162 Rds.
vi)	Pouch	-	02 Nos. (damaged)
vii)	Grenade Chinese	-	01 No.

In this encounter S/Shri Mohd Arshad, SP, Rajesh Kumar, Inspector, Omesh Thakur, SI and Bikram Kumar, SG, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Medal/1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 07/01/2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 50–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Zubair Ahmad Khan,
Superintendent of Police

02. Mohd Murtaza,
Assistant Sub Inspector

03. Javid Ahmad,
SG, Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 31.5.2010 specific information regarding presence of two JeM terrorists in village Lalad Sopore, District Baramulla was developed by Police Baramulla. Accordingly an operation was planned by Shri Zubair Ahmed Khan, KPS, SP (OPS) Baramulla alongwith the police personnel of District Baramulla including Inspector

Mohammad Manzoor, ASI Mohammad Murtaza & Sg Ct Javid Ahmed and troops of Army 52 RR, 53 BN CRPF, 129 BN CRPF & 179 BN CRPF. After reaching the target village the area was cordoned-off in the early hours and a Police party led by Shri Zubar Ahmad Khan, KPS, SP (OPS) Baramulla, Inspector Mohammad Manzoor, ASI Mohammad Murtaza & Sergeant Javid Ahmad of District Police Baramulla proceeded towards the suspected house.

After locating the house Shri Zubar Ahmed Khan, SP (OPS) Baramulla tactically positioned the police party around the house and moved closer to the house. However, the terrorists hiding inside the target house noticed the presence of Police/Security personnel around and in order to escape from the house started indiscriminate firing on the Police party in which Shri Zubair Ahmed Khan, KPS, SP (OPS) Baramulla, Inspector Mohammad Manzoor and ASI Mohammad Murtaza and Sg Ct Javid Ahmad had a narrow escape as they quickly took positions and retaliated the fire on the fleeing terrorists. The police party led by Shri Zubar Ahmed Khan, displayed extra ordinary presence of mind & courage and without caring for their lives chased the two terrorists along with the Police party with the result the two terrorists could not escape. In the exchange of fire both the terrorists got killed who were later on identified as Dawood @ Rashid @ Yasir R/O PAK and Mavya @ Waseem @ Kaleem @ Naveedullah R/O PAK of JeM terrorist outfit. Arms/ Ammunition recovered from the site of encounter includes 1 AK 47 Rifle, 1 AK 56 Rifle with 4 magazines, 70 AK rounds, 2 hand grenades and 2 pouch. Case FIR No.238/2010 U/S 7/25 A.Act, 212 RPC stands registered in Police Station Sopre in this regard.

In this encounter S/Shri Zubair Ahmad Khan, SP, Mohd Murtaza, ASI and Javid Ahmad, SG Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31.05.2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 51–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Aijaz Ahmad Bhat,
Addl. Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 14-10-2008, on a specific information regarding presence of a terrorists at Khodi Surigam, Lola, a joint operations by SOG Kupwara with the assistance of troops of 28 RR was planned. The joint operational party under the supervision of Shri Aijaz Ahmad Bhat, Addl Supdt of Police Kupwara laid cordon around the target site during which the terrorists fired indiscriminately upon them. Shri Aijaz Ahmad Bhat having good experience in counter insurgency operations remained determined during the operation. He positioned his men in such a way that the terrorists did not find any chance to escape from the spot. On one hand, his men kept the terrorist busy while as on the other hand, Shri Aijaz without caring for his personal safety kept advancing towards the terrorist and succeeded in reaching his close proximity. The said terrorists on sensing it fire towards Shri Aijaz, however, the officer kept his nerves and retaliated the attack with highest degree of professionalism which resulted in the elimination of one foreign terrorists who was later on identified as Bilal Ahmad R/O PoK of LeT outfit. A huge quantity of Arms ammunition was recovered from the slain terrorists. In this regard, case FIR No. 48/2008 U/S 307 RPC, 7/27 A.Act stands registered in Police Station Sogam.

Shri Aijaz Ahmad Bhat, the then Addl. SP Kupwara meticulously planned the operation and volunteered to execute the operation by leading from the front without caring for his personal safety and exhibited raw and rare courage through a dare devil action with highest dedication and devotion towards the duty.

In this encounter Shri Aijaz Ahmad Bhat, Addl. Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14/10/2008

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 52–Pres/2012- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Imitiaz Ahmed,
Sub Inspector **(1st Bar to PMG)**

02. Ghulam Hassan,
Constable **(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

During the intervening night of 09/10-06-2009, a specific information about the presence of terrorists in the house of Zahoor Ahmed Ganie S/O Mohd Shaban Ganie R/O Gangerpora, was developed and the said village was cordoned off by Sopore Police at about 2200 hours. The operation party under the command of SI Imitiaz Ahmed after reaching the village cordoned the target house. Sensing the presence of Police personnel, the terrorists hiding in the house made various attempts to break the cordon to manage their escape. However, the Police team swung into action, tightened the cordon to plug the escape routes of terrorists. In the meantime, the army and CRPF were also called to join the operation and the cordon was further tightened by deployment of troops of Army 22 RR, 177 Bn and 179 Bn CRPF. In the wee hours, the search was started during which the search party came under heavy fire from the trapped terrorists. In order to evacuate the civilians trapped inside the target/nearby houses, the team headed by SI Imitiaz Ahmed alongwith Const Ghulam Hassan exercised caution and care and evacuated all the civilians from the target house as well as surrounding houses by putting their lives to great risk as the terrorists during the process of evacuation of civilians resorted to firing indiscriminately. Thereafter, SI Imitiaz Ahmed and CT Ghulam Hassan, exhibited highest level of professionalism, moved in very close proximity of the target house and succeeded in elimination of the two terrorists who were later on identified as Sher @ Qari R/O Pakistan and Mumtaz Ahmed Parry S/O Ali Mohd Parray R/O Peth Seer Sopore of HuM.

Arms/Ammunition recovered from the site of encounter included 02 AK-47 Rifle with 04 AK maganize, 23 AK rounds and one pocket diary. A case FIR No. 206/2009 U/S 307 RPC, 7/27 A.Act stands registered in Police Station Sopore in this regard.

In this encounter S/Shri Imitiaz Ahmed, Sub Inspector and Ghulam Hassan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10/06/2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 53–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ifroz Ahmed Mir,
Dy. Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On October 06, 2009 at about 1600 hrs, Shri Ifroz Ahmad Mir, Dy SP (Ops) Handwara, received a specific information regarding presence of top terrorists commanders in village Satkoji Zachaldara. The officer swiftly acted on the said intelligence and launched an operation with the help of small component of Police Personnel of SOG Handwara assisted by 01 PARA Army Unit. The operation team reached the said village in the evening hours and started moving towards the target site for laying cordon around the terrorists but due to darkness and presence of civilians in the area, no further action was taken. In the early hours of October 07, 2009, the operational personnel reached in the close proximity of the target site and in first instance, Dy.SP alongwith his men started evacuating the civilians to safer places. However, in this processes the terrorists opened fire but the Dy. SP without caring for his personal safety acted with courage and relentlessly continued the rescue operation of civilians. After the completion of rescue exercise by the Dy. SP and his men, the terrorists were asked to surrender, which they refused and lobbed grenades and fired volley of bullets on Dy SP Ifroz Ahmad, who was at a vulnerable position. Due to high battle tactics, Ifroz Ahmed Mir managed to save himself from the abrupt attack of terrorists and retaliated in crawling position. The terrorists were attacking the operation party by taking the cover of residential houses which made the task of operation party more difficult as it was to be ensured that no damage is caused to the lives/property of civilians. After observing that the terrorists are holding a huge quantity of arms/ammunition which could prove fatal, the officer, with the assistance of few associates, decided to advance towards the terrorists. On sensing the crawling movement of Dy. SP Ifroz Ahmad, terrorist launched massive assault on him and his party but due to great combating skills, the fire was retaliated by the officer and his men in a professional manner. The encounter continued for hours as the terrorists were holding enough quantity of ammunition. However, finally the Dy SP led his small component of operation personnel towards a place where from the terrorists could be easily neutralized and after covering the required distance, he positioned himself and launched massive assault on the terrorists and killed both the terrorists, later on identified as Huzaifa @ Abu Hatif R/O POK and Rehman Bhai R/O POK both 'A' category terrorists of LeT outfit.

Both the killed terrorists were active in the area of Rajwar and Ramhal of District Kupwara for a very long period and had spread a reign of terror among the

people and main stream political workers of the said area. These terrorists were involved in various subversive activities in the area and were a great threat for VIP's Security Forces and Police. Their killing was highly commended by the local masses of the area and lauded the role of local Police in the operation in general and Shri Ifroz Ahmed Mir in particular.

In this encounter Shri Ifroz Ahmed Mir, Dy. Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 07/10/2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 54–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Gh. Hassan Malik,
SG. Constable

02. Yousuf-Ul-Umer,
Constable

03. Mohd Shafi,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 20.07.2010, on a specific information regarding presence of terrorists in Village Hygam Police Station Sopore, a cordon and search operation was planned/launched by 52 RR & Sopore Police. The Police operational party was headed by Shri Ashiq Hussain Tak Dy SP operations Sopore and Army component was commanded by-Major Rakesh Rawat, Putkhah Company Commander. During the operation, the area was cordoned and presence of terrorists got established. The cordon was tightened by the deployment of joint troops of Army 52 RR & Police and no loophole was left for the escape of terrorists from the cordon.

During the exercise of cordon/search operation, the searching parties suddenly came under heavy volume of fire from a house which was under the scanner of

cordon and search party thereby, making the task of rescuing the civilians from the target house and from its adjoining houses more herculean. A small team of Police headed by Dy SP operations Sopore Sh. Ashiq Hussain Tak accompanied by Sgct Ghulam Hassan 151/Spr, Ct Mohd Shafi and Ct Yousuf-ul-umer became volunteer for the said job and were given cover support by Subedar Ramesh Chand. The rescue team of JKP by putting their life in great risk evacuated all the civilians trapped inside the target house as well as from the surrounding houses. During the entire rescue operation, the dreaded terrorists kept on firing indiscriminately upon the rescue party, however with great caution and care and by exhibiting high professionalism, all the civilians were successfully evacuated. Soon after the rescuing exercise got completed, the joint operation teams involved themselves in launching offensive against the holed up terrorists resulting in a long drawn gun battle. Since the terrorists were in possession of huge cache of arms/ammunition thereby, relentlessly fired upon the operational parties. Sensing the situation, Dy SP Ashiq Hussain, Sgct Ghulam Hassan, Ct Mohd Shafi and Ct. Yousf-ul-umer, gunnerNisar Ahmad Bhat and Lance Naik Sanjay Kumar started approaching the terrorists during which Army Jawan Lance Naik Sanjay Kumar received severe bullet wounds and succumbed to his injuries. However Dy SP Ashiq Hussain, Sgct Ghulam Hassan, Ct Mohd Shafi and Ct Yousuf-Ul-umer kept their morale high and pushed the terrorists hard with their inexorable fire retaliation and ultimately proved instrumental in the neutralization of two hardcore terrorists of HuM outfit who were identified as Numan R/O Pak Chief Commander/Finance Chief of HuM for North Kashmir range and Arif Mir R/O Adipora Sopore.

During the entire operation, Dy SP Ashiq Hussain, Sgct Ghulam Hassan, Ct Mohd Shafi and Ct Yousf-ul-umer of Sopore Police played a conspicuous role of bravery & ensured the safe evacuation of the innocent civilians. The selfless devotion to duty and matchless courage exhibited by these officers /officials led to the neutralization of two dreaded terrorists and resulted in successful culmination of the operation. The following arms and ammunition were recovered:

1.	AK -47 Rifles	:	02
2.	AK -47 Magazines	:	03 Nos
3.	AK-Ammn	:	18 Rds
4.	UBGL Thrower	:	01
5.	GPS	:	01

In this encounter S/Shri Gh. Hassan Malik, SG. Constable, Yousuf-Ul-Umer, Constable and Mohd Shafi, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20/07/2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 55–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Mushim Ahmed,
Dy. Superintendent of Police

02. Shamim Ahmed,
Sub- Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

Shri Mushim Ahmed, Dy. SP (OPS) Gool after cultivating a reliable source gathered information in a most meticulous and professional manner about the movement of one most wanted Pakistani terrorist in the Gool/Arnas area. After developing the information further, a well organized cordon and search operation was launched on 19th February, 2010 comprising of Special Operation Group (SOG) including SHO PS Gool and SI Shamim Ahmed. After reaching the suspected area in late evening, he divided the manpower into two groups. One with himself and other at the disposal of SI Shamim Ahmed so that the terrorist is not able to manage escape taking the advantage of the darkness. Finally, at 2130 hours movement of an unidentified/suspected person was noticed who was cautioned to stop and reveal his identity. Instead he opened a heavy volume of fire on the Police party as a result of which SPOs namely Mohd Ashraf, SPO and Mohd Mukhtiyar, SPO were seriously injured.

Meanwhile, the terrorist hided himself behind boulders lying in the Nallah. Shri Mushim Ahmed, Dy. SP(OPS) Gool instructed the other two officials to evacuate both injured SPOs and he himself alongwith SI Shamim Ahmed tactfully crawled upto the holed up terrorist. Both the officers by displaying tactical acumen and exceptional courage gunned down the holed up terrorist. The eliminated terrorist was later identified as Mohd Iqbal Aleem @ Abu Baker, Age 30 years, R/o 38 FB Area, 147, Block-14, Dastgeer, Karachi, Pakistan, Divisional Commander of Hizbul Mujahideen of Ramban. From the possession of the killed terrorist, 1 AK Rifle, 4 Magazines, 90 rounds, 1 Hand Grenades, 1 Radio Set, 2 Mobile sets, 1 Binocular and Indian Currency amounting to Rs. 23,786/- were recovered. The elimination of

the said terrorist has given a high relief to the locals of the area and also a major setback to the terrorist organization operating in the area.

In this encounter S/Shri Mushim Ahmed, Dy. Superintendent of Police and Shamim Ahmed, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19/02/2010.

(Barun Mitra)
Joint Secretary

No. 56–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Shakeel Ahmad Beigh
Senior Superintendent of Police

02. Mohd Yousif
Dy. Superintendent of Police

03. Abdul Jabbar
Head Constable

04. Ahsan-Ul-Haq
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

During the intervening night of 16/17-02-2010, a specific information was received regarding presence of terrorists in the house of Nazir Ahmed Parry S/O Ghulam Rasool Parra R/O Kachwa. The information was shared with Army 52 RR and operation was very meticulously planned. The operation was launched at about 0100 hrs. during the night. The cordon was laid by SOG Baramulla headed by Sh. Mohd. Yousif (Dy.SP. OPS) Baramulla and Army 52 RR. When the house was being cordoned off, presence of terrorists was confirmed in the target house. The operational party came under heavy volley of fire from the trapped terrorist. It was a Herculean task to evacuate the civilians trapped inside the target/nearby houses and thus for the rescue operation two parties were formed. One rescue party under the command and leadership of Sh. Shakeel Ahmed Beigh, SSP, Baramulla assisted by Head Constable Abdul Jabbar and the other under the command of Mohd. Yousif, Dy. SP (Ops), Baramulla and assisted by Constable Ahsan-Ul-Haq. The first team gave covering fire for protection and kept the hiding terrorists engaged in the gun battle, while as second team continued to rescue the civilians trapped inside the target house/adjoining houses. The operation was supervised by DIG NKR Baramulla and during the entire rescue operation the dreaded terrorists kept on firing indiscriminately upon the operation party. However, with great caution and care all

the civilians were successfully evacuated. The army has tightened the cordon. Maintaining a great co-ordination, both the parties (one headed by Sh.Shakeel Ahmed Beigh and the other headed by Mohd Yousif) reached very close to the target house, where the terrorists were holed up and finally the joint assault party of Police led by Sh.Shakeel Ahmed Beigh, SSP Baramulla, without caring for their personal safety, showing highest level of professionalism chased terrorists and constrained them to the kitchen of the house. The terrorists fired indiscriminately upon the assault party and lobbed grenades. Later on the assault party crawled and occupied the vantage point and retaliated the fire and in the gun battle two dreaded terrorists belonging to Jesh-e- Mohammed, outfit were eliminated. The slain terrorists were later on indentified as Sallah Ud DinWani S/O Ghulam Mohi Ud Din Wani R/O Khushalpora, Chinned Baramulla and Lateef Ahmed Wani S/O Ghulam Mohi Ud Din Wani R/O Mirangund, Nowpora Kreeri. The killed terrorists were dreaded and battle hardened. They were active in the area for a long time. Elimination of these two terrorists gave a severe blow to the Jesh-e- Mohammed and Lashker-e-Toiba outfits besides, adversely affecting terrorists morale in the general area of Baramulla. The following recoveries were made from encounter site:-

1.	AK 47 Rifles	-	02 Nos.
2.	AK Magazines	-	02 Nos.
3.	AK Ammunition	-	3 live cartridges
4.	Satellite phone (Throya)	-	01 (Partially damaged)
5.	Hand grenade Chinese	-	01 No.
6.	Wireless Set (Icom)	-	01 No.
7.	Wireless Antennae	-	01 No.
8.	Mobile Phone without SIM	-	01 (damaged)

In this encounter S/Shri Shakeel Ahmad Beigh, Senior Superintendent of Police, Mohd Yousif, Dy.. Superintendent of Police, Abdul Jabbar, Head Constable and Ahsan-Ul-Haq, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17/02/2010.

(Barun Mitra)
Joint Secretary

No. 57–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Rajiv Ranjan Singh,
Dy. Superintendent of Police

02. Arvind Kumar Singh,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On dated 30/07/09 a very important businessman of Ranchi named Lav Bhatia owner of 4 Hotels was kidnapped at about 10:00 PM by a kidnapper gang of Bihar & UP for ransom. Immediately F.I.R. was lodged by his parent at Lower Bazar P.S. case No. 168/09 U/S 364(A) and the hunt for kidnapper and for safe recovery of Lav Bhatia was started in night only in the able leadership of SSP Ranchi, Pravin Kumar. A raiding team was formed immediately under the leadership (i) Dy. SP Hatia Rajiv Ranjan Singh comprising ii) Inspector cum Officer in-charge Doranda Harishchandra Singh iii) Const Mantush Mahato iv) Const Arvind Kumar Singh v) Const Sudhir Kumar vi) Const Mohanti Mundari and vii) Const Ropana Oraon.

SSP Ranch, Pravin Kumar with the help of technical surveillance and SP Hazaribag, intercepted three criminals in Bahri, Distt. Hazaribag and then based upon the interrogation of those criminals immediately, the information about the criminals were given to Dy.SP Hatia to nab the criminal for the safe release of Lav Bhatia. Dy. SP Rajiv Ranjan Singh along with his raiding team encircled the suspected block of residential flats where abductors were hiding. One by one every flats were being opened and searched. During the search operation when one closed door of a flat was broken to open, the bullet started coming out upon the raiding party. The whole team led by Dy.SP Rajiv Ranjan Singh showed the exceptional courage and skill and fought with the abductors, who were equipped with semi-Automatic weapons, by putting their lives in danger. Despite the bullet injury of his bodyguard, Dy.SP Rajiv Ranjan Singh had not loose his courage and finally succeeded in making free the abducted businessman safely. During the exchange of fire three abductors were killed and huge quantity of semi-automatic Arms and ammunition have been recovered. Five Semi-Automatic pistol, one .315 Rifle and D.B.B.L gun, besides huge quantity of ammunitions were recovered. The work done by these police officers and policemen had enhanced the prestige of police not only in the Ranchi District but also in the State of Jharkhand.

In this encounter S/Shri Rajiv Ranjan Singh, Dy. Superintendent of Police and Arvind Kumar Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30/07/2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 58–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Karnataka Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. T.R. Puttaswame Gowda
Circle Inspector

02. Rajesh K
Armed Police Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

Sri Rajesh K. APC 169 is a District Armed Reserve Constable and has been working in ANF, Karkala since October 2005 on the direction of higher authorities for gathering intelligence reports regarding naxal groups in Ajekar PSL, on February 28, 2010, at 4 p.m. Sri Rajesh K. received information from reliable informants/ sources about the visit of some members of naxal group to Myroli, Ajekar PSL.

On this information the Udupi SP, Sri Pravin Madhukar Pawar directed the police to visit Myroli under the supervision of Karkala Dy.SP. Sri Santosh Kumar to plan combats and anti naxal operations. As per the action plan, a team consisting of 16 members started in a vehicle from Karkala ANF for action in the early morning at 0400 a.m. on 01.03.2010.

The team reached Pakkibailu at about 5.00 a.m. and from there headed towards Myroli through Paithala, Naarje, Kondadi, Morantebail. They reached Myroli at about 2.00 p.m. Here they decided to split into two groups. The first group headed by Sri Puttaswame Gowda and the second group headed by Sri Prasanna Kumar.

The team then formed ambush behind trees and rocks. At about 4.30 p.m. they noticed a lady and two men walking towards them. All the three were following each other at a gap of 10 feet. All the three carried guns and were wearing blue uniform. The team observed that the lady was searching for something but she did not find anything. She then returned back. All this happened within a span of few minutes.The police team confirmed the members of the banned naxal group with their uniforms and guns. Sri T.R. Puttaswame Gowda CPI, appealed them to surrender. On hearing the voice of the police team, the naxals spotted the ambush place and starting firing in that direction. The naxals shouted pro-Mao slogans. The CPI once again shouted to them to cease firing and surrender. But they continued their firing. With the firing from their side one constable Sri Rajesh K. sustained bullet injury on his right arm. With this bullet injury on the constable, the CPI, Sri T.R.Puttaswame Gowda ordered the team to fire back at the naxals for self defence. With this order injured constable Rajesh K. fired one round from his AK 47 weapon and T.R.Puttaswame Gowda fired nine rounds from his AK 47 weapon. Inspector R. Prasanna Kumar fired nine rounds from his AK 47 and PSI P.G.Sandesh fired eight rounds. In total 27 rounds were fired by the police team. In this encounter one naxal collapsed and the other two escaped. Both the escaping naxals continued firing, till they vanished in the forest. The dead naxal was identified as Vasantha@Ananda resident of Kuthlur village of Belthangady taluk, DK. He was one of the most wanted naxals involved in more than 22 cases in this region including the Idu encounter case in 2003. An SLR gun was recovered from him. On verification of the recovered SLR it was learnt that the weapon was robbed from a police personnel at Shringeri on 7-10-2004

After this constable Rajesh K. was immediately shifted to Karkala Govt. hospital for first aid and then later was admitted at KMC Manipal for 23 days for further treatment. A complaint was lodged at Ajekar PS in Cr No 15/10 U/s. 307/333.120(B), 121(A) read with IPC 34 and 3 & 25 Indian Arms Act, 10 & 13 Unlawful Activities Prevention Act by the CPI T.R.Puttaswame Gowda. The CPI also identified the two escaped naxals as Sundari@Geetha and Suresh @ Mahesha@ Pradeepa @ Tungappa @ Mahadeva.

In this encounter S/Shri T.R. Puttaswame Gowda, Circle Inspector and Rajesh K, Armed Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 01/03/2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 59–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Madhya Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Siddharth Choudhary,
Addl. Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

The Supdt. of Police, Distt. Bhind, to place an embargo on the nefarious activities and malicious movement of dacoit gangs and absconding criminals, formed a team of trusted, devoted, dedicated and hard working Police Officers under Shri Siddharth Choudhary, Addl SP Bhind . The relentless efforts and dedication bore fruits when a trusted informer intimated Shri Choudhary Addl SP at about 1030 hours on 10.11.2009 regarding the presence of 4-5 armed Badmashan in the ravines of Chambal river near abandoned village sapad of P S Phoop, District Bhind, with the intention to commit heinous offence. The information was conveyed to Insp Umesh Singh Tomar, SHO P S Phoop. Shri Choudhary, Addl SP immediately collected police force, called Insp A K Dixit SHO PS Dehat with his force and reached PS Phoop. All the force moved from PS Phoop and reached the abandoned village Sapad which was situated at a distance of 9 KMs in the North of PS Phoop. Here, vehicle was left and the force was divided into two parties. Party no.1 was led by Shri Siddharth Choudhary for searching towards north side of village Sapad and party no.2 under Insp A K Dixit was deputed towards east side as cut off party. As soon as, party no.1 moved ahead in the ravines of Chambal river by the side of an old well 4-5 unknown armed badmashan were seen at about 1500 hrs in the narrow path of ravines. Shri Choudhary and his party took position and challenged the badmashan to surrender, but they did not pay and heed to the challenge and opened indiscriminate fire on the police party led by Addl SP Shri Choudhary and Insp Umesh singh Tomar who saved themselves narrowly by adopting lying position. At this critical juncture, Shri Choudhary, gathered courage and instructed the force to fire in self defence. Taking great risk to their lives, Shri Choudhary moved ahead from right side and Insp Umesh Singh Tomar from left side and fired accurately with their 9 mm pistol on the attacking badmashan, with the result, a badmash fell down in the bushes with a cry. Another badmash was seen approaching and pouring bullets towards party no1, was immediately spotted by the Addl SP and Insp Tomar and they hit the badmash finally to bite the dust. Party No.2 gave covering fire which foiled the courage of other badmashan and they fled away taking advantage of ravines and bushes.

When the guns silenced, the spot of this fierce encounter was inspected, where dead bodies of two badmashan were found with one SBBL Gun, one 9 mm pistol and

one country made revolver. Live and empty rounds, mobile, cash Rs. 2,40,000/- and other articles of daily use were also recovered from the spot.

The shot dead badmashan were identified as under :

1. Dacoit Rambir Singh S/o Matadin Singh Sikarwar aged 36 years, resident of Bamhora, PS Endori district Bhind, carrying a reward of Rs.25000/-.

2. Dacoit Sanju S/o Sundar Singh Tomar, aged 25 years, resident of Kanch Mill Gwalior, Carrying a reward or Rs.7000/-

These dacoits were the active members of listed gang T-27, the Charna @ Charan Singh. They had committed series of heinous offences like murder, attempted murder, kidnapping, loot etc in district Sheopur, Bhind, Morena, Gwalior of MP, Agra of UP and Dholpur of Rajasthan area.

In this encounter Shri Siddharth Choudhary, Addl. Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10/11/2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 60–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Madhya Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Anil Sharma,
Superintendent of Police

02. Sher Singh,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 20.09.2010 at about 2200 hours, Superintendent of Police Datia Shri Anil Sharma received reliable information about the presence of notorious dacoit gang Madho Mishra near village Kheri Deota. It was also revealed by the information that

dacoit gang camping with the view of commit sensational kidnapping from Fatehpur side in the intervening night of 20th and 21st September 2010. Shri Anil Sharma Superintendent of Police Datia rushed to PS Tharet with available force in consultation with SHO Tharet Sher Singh chalked out the scheme and collected the available force from PS Tharet also. Accordingly to the scheme the Police force was divided into two parties.

One party lead by Superintendent of Police Shri Anil Sharma and second party of Shri Sher Singh SHO Tharet with very few available force were detailed to lay ambushes and arms, ammunitions with Dragon light were given to the Police parties.

As per reliable information Dacoit Gang Madho Mishra, along with five other dacoits is likely to come from "Digunwa" side to "Fatehpur Kheri Deota" road with the view to commit sensational kidnapping in the intervening night of 20th and 21st September 2010. Both the parties laid ambushes on the most probable routes of Dacoit. The ambushes were laid in 'U" shaped with the direction that on sensing the presence of Dacoit gang only Superintendent of Police Shri Anil Sharma will challenge.

On 21.09.2010 at about 0100 hours, Dacoit gang came in contact with police party lead by Superintendent of Police Shri Anil Sharma, who challenged the dacoits to surrender. On realizing the presence of police party the dacoits started incessant heavy fire on the police party. Shri Anil Sharma Superintendent of Police Datia alongwith police party also started firing on dacoits in self defence and kept on advancing towards gang of dacoits without caring for his life. The dacoits had taken a formidable defensive position and firing continuously on police party.

In the mean time Superintendent of Police Shri Anil Sharma sustained bullet injury in his left fore arm. SHO Shri Sher Singh and constable Shalendera Singh also sustained bullet injuries. Superintendent of Police Shri Anil Sharma did not care for his injury but he was very much careful for injuries sustained to SHO Sher Singh and constable Shalendra Singh and he started crawling forward so as to get nearer to the dacoits. Under these circumstances it required a person of tremendous moral stature, resolute, inspiring leadership, great valure and courage to face up to the situation which had become positively adverse. The hour found the man in his personal example and show of defiance refused to be cowed down and overawed by the situation. He faced the situation with renewed Gusto and Vitality.

The showering of bullets coming from the excellent Weapons of Dacoits Gang Madho Mishra and bullet injury caused in his left fore arm from the weapon of dacoits could not prevent the Superintendent of Police Shri Anil Sharma to fulfill the commitment for the achievement of the objective.

Shri Anil Sharma Superintendent of Police, jumped in the air and charged at dacoit leader Madho Mishra and others in the face of immense danger to his life in the showering of bullets putting his life in utmost danger and shot a gang leader Madho Mishra from close distance. Shri Anil Sharma, Superintendent of Police Datia killed gang leader Madho Mishra and other prominent gang leader Rajendra Khangar was also killed by police party. Other gang members managed their escape taking advantage of dark and small ravines.

In the glorious and memorable encounter the following gang leader and prominent member of the gang shot dead :-

1. Madho Mishra S/O Brindawan Mishra R/O Village Salon-B Police Station Pandokhar District Datia (MP) carrying a reward of Rs. 15,000/= on his head.

2. Rajendera Khangar S/O Hari Ram Khangar R/O Village Salon-B Police Station Pandokhar District Datia (MP) carrying a reward of Rs. 15,000/= on his head.

Excellent double barrel .12 bore factory made gun, live cartridges and empties recovered from the possession of dacoits gang leader Madho Mishra and one .12 bore barrel gun and live cartridges and empties recovered from dacoit Rajendra Khangar and one .12 bore single barrel gun recovered at encounter place.

In this encounter S/Shri Anil Sharma, Superintendent of Police and Sher Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21/09/2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 61–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Madhya Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Manohar Singh Verma,
Addl. Superintendent of Police

02. Pranay Nagvanshi,
Dy. Superintendent of Police

03. Rajendra Pathak,
Inspector

04. Sudhesh Kumar Tiwari
Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

The problem of Dacoity/Kidnapping for ransom in Gwalior District as well as Gwalior, Chambal Divisions of Madhya Pradesh and adjoining areas of Uttar Pradesh and Rajasthan had grown endemic, Inspite of all out efforts to root it out, new dacoit gangs keep emerging much to the misery of residents of these areas. The resulting insecurity hinders economic development as Investors/Industrialists opt out and invest elsewhere at the very mention of dacoity problem.

One such notorious gang led by dreaded dacoits Rajkumar Shrama and Rajnarayan Sharma carried on their depredations regularly in the region during the period 2007-09. In one such audacious and desperate act, the gang kidnapped a contractor Mr. Sharad Jhanwar, businessman Mr. Suresh Maheswari and one site engineer from Kanera Lift Irrigation Project carrying out the work in the limits of Police Station Ater, District Bhind, MP. It was not just demoralizing to all the persons associated with the project but was a big challenge to MP Government which is committed to development of MP while ensuring utmost safety and security of citizens.

During the intervening night of 23rd and 24th October, 2009 at around 00.15 hrs the Superintendent of Police, Gwalior received a reliable information to the effect that the dacoit Rajkumar Sharma and one of his associate are reaching Gwalior in the wee hours to purchase some fire arms. The SP immediately instructed Mr. Manohar Verma, Additional SP City (West) to start nakabandi and ensure checking of all incoming vehicles. Soon after, a thorough checking of all incoming vehicles started under the able leadership of Mr. Manohar Verma, Additional SP and Mr. Pranay Nagvanshi, City Superintendent of Police, Jhansi road Sub Division. The Gwalior City nakabandi plan envisages checking at 15 entry/exit points as well as 54 inner cordon points at important junctions.

It was then that the PS Kampu Police team arrived and on sighting the police vehicle, the dacoits started firing incessantly aiming at the police party. One shot hit the windscreen to the vehicle, barely missing the police. All the policemen then jumped out of the vehicle and took cover behind the cover of bushes.

The Addl. SP City (West) and the CSP, Jhansi road also reached the site and challenged the dacoit and asked them to surrender, but the dacoits did not relent. The dacoits continued firing aiming at the police with the intention to kill the policemen. The police were left with the Hobson's choice of firing in self defence.

ASI Sudhesh Tiwari who had already jumped out of the govt. vehicle made a bold and gallant move. Putting his life at utmost peril and setting an exemplary show of courage and fortitude, fired with his service pistol. Constable duo Jahan Singh and Surendra, going beyond the call of the duty, risking their lives provided cover in this move and fired gallantly with .303 rifles aiming in the direction of the dacoits. Addl. SP City (West) M.S. Verma, CSP, Jhansi Road Pranay Nagvanshi and Inspector Rajendra Pathak fired with their service pistols and effectively neutralized the challenge posed by the dreaded dacoits. Needless to say this well coordinated action, which was executed with lightning speed, ensured success.

When firing ceased, the search revealed that one of the dacoits was dead. He was identified as Rajkumar Sharma r/o Village Semrai, PS - Kheda Rathore, District Agra, Uttar Pradesh by ASI Sudhesh Tiwari, who knew him by face during his previous stint in District Bhind. The deceased dacoit is the kingpin of dreaded Pandit gang carrying a cash reward of Rs. 25000. The other dacoit was successful in running away under the cover of thick bushes and darkness. Police parties were sent out immediately to nearby areas to search for him. The Police parties of adjoining police stations were summoned to search for the other dacoit.

In this encounter, one .315caliber weapon, 5 empty shells, 9 live cartridges were recovered from the belt of the deceased dacoit. Search in the adjoining areas led to recovery to another .32 bore country pistol and 3 empty shells of .315 bore, 4 empty shells of .32 bore at a distance of 50 to 150 ft. were found scattered.

Six spent cartridges of .303 rifle and 12 shells of 9mm were also recovered at the spot. Out of which, 6 rounds of 9mm were fired by ASI Sudhesh Tiwari and two rounds each by Addl. SP City (West) Shri M.S.Verma, CSP, Jhansi Road Shri Pranay Nagvanshi and Inspector Rajedra Pathak.

One motor cycle Hero Honda Splendour that was being used by dacoits bearing Reg. No. MP 05 A 7826 was recovered from the site. It is pertinent to mention that the word 'POLICE' was written on the number plate. FIR NO. 421/09 under Section 307, 34 of IPC and Section 25, 27 of Arms Act was registered on the report of Inspector Rajendra Pathak in Police Station Kampu.

In this encounter S/Shri Manohar Singh Verma, Addl. Superintendent of Police, Pranay Nagvanshi, Dy. Superintendent of Police, Rajendra Pathak, Inspector and Sudhesh Kumar Tiwari, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24/10/2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 62–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Sagapam Ibotombi Singh, Sub Inspector

02. Ajay Prakash, Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 28/6/2011 at about 0030 hrs, on receipt of a reliable information regarding presence of some armed cadres of RPF/PLA in the general area of Naoremthong Khullem Leikai with an intent to carry out prejudicial activities like extortion from general public and to attack security forces at an opportune moment two teams of CDO/Imphal West District led by SI N Manikso Singh and SI S Ibotombi Singh rushed to the said area to nab the said armed cadres.

On reaching the said area, the two teams inspected the topography of the area along the lanes/by-lanes surrounding the area. Then, after identifying possible escape routes, the commandos started selective search of some suspected houses . The team of commandos led by Sub-Inspector N Manikso Singh started search operation of selected houses on the northern portion of the area adjoining the office complex of the Deputy Commissioner, Imphal West District while the team of Sub Inspector S Ibotombi Singh were conducting search operation of selected houses on the southern side, starting from the area adjoining Uripok-Kangchup road, proceeding on the northern side.

At about 1.30 am while the team led by Sub-Inspector S Ibotombi Singh was knocking at a front door of a house, later on established the owner as one R K Loidangtombi, daughter of R K Norendrosana, all of a sudden a man opened the door, came out and pushed out one of Commando personnel who was standing in front of door and fled away trying to evade arrest from the commando team towards eastern side. The Commando team shouted at him to stop , the man turned around and fired some rounds toward the commando team. Immediately, the commandos

also retaliated. After a lapse of about 2 minutes, regardless of their safety, SI S Ibotombi Singh in the front, closely followed by Rifleman Ajay Prakash advanced forward by crawling and tactically charged and fired towards the militant where incessant firing was coming from. SI N Manikso Singh and the other remaining personnel in the rear gave covering fire. When SI S Ibotombi Singh and Rifleman Ajay Prakash drew nearer, the militant who was taking position at the elevated bifurcation of the eastern courtyard was spotted. On seeing the shadowy figure with gun firing towards their direction simultaneously fired at the armed youth, who expired at the spot.

The militant was later on identified as Laishram Lincoln @ Nicolan Meitei (age about 40 years), s/o L Modhu of Kakwa Naorem Leikai, Imphal West an activist of the proscribed organization peoples Liberation Army (PLA) working in the rank of Sergeant Major . The following arms and ammunition were recovered from near the dead body:

1. 9 mm caliber pistol marked as SMITH & WESSON SPRINGFIELD, MA USA bearing No.VDF 1363 MOD 5906 alongwith its magazine
2. 9 Nos of live rounds of 9 mm caliber
3. 2 nos of Chinese hand grenade
4. 1 no of empty case of 9 mm caliber
5. 1 no of projectile of 9 mm caliber
6. 27 nos of empty cases of AK Rifle.

In the encounter that took place in the odd hours (mid night), the commando personnel, more particularly, Sub Inspector, S Ibotombi Singh and Rifleman Ajay Prakash exhibited courage and bravery of the highest order. Had Sub Inspector S Ibotombi Singh not acted in such an exemplary manner commanding his men properly, the militant might have not only escaped from his hide out but also caused serious casualties on the commando personnel who were laying trap to apprehend him. Rifleman Ajay Prakash also performed his duty with dedication to his duty as assigned by his commander showing his bravery and professionalism. In fact, both of them were successful in the acid test of their professionalism.

In this encounter S/Shri Sagapam Ibotombi Singh, Sub Inspector and Ajay Prakash, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28/06/2011.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

27—81 GI/2012

No. 63–Pres/2012- The President is pleased to award the 2nd Bar to Police Medal for Gallantry/1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**Sahab Rashid Khan, Addl. Superintendent of Police**	**(2nd Bar to PMG)**
02.	**Bajender Singh Tyagi, Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
03.	**Devesh Singh Sub Inspector**	**(PMG)**
04.	**Vikash Kumar Pandey, Sub Inspector**	**(PMG)**
05.	**Gajendra Pal Singh Sub Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
06.	**Ajay Prakash Tripathi Head Constable**	**(1st Bar to PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

Neeraj Singh was a hardened criminal on whom the Government of UP had declared a reward of Rupees 1,00,000/- He was wanted in sensational and gruesome murder of 02 constables and escape from police custody on 16.03.2010.

On being entrusted the task of arrest of Neeraj Singh to STF UP, Shri Naveen Arora, SSP STF constituted a team under the leadership of Shri Shahab Rashid Khan, Addl.SP. On getting definite and credible intelligence that criminal Neeraj Singh shall arrive on 03.05.2010 in Ansal Colony, Agra. Shri Naveen Arora with his team reached at Shaastripuram crossing Ansal Colony Agra at about 0330 hrs. Shri Naveen Arora constituted 04 teams respectively led by Shri Shahab Rashid Khan, Addl. SP, Shri Bijender Singh Tyagi, Inspector, Shri Arvind Kumar, HC and himself.

He briefed the strategy to arrest the Neeraj Singh and deployed the teams to their position. At about 0445 hrs. the informer identified a person coming on the road as dreaded criminal Neeraj Singh. Shri Naveen Arora challenged him to stop but he in turn daringly opened fire on SSP to kill him but the vigilant Shri Naveen Arora providentially escaped.

Shri Shahab Rashid Khan and his team mates also moved from their position to cordon the criminal but the clever Neeraj foiled their move and dared targeted firing upon them and abruptly jumped the road divider and took position. Shri Naveen Arora and Shri Shahab Rashid Khan with team mates SI Devesh Singh, SI Vikas Kumar Pandey, SI Gajendra Pal Singh, HC Ajay Tripathi using strategical field craft tactics, crawled towards the criminal Neeraj Singh who continued his incessant firing and kept shouting 'I had killed two policemen recently'.

Even as Neeraj Singh was firing indiscrieminately upon police personnel with a definite intention to kill them, Shri Naveen Arora kept his cool and encouraged the police party who displayed exemplary courage and valour and without caring for safety and security of their lives and limb strategically and gallantly and with an intention to arrest the criminal alive moved ahead in his firing range and resorted to restricted firing in their self-defence causing him to fell down, injured. After this fierce and arduous face to face encounter in the open with the criminal Neeraj Singh when vigilantly and closely seen, was found dead. The following Arms/ammunition were recovered :-

1. One pistol, 10 live cartridge and 03 empty shells of 9 mm bore
2. One country made pistol, 03 live cartridge and 03 empty shells of 315 bore

In this encounter S/Shri Shahab Rashid Khan, Addl SP, Bajender Singh Tyagi, Inspector, Devesh Singh, SI, Vikash Kumar Pandey, SI, Gajendra Pal Singh, SI and Ajay Prakash Tripathi, HC displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Medal/1st Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03/05/2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 64–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Vijay Prakash,
Senior Superintendent of Police

02. Triveni Singh,
Dy. Superintendent of Police

03. Anil Kumar,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

Aftab alias Shanu Boss was a hardened criminal on whom the Government of UP had declared a reward of Rupees fifty thousand. He was involved in more than two dozen cases of murder and other heinous crimes.

On 30.01.2011, during the course of intelligence collection in Bareilly Vijay Prakash, SSP STF received a precise input that the said Shanu Boss with his fully armed associates would go to Kanpur from Bareilly by a *i-10* car No. UP-78 BM-8150. On which two teams were formed. One team led by SSP Vijay Prakash and another by Dy.SP Triveni Singh. Both teams took positions 03 KM ahead of village Shivrajpur awaiting the said car. Around 0610 AM the car with 03 persons sitting inside was spotted. When intercepted, it raced away and turned north ahead of Sambhalpur turning on a narrow road. Vijay Prakash chased the car and as his vehicle tried to overtake it from the left notwithstanding the risk, his vehicle collided with the car which rammed into wooden logs by the roadside and stopped. The three criminals alighted from the car and took position behind the logs and the car. SSP warned them to surrender. In response, the criminals opened indiscriminate firing on police party. One of the bullets whisked past him and hit the door of the Govt. vehicle. Sensing the possibility of the criminals running away, SSP without any cover or position decided to arrest the criminals moving ahead, firing in self defence. Dy. SP Triveni Singh also advanced with SI Anil Kumar, warning the criminals to surrender and firing in self defence. One of the criminals took cover of the fallen logs and the other two behind the trees and were firing continuously on police parties. They were frequently changing the positions. In this encounter one of the criminal who was firing from the sitting position behind the logs was hit and as he was trying to escape, Shri Vijay Prakash pounced upon him on which his two associates fired heavily aiming at Shri Vijay Prakash, Shri Triveni Singh and Shri Anil Kumar SI.

Braving heavy firing they moved ahead, while two associates fled in the darkness. The injured criminal was identified as Shanu Boss who was rushed to the hospital where he died. 01pistol, 01 live cartridge and 15 empty shells of 32 bore , 06 empty shells of .315 bore recovered.

In this encounter S/Shri Vijay Prakash, Senior Superintendent of Police, Triveni Singh, Dy. Superintendent of Police and Anil Kumar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31/01/2011.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 65–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Vijay Bhushan,
Addl. Superintendent of Police

02. Girja Shankar Tripathi,
Inspector

03. Vijay Pratap Singh,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 04/06/2010 Shri Vijay Bhushan, Addl.S.P.Varanasi received an information that the movement of notorious criminal Santosh Kumar Gupta, having a reward of Rs. 1,50,000/- to commit some henious crime in Varanasi city area, immediately sprung into action. Shri Vijay Bhushan called Shri Girja Shankar Tripathi, Inspector Chetganj with his team, discussed plan to nab the criminals, organised two teams. Chawkaghat and Teliabagh Tri-Junction and both the teams were strategically, deployed for intensive vehicle checking.

At about 2400 hrs., one Maruti car coming from the side of City Railway station was sighted at Chawkaghat and as soon, the police team intercepted it to stop.

The criminals fired on police party and speeded towards Teliabagh tri-junction, getting this information, Addl. S.P., immediately moved towards Chawkaghat accompanying his team and when the speedily coming Maruti car neared them, Inspr. Chetganj strategically put Bolero car and restrained the Maruti car, to move ahead and Addl. S.P. skillfully covered him and frustrated criminals. Getting them surrounded by the police, they furiously opened firing on the police party and their indiscriminate firing shots pierced the wind-glass of Bolero car, entered in the seat. Addl. S.P. and Inspr. Chetganj, cautiously alighted from vehicles, took position behind a nearby temple and challenged the criminals to surrender, but they dared to continue firing on the police party. Addl. S.P. skillfully crawled towards the criminals to arrest them, but suddenly the criminals sighted them, opened incessant firing. In this situation Addl. S.P. was undeterred and he dauntlessly led the attack, against this offensive of the criminals, with indomitable courage and with his illustrious leadership, launched a crusade against criminals and he, himself and followed by Inspr. Chetganj, Shri Amresh Kumar Singh Baghel, S.I. and Shri Vijay Pratap Singh, Const. displaying gallant act of bravery and risk to their life and moved ahead, in the firing range of criminals and challenged them with restrained firing in self-defence, causing the criminals to scream and fell down, injured. Both the Criminals were later declared dead. One of the criminal was identified to be above-said criminal Santosh Kumar Gupta and another criminal was identified as dreaded criminal Santosh Singh. Following arms/ammunition were recovered:-

1. One pistol made in USA, 09 cartridges and 17 empty shell of .450 bore
2. One pistol factory made, 05 cartridges and 07 empty shells of 9 mm bore

In this encounter S/Shri Vijay Bhushan, Addl. Superintendent of Police, Grija Shankar Tripathi, Inspector and Vijay Pratap Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04/06/2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 66–Pres/2012- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Deepak Kumar,
Asstt. Superintendent of Police (PMG)

02. Vijay Bhushan,
Addl. Superintendent of Police (1st Bar to PMG)

03. Samarjeet Singh,
Sub Inspector (PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 21.12.2008, Shri Vijay Bhushan, Addl.S.P.Ghaziabad received an information that the movement of notorious dacoit Neeraj Gupta and Pawan Yadav, having a reward of Rs 10,000/- each, to commit some henious crime in Vasundhra area, immediately sprung into action. Shri Vijay Bhushan, Addl.SP informed to Shri Deepak Kumar, Asstt.SP, Shri Samarjeet Singh SI/S.O.,Indirapuram, S.O.Pantnagar, Uttrakhand and closed them with available police force and sharing this information, organized two teams. First team was headed by Sri Samarjeet Singh, S.I. and second team was headed by Addl.SP and ASP, themselves and police teams, under their command, reached, at Police Out-Post Vasundhra, on CISF-Vasundhra Road, at about 2150 hrs. Addl.SP and ASP, inspected the place and strategically deployed the teams and positioned themselves, at the Out-Post and started checking of vehicles.

A speeding motor-cycle with two riders, was seen arriving from the CISF side, at about 2335 hrs. and when it arrived closely, they were identified by the informer, to be wanted criminals and when police party signaled them to stop, motor-cycle riders, though slowed it down, but, the tricky criminals, daringly and abruptly opened fire, towards the police party to kill, which, the police party escaped providentially. Shri Vijay Bhushan, Addl.SP, Shri Deepak Kumar, ASP and police teams, under their command promptly, cordoned at Police Out-post, to restrict the movement of criminals. The crafty criminals-duo, suddenly, tried to turn their motor-cycle, to move speedily, towards Sector-5, but, the motor-cycle slipped. Criminals abandoned it and took position behind the near-by brick-earth heaps and intensified incessant firing offensive, in which one such burst passed the ear of Shri Vijay Bhushan and he was thrilled but escaped. In the spate of dreadful firing offensive of Criminals, just in front and sensing the safety of police team in jeopardy, Addl.SP and Shri Deepak

Kumar, ASP, were determined to arrest the criminals alive and were undeterred. They displaying the highest order of leadership, dauntlessly led the attack and alongwith Shri Samarjeet Singh SI, moved ahead with field-craft tactics, in their firing range and resorted, firing, in their self-defence, causing, the criminals, to fell down, injured at about 0025 hrs. and when seen closely, both were found dead, in this arduous face to face combat, in the open. The following arms/Amn recovered from the criminals:-

1. One pistol factory made automatic made in USA-01, live cartridge and 01 empty shell of .32 bore.
2. One country made pistol, 04 live cartridges and 01 empty shell of 315 bore

In this encounter S/Shri Deepak Kumar, Asstt. Superintendent of Police, Vijay Bhushan, Addl. Superintendent of Police and Samarjeet Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22/12/2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 67–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Ravinder Nath Rai,
Sub Inspector

02. Brijesh Singh,
Constable

03. Yogendra Kumar,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 25.05.2010 while SO Ghazipur with his police team was patrolling, he met the team of anti extortion cell at Khurramnagar crossing and was discussing about

some incident. During the discussion an important input received that dreaded dacoit Bichauli (carrying reward of Rs 1,00,000) is present in the rubbles of water tank on the road from picnic spot to Gudamba via forest and is planning to commit some sensational crime. Trusting this information three teams were instantly formed. The first team was led by SO Ghazipur, second by SI Ravindra Nath Rai and the third one by SI Ram Murti Yadav. After proper briefing, the teams left Khurramnagar crossing at 2120 hrs. for the place told by the informer. First team led by SO Ghazipur took position at East-North gate, the second team led by SI Ravindra Nath Rai at North-West gate and the third team was kept in reserve to give cover. As SO Ghazipur was about to enter in the rubbles, he heard the footsteps of criminals. He enquired as to who they were. On this the criminals started indiscriminate firing on the police party. A bullet fired by the criminals hit the bullet proof jacket of the SO, he immediately directed second team to take position and challenged criminals to surrender. Criminals gave no heed to warning and continued firing. SI Ravindra Nath Rai, Constable Brijesh Singh and Yogendra Kumar etc. of the second team fired in self defence. The bullet fired by the criminals hit the bullet proof jacket of SI Ravindra Nath Rai, Const. Brijesh Singh and Const. Yogendra Kumar had narrow escape. Police party continued to approach the criminal firing in self defence without caring for their own lives. During this dreaded dacoit Bichauli was shot dead. The following Arms/Ammn recovered from the dacoit:

1. One rifle factory made, 03 live cartridges and 10 empty shell of 315 bore.
2. One rifle country made 315 bore.
3. One pistol, 15 live cartridges and 05 empty shell of 7.65.

In this encounter S/Shri Ravinder Nath Rai, Sub Inspector, Brijesh Singh, Constable and Yogendra Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25/05/2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 68–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Ravinder Kumar Vashist,
Sub Inspector

02. Wakil Ahmed,
Constable (Posthumously)

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 30-11-05 at 0710 hrs. Shri Ravinder Kumar Vashisht, S.I./Incharge Special Operation Group, Bagpat received an information about hardcore criminal Dharmendra along with three companions, they were hiding nearby village and going at 0820 hrs. by Train from Badka Railway Station. Information came from very reliable informer, so Shri Vashisht with his police party Const. Wakil Ahmed, Const. Nitendra, Const. Yogendra immediately moved to PS Baraut for additional force, but Inspector was not present there. In absence of SHO and need of immediate action SOG I/C Shri Vashisht immediately proceed along with his police team and informer to Badka Railway Station. They reached at Badka Railway Station and hide themselves and wait for criminals. After 15 minutes four persons were coming towards south. Looking them, informer identified them and told that all were having arms and ammunition. Shri Vashisht directed the police party to arrest the criminals. As criminals near to police party, SOG team came out of hidden place, surround them and challenge to surrender. At once criminals fired on police party with intention to kill. One fire from the miscreants hit right leg of Shri R.K. Vashisht. He injured SOG Incharge and his party proceed towards criminals to arrest them. As they reach near to criminals, Const. Wakil Ahmed caught one criminal named Parvendra. Same time hardcore criminal Dharmendra fired on Const. Wakil Ahmed. Const. Wakil Ahmed seriously injured and fell down. SOG Incharge Shri Vashisht seeing the constable injured sensed a situation of do or die, Shri Vashisht along with his police team retaliate firing in self defence without caring his life. In this fierce and face to face encounter hardcore criminal Dharmendra was shot dead and 01 pistol country made, 02 live cartridges and 01 empty shell of 315 bore recovered. However, three criminals escaped.

In this encounter S/Shri Ravinder Kumar Vashist, SI and (late) Wakil Ahamed, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30/11/2005.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 69–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Rifles:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Fateh Singh,
Naib Subedar

02. K. Surendro Singh,
Rifleman

03. L. Amarjit Singh,
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded

After a prolonged cultivation of intelligence for a month, on 13/14 May, 2010 real time information was received by major S Kartik Raja regarding move of 08-10 armed hardcore terrorists in the reserve forest area of Khambathel.

As planned multiple patrols were launched to seek contact. One of the teams launched was under command Naib Subdedar General Duty Fateh Singh. As the team advanced, at around 0025 hours on 14 May 2010 they came under heavy fire from the terrorists. Rifleman General Duty K. Surendro Singh, buddy of Naib Subedar General Duty Fateh Singh reacted immediately with quick reflexes and dived on to the Junior Commissioned Officer and pushed him to a side for cover. Then displaying aggressive spirit the fearless soldier alongwith the Junior Commissioned Officer started firing aimed bursts at the terrorists to pin them down. The Junior Commissioned Officer kept his composure displaying true leadership personally deployed his team under heavy firing by terrorist while he informed the same to this Company Commander through the radio set.

He then tactically read the situation and used the Night Vision Device to locate an advantageous position on a hillock. Displaying tactical acumen, the Junior Commissioned Officer coordinated with other teams and manoeuvred his troops and led them to a hillock while negotiating a difficult jungle terrain coupled with inclement weather amidst hail of bullets. He then tactically placed the troops at likely escape routes while a fierce gun battle was in progress with his company commander's team.

Meanwhile as Major S Kartik Raja's team approached the contact site as reinforcement Rifleman General Duty L Amarjit Singh buddy of the officer, saw 08-10 terrorists moving towards the cover of a boulder. He immediately alerted the

company commander and as terrorists opened fire on being challenged, Rifleman General Duty L Amarjit Singh displayed aggressive spirit alongwith his company commander and retaliated with his personal weapon. The terrorists kept on firing indiscriminately and lobbed grenades in an attempt to break contact. The fearless soldier alongwith his company commander gave a hot pursuit to the fleeing terrorists . He ran up the hillock and rolled down through the thick vegetation to close in onto entrenched terrorists. He constantly gave covering fire to his company commander and pinned down the terrorists effectively. The fierce gun battle resulted in elimination of three hardcore terrorists.

After sometime, the terrorists taking advantage of darkness and inclement weather tried to break contact but they were engaged by tactically placed cordon of Naib Subedar General Duty Fateh Singh party. They started firing aggressively and tried to break through the cordon. The Junior Commissioned Officer remained unfazed asked for Mortar illumination to track the terrorists and as Rifleman General Duty K Surendro Singh was at a vantage point he displayed audacious bravery and initiative and rolled down and fetched a 51 mm Mortar tube and instantly started firing Mortar rounds to illuminate the terrorists. The gun battle ensured and the Junior Commissioned Officer displayed his marksmanship by personally gunning down two terrorists from close quarters.

The daring operation resulted in elimination of five hardcore terrorists and recovery of following arms ammunition, warlike stores and incriminating documents:-

a)	M- 16 Rifle	:	02Nos.
b)	M- 15 Rifle	:	01 No.
c)	AK- 47 Rifle	:	02 Nos.
d)	Magazine M series Rifle	:	03 Nos.
e)	Magazine AK series Rifle	:	02 Nos.
f)	Live M series ammunitions	:	362 Nos
g)	Live AK series ammunitions	:	173 Nos.
h)	Fired cartridge cases of AK ammunitions		127 Nos.
i)	Fired cartridges cases of M Series ammn.		142 Nos.
j)	Driving licence	:	01 no.
k)	Stamp (Wing commander PRA)	:	01 No.
l)	Ammunitions pouch	:	05 Nos.
m)	Voter Identity card	:	01 No.
n)	Vehicle documents	:	01 No.
o)	Name plate of Pulsar Bike MN-04 1714		

In this encounter S/Shri Fateh Singh, Naib Subedar, K. Surendro Singh, Rifleman and L. Amarjit Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14/05/2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 70–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sandham Ajen Singh,
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded

Rifleman (General Duty) Sandham Ajen Singh is a dynamic, robust soldier and is part of Ghatak platoon, 34 Assam Rifles since November 2008 and has been personally involved in many successful operations.

On 27 October 2009 he was part of the joint column of 34 Assam Rifles and 21 PARA (SF) which establish surveillance cum ambush at village Phourangching under Major T J Singh, SC of 21 PARA (SF). As the column was relocating stealthily, it came under heavy volume of fire from hill top which included automatic weapons and Lethod rounds. During the exchange of fire, Major T J Singh, SC sustained abdomen injury (Gun Shot Wound). Rifleman (General Duty) Sandham Ajen Singh using excellent field craft re-deployed himself, wherein he observed few terrorists on the ridge line. Rifleman Sandham Ajen Singh along with his buddy immediately rushed towards the location, this move was seen by the terrorists and they fired lethod rounds wherein Rifleman Sandham Ajen Singh and his buddy suffered splinter injuries. Despite splinter injury in the hip, which made his movement difficult, Rifleman Sandham Ajen Singh undaunted by hostile fire and great threat to his own life redeployed himself once again and with aimed fire killed one terrorist on the spot. One terrorist succumbed to injury later and four others were severely injured. This gallant action of Rifleman Sandham Ajen Singh forced other terrorists to run away thereby saving lives of his team members and also made the air casualty evacuation possible. Terrorist killed, injured and recoveries made in this operation are:-

Terrorist Killed:

(a) Self Styled Sergeant Nongnaithem Hemba of PLA (People Liberation Army) group.
(b) Unidentified terrorist of PLA (People Liberation Army) Group.

Terrorists injured: Electronic warfare intercept confirmed serious injuries to four cadres..

Recoveries

(a)	AK – 47 Rifle	-	01 No
(b)	AK – 47 Magazine	-	02 Nos
(c)	AK – 47 Live Rounds	-	21 Nos
(d)	AK – 47 Fired Cases	-	50 Nos
(e)	Lethod Fired Cases	-	02 Nos
(f)	Grenade Pin	-	01 No
(g)	Leather Purse	-	01 No
(h)	Cash	-	Rs 500/-
(j)	Pouch	-	01 No
(k)	Pocket Diary	-	01 No

In this encounter Shri Sandham Ajen Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27/10/2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 71–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Senti Renba,
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded

Rifleman (General Duty) Senti Renba is highly motivated professional and energetic soldier.

On 15 April 2011, based on specific information about armed cadres in house, Forest Colony GR RG 536833, Kohima, a search operation with police representative was launched at 0410 hours. The individual, displaying extraordinary courage deployed himself to cover the possible escape routes. The undergrounds were alerted and 02 persons jumped across the wall to escape from house.

Though under tremendous pressure of the situation, the individual, alongwith his buddy, took the extreme risk to catch hold of both the fleeing armed undergrounds. Further search of house recovered huge cache of assorted arms and ammunition.

On 18 April 2011, based on a specific information, an operation was launched at 1300 hours at Razhu point, Kohima, to nab the undergrounds. Two undergrounds tried to escape on seeing the troops. Showing exemplary raw courage, both of them were perused by the individual alongwith his buddy thereby empowering them and recovering a Pistol alongwith ammunition.

Recoveries made on 15th April 2011

(a)	Rif AK-47 with magazine	-	01
(b)	Rif M-16 with magazine	-	01
(c)	12 Bore Gun	-	01
(d)	Pt 22 Gun without barrel	-	01
(e)	7.65mm Pistol with magazine	-	02
(f)	Pt 22 Pistol (Chinese made) with magazine	-	01
(g)	Pt 9mm Pistol (Local Made) with magazine	-	01
(h)	Pt 9mm Pistol	-	01
(i)	Live rds of 5.56mm INSAS Rif	-	20
(j)	Live rds of 9mm Pistol	-	10
(k)	Live rd of 7.65mm Pistol	-	01
(l)	Live rds of AK 47	-	25
(m)	Live rds of pt 22 Pistol	-	41
(n)	Live rds 5.56mm (Unidentified)	-	01
(o)	CCTV Camera with lead	-	01
(p)	Mobile Phone	-	08
(q)	Combat Uniform with shoes	-	02 pairs
(r)	Underground Cadres	-	02

Recoveries made on 18th April 2011

(a)	7.65mm Pistol with magazine	-	01
(b)	Live rounds 7.65mm Pistol	-	06
(c)	Underground Cadres	-	02

In these encounters Shri Senti Renba, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15/04/2011.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 72–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Ms. Mary Hranngul,
Dy. Commandant (SMO)

Statement of service for which the decoration has been awarded

Deputy Commandant Mary Hranngul was commissioned as the first Lady Medical Officer in Assam Rifles on 18 Jan 2003 and has rendered 08 and a half years of selfless, dedicated and sincere service. She has been instrumental in apprehending one of the most sought after cadres of Peoples Liberation Army (PLA), Army No 1427 Sergeant Major Loitongbam Sanotomba Singh, Revenue Officer of Revolutionary Peoples Front (Peoples Liberation Army) on 29 June 2011.

On the basis of a sketchy and scanty information of the under ground cadre son's name and the school in which he is studying, an operation was launched to established the identity of the child and thereby locating his father. On 25 June 2011 Deputy Commandant Mary Hranngul posing herself as an Non Government Organization (NGO) , conducted survey of health and immunization state of children, went to all houses in the general area enquiring details. Taking advantage of her knowledge of the local language and culture, she interacted with most of the parents in general and the suspected child's parents in particular. Thus winning the trust and confidence of the suspected parents while surveying the house in detail and identifying the under ground cadre.

On 29 June 2011 Deputy Commandant Mary Hranngul went again to the house, offered sweets to the children and recced the entry/exit routes of the house and confirmed the presence of the under ground cadre in the house.

Keeping in mind the urgency and seriousness of the situation, Deputy Commandant Mary Hranngul immediately signaled the troops waiting a few kilometers away. On confirmation, the troops cordoned and entered the house. The under ground was taken by surprise and was immediately overpowered.

On interrogation, the individual revealed himself as Sergeant Major Loitongbam Sanotomba Singh @ Chinglensana, Aged 30 years, Son of Kalibabu Singh, resident of Lakhinagar, Jirighat. The individual was a Revenue Officer of Revolutionary Peoples Liberation (Peoples Liberation Army). The individual was involved in a high profile extortion activities in Jiribam and Silchar area. Further interrogation and search led to the recovery of Rs. 6,88,500/- (Six lakhs eighty eight thousands five hundred) in cash, one Laptop containing details of extortion and Incriminating documents.

The apprehension of Sergeant Major Loitongbam Sanotomba Singh has been a severe blow to the outfit's extortion activities in the area.

In this encounter Ms. Mary Hranngul, Dy. Commandant (SMO) displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29/06/2011.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 73–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Border Security Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Jai Kishan,
Constable **(Posthumously)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 14th May 2011, Constable Jai Kishan, along with Constable Yogesh Singh and Constable Satish Kumar of 'E' Coy, were on Naka duty in the area of responsibility of Border Out Post, Budhwar which is located in a highly sensitive stretch. Pakistan have made number of attempts to infiltrate militants into Indian Territory from this area and stand-off fire from Pak side on own patrols is a regular feature. Constable Jai Kishan, the Naka Commander, was observing the area ahead of Naka No. 1 holding his Light Machine Gun (LMG), by scanning the area carefully for checking infiltration bids. At about 1925 hrs, all of a sudden he was hit by a bullet in lower portion of chest, probably fired by a sniper. Though grievously injured, this gallant soldier by displaying extraordinary commitment and combat audacity, swiftly sprayed bullets by turning his LMG in the direction between Pak Post Chander and

Maqbool from where the bullet was fired. Exhibiting exemplary leadership as Naka Commander, he maintained his cool even in acute pain and indicated target to Constable Yogesh Singh for ensuring continuous engagement. He himself kept-on firing with his LMG and engaged Pak positions till he fell unconscious. According to reliable intelligence reports, one of the two dreaded Laskar-e-Toiba Militants, who had fired on Constable Jai Kishan, was grievously injured by the retaliatory fire of Constable Jai Kishan and later died in Hospital.

Enthused by the brave act of Constable Jai Kishan, Constable Yogesh Kumar, his buddy, also retaliated the Pak fire fiercely. In the ensuing battle, the other Pak Post Umranwali also opened fire with Universal Machine Guns, Light Machine Guns and other automatics targeting our Border Out Post, Budhwar and Naka points at regular intervals. The initial prompt retaliation by Constable Jai Kishan and befitting reply by our Border Out Post, Budhwar and other Naka points resulted in heavy damage to men and material on Pak side including killing of two Pak Rangers, three civilians and ten cattle heads as was later confirmed by intelligence inputs and Pakistani media reports.

Constable Jai Kishan despite being grievously injured, displayed extraordinary courage and dedication by retaliating the Pak fire and foiled the nefarious design of dislodging the Naka position and infiltrating militants into Indian Territory. Despite of best efforts made to save his life, he succumbed to his injuries and attained Martyrdom.

In this encounter (Late) Shri Jai Kishan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14/05/2011.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 74–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Vasudev,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

At about 1215 hrs, on 28 November, 2008 SP (Ops) Anantnag informed Shri Sanjay Kumar, Commandant, 40 Bn CRPF, about presence of group of Militants in Vilalge- Panzgam, PS- Awantipora, District- Awantipora. Operation was planned immediately and Commandant 40 Bn alongwith QRT under Command Shri Arun Kumar Meena, 2 -I/C and two platoons of A/40 under command Lamb Apoorwa and troops of SOG Anantnag with SP (OPS) rushed for the spot, enroute Commandant, 40 Bn shared the information with Commandant 130 Bn under command Elephant Sanjeev Singh and unit QRT under command Dy. Commandant (Ops) 130 Bn, CRPF also left for the village. After reaching the village troops of A/40 Bn, was directed to cordon the village, when cordon was being laid by troops of 40 Bn., Sub Inspector Vasudev spotted that two militants were trying to escape towards near by thickly vegetated area from back side of the village. Sub Inspector Vasudev and his party who were still laying cordon in the area, after spotting the movement of militants challenged both the militants. In turn both militants opened indiscriminate firing towards Sub Inspector Vasudev and his party. This was moment when life of Sub Inspector Vasudev and other personnel came under shadow of death. Taking coverage of firing towards Sub Inspector Vasudev and his party, both militants tried to escape after breaking the cordon. But Sub Inspector Vasudev did not loose his courage and after ducking the fire of militants, retaliated immediately and fired on the militants. The sharp and quick reaction of Sub Inspector Vasudev halted the movement of escaping militants. The thickly vegetated area turned into battle field and exchange of fire continued for about 30 minutes. Militants continued to fire and hurled grenades towards the Sub-Inspector Vasudev from which he narrowly escaped. Despite of heavy firing from militants towards Sub Inspector Vasudev, he did not loose heart and displayed conspicuous courage and bravery and without caring for his life he continued to fire on militants which resulted in killing of two militants namely Rahis Ahmad Wagey-LET (Resident of Panzgam) and Abu Talhaa – LET (Resident of Pakistan). AK-47 Rifle-02 Nos., Megazine- 04 Nos, Rounds – 22 Nos and Wireless Set- 01 were recovered during the operation. The troops of 112/130/185 Bn, CRPF/SOG Anantnag/55 RR and Awantipoa Police had also played a crucial role by providing the cordon around the area as a result the militants could not flee.

In this encounter Shri Vasudev, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28/11/2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 75–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Mohd. Latif,
Constable

02. Khurshid Ahmed,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 23/04/10 at around 1710 hrs, on a specific information received through reliable source, regarding presence of militants a planned joint operation was launched by civil police, STF, 26 RR, 76 Bn, CRPF, and 151 Bn, CRPF, in Mukrulu near Manoi Forest area under P.S: Gandoh, Dist: Doda(J&K). During search, militants suddenly started indiscriminate firing on the SF party with sophisticated weapons. The S.F party also retaliated but could not exactly reach the spot where militants were hiding. During the process, the party cordoned the area, however by this time it was sunset and it started plunging into darkness. On seeing this situation, CT/ GD Mohd Latif, and CT/GD Khurshid Ahmed acted courageously without caring for their personal safety, climbed over the hideout of the militants and placed lighter over it. They also exchanged fire with the militants. The alertness and presence of mind exhibited by them helped the troops to fire exactly on the hideout during the darkness, with the help of taking aim at the lighter placed over the hideout. In the ensuing encounter, two hard core Hizbul Muzahideen militants namely Tanveer Ahmed S/O Shamasdir r/o Shoran, Manoi Gandoh and Yawar Aziz code Abu Tofeel Ansari S/O Shamasding r/o Shoran, Manoi, Gandoh and Yawar Aziz code Abu Tofeel Ansari S/O Abdul Aziz r/o Jakiyas, Gandoh were killed and following Arms Amns and article were recovered:-

AK-56 Rifle	-	01 No
AK Magazine	-	03 Nos
AK live rounds	-	28 Nos
Chinese Pistol with Magagine	-	01 No
Diary	-	01 No

In this encounter S/Shri Mohd. Latif, Constable and Khurshid Ahmed, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23/04/2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 76–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Nawal Singh,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 05.10.2010, on a specific information received through reliable sources and further developed by SDPO Mahore, District Reasi regarding presence of militants, a joint cordon/search operation led by SI/GD Nawal Singh of 126 Bn was launched by Police Party, 126 Bn, CRPF in Patharia, Bokar Nar, area under the jurisdiction of PS- Mahore, District- Reasi. During the search, militants suddenly started indiscriminate firing on the Police party with sophisticated weapons from the side of dense forest. SI/GD Nawal Singh retaliated the fire without the fear of his life like a true soldier. The said S.O. advanced tactically towards the hideout exposing himself to extreme danger of heavy firing by militants and after reaching at an advantageous position fired on militants thereby neutralizing two militants. Slain militants were later identified as HM militant Mustaq Ahmed @ Commando @ Ifran (Self styled District commander) Hizbul Muzahidin, S/O Jamaldin, R/O Lar, PS/Tehsil-Mahore,District- Reasi (J&K). The following Arms/Amn and other materials were also recovered from their possession:-

i)	AK 56 Rifle	:	02 Nos.
ii)	AK Magazine	:	04 Nos.
iii)	AK 56 live rounds	:	90 Rounds
iv)	Wireless Set	:	01 Com.
v)	Binocular	:	01 No.
vi)	Mobile Nokia 2700		01 No.
vii)	Mobile G-5	:	01 No.
viii)	Pouch	:	01 No.
ix)	Pocket Diary	:	01 No.
x)	Diary	:	01 No.

In this encounter Shri Nawal Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 05/10/2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 77–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sanjay Kumar Singh,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On receipt of operational input regarding presence of PLFI cadres in the Rania area, an operation was planned by Sri. B.K.Sharma Commandant-133 Bn & Sri Prabhat Kumar, SP, Khunti on 04/07/2008. As per operational plan two Platoons of G/133 consisting of 35 personnel under command of Inspector Sanjay Kumar Singh a/w officer in-charge of Rania, P.S- Khunti and civil Police component of Kamdara, PS- Gumla moved for raid & search duty on 5/7/2008 at about 0230 hrs . After covering a distance of nearly 20 Kms from Rania, at about 0430 hrs when the party reached near a hill behind village Koylagarha the party heard some whispering on hill top. The party suspected the presence of Naxals at hilltop. Inspector Sanjay Kumar Singh immediately drew a plan to cordon off the area with pre-decided signals. Police party cordoned the area and the raid party under command of Inspector Sanjay Kumar Singh started climbing the hill top. Suddenly the suspected Naxals resorted to indiscriminate firing. Immediately the party took position and retaliated strongly. The exchange of fire lasted for about half an hour. Inspector Sanjay Kumar Singh taking initiative, showing determination led the team from the front and effectively controlled the fire power. In this process Inspector Sanjay Kumar Singh received a bullet injury in his left elbow but without caring about his wound Inspector Sanjay Kumar Singh exhibiting exemplary courage, devotion to duty and kept leading his team from the front which gave the Naxals no other chance but to retreat. When the encounter stopped injured Inspector Sanjay Kumar was evacuated from the incident place to Torpa hospital for first-aid. Thereafter he was airlifted by Chopper to Appollo Hospital Ranchi, for further treatment. Meanwhile

Commandant B. K. Sharma a/w Assistant Commandant R. K. Singh had rushed to the spot with reinforcement. After thorough search of the area one dead body identified as that of naxal (PLFI) namely Salaman Horo 25 yrs R/O Chalangi, P.S Lapung was recovered. Two other naxals cadre namely Durga Singh 19 Yrs, R/O Jaria, P.S Lapung and Nilu Topno 15 Yrs, R/O Pasam, P.S Rania was arrested. 02 Nos of 9 mm Pistol (Made in Italy), 04 Nos Magazine of 9 mm Pistol, 02 Nos 7.62 mm Bolt Action Rifle, 01 Magazine of 7.62 mm Bolt Action Rifle, 52 Nos Live Rounds of 7.62 mm, 17 Nos Live Rounds of 9 mm, 12 Nos Live Rounds of 315 bore, One Empty case of 9 mm, 02 Empty case of 7.62 mm, One Holster of Pistol with Belt, 02 Nos Bandoliar, 03 Nos Mobile sets (Nokia), Cash Rs. 9900/-, 20 Nos letter pad of PLFI , 25 Nos Pamphlet of PLFI, 04 Nos of Prastavwna books and one Booster which is used in land mine blast was also recovered.

In this encounter Shri Sanjay Kumar Singh, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 05/07/2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 78–Pres/2012- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Ganga Ram Nath,
Head Constable

02. Jugal Chandra Nath,
Constable

03. Indukuru Pavan Kumar,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 20/10/2008 two sections of F/170 Bn CRPF and three sections of B/170 Bn CRPF were detailed for protection duty of BRO from Madakpal Camp to

Bhopalpatanam under charge of Command of SI/GD Khalil Ahamed. Accordingly, the troops were moving towards Bhopalpatanam on the left side of the road. When the troops had covered about 2 and half kilometers by foot at about 1145 hrs, naxalites suddenly started firing on the troops from the right side of the road. Troops also retaliated with fire. After about 10-15 minutes, naxalites again started firing indiscriminately on the troops and started shouting loudly.

In the said incident HC/GD G.R.Nath who was detailed as Section Commander of section No.2 was not able to get proper cover / shelter and was hit by a bullet fired by naxalites on his right thigh and blood started oozing out from his body. Even though seriously injured, he kept on firing on the naxalites for about one hour and did not allow naxalites to come near him. At the same time one grenade thrown by naxalites blasted near him, in which he sustained serious injuries on his left eye, head, left face, neck, left hand, and left ribs. Even after having a bullet injury and injuries from grenade he kept on firing until he fainted. However his gallant act saved arms and ammunitions from being snatched by the Naxalites. Thus, HC/GD G.R.Nath displayed conspicuous gallantry, courage, and devotion to duty of order.

Since Naxalites were firing indiscriminately, CT/GD Jugal Chand Nath who was in position of Rifle No-6 took position behind a tree and started firing on Naxalites. One of the Naxalites started moving towards above CT/GD by hiding himself. On sensing this, said CT/GD fired 2-3 rounds at this Naxalite. The Naxalite who was advancing towards above CT/GD called 3-4 more colleagues by signaling and started advancing towards above CT/GD. However, CT/GD Jugal Chand Nath immediately fired on the 3-4 Naxals who were advancing towards him. One of the Naxal immediately fell down on the spot. Later on he was found dead and one twelve bore rifle was recovered from him. CT/GD Jugal Chand Nath retaliated firing and protected arms and ammunitions from being taken away by naxalites and displayed conspicuous gallantry, courage and devotion of duty of high order.

On seeing the indiscriminate firing from Naxals CT/GD I. Pavan Kumar who was holding position of Rifle No.3, immediately took cover behind another tree and started firing on the Naxals along with Ct/GD Niraj Sharma. CT/GD I. Pavan Kumar asked CT/GD Neeraj Sharma who was holding the LMG, to fire through Automatic mode but the Automatic mode of LMG was not functioning at that time, therefore he fired single rounds only. At the same time, he noticed that some uniformed naxalites were advancing towards them. Naxalites had hidden themselves behind the cover and had started firing towards them. The individual also fired back on Naxalites and did not allow the Naxalites to advance towards them. Suddenly Naxalites threw a grenade, which fell near him. The base plug of the grenade hit below the right eye of CT/GD I. Pavan Kumar who due to splinter injury started bleeding from his face and eye. However, he continued his firing on naxalites along with his partner. He exhibited exemplary courage bravery and done a gallant action without caring his injury and life.

In this encounter S/Shri Ganga Ram Nath, Head Constable, Jugal Chandra Nath, Constable and Indukuru Pavan Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20/10/2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 79–Pres/2012- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Prakash Ranjan Mishra,
Assistant Commandant

02. Ram Chander,
Head Constable

03. Surjeet Singh,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On getting specific information regarding celebration of Shahadat Diwas by CPI Maoists in Tillaiya village area under PS Bishnugarh, Distt. Hazaribagh, Jharkhand, a special operation code named OPERATION RAID was planned. As per the plan, two strong platoons of D/22 Bn. CRPF, under command of Shri P.R.Mishra, Assistant Commandant (Now DC), O.C-D/22 moved to the area on 28/07/08 at about 1600 hrs. Troops of D/22 were divided into three groups to carry out the assigned task. Along side troops of D/22Bn, A/22 Bn was also deployed in Narki area as a deception to maintain surprised movement of D/22. On the other side D/22 moved cross country for about 10 kms on foot under thick vegetation, in pitched darkness and heavy rain by negotiating many naxlas to reach target area within decided time plan. As Shri P.R.Mishra, AC was well versed with the modus operandi of naxals, who generally lay ambush and plant land mines on approach routes towards their camps, hideouts etc. he moved alongwith his party through the toughest terrain and unexpected routes through dense jungle. The complete party reached near village Tillaiya in thick darkness and the arrangements of lights and

sounds clearly indicated regarding ongoing naxals celebration. Ensuring full element of surprise, the party further moved closer to the place of function to assess the situation and established launching base for the RAID. The situation on ground and further course of action to be taken was informed by Shri P.R.Mishra telephonically to Commandant-22Bn and SP Hazaribagh. The detailed parties were placed as stops and reserve and raiding party moved further to close in on the naxals deceiving several naxal santries and entered into the area of function. After analyzing the situation, Raiding party changed the position and moved by crawling more closer towards the target area by taking full risk to their lives since there was no cover against fire of Naxals. Raiding party with utmost patience and risk kept on waiting for dispersal of more than 300 villagers present in the function. After the function was over, the villagers dispersed and thereafter the Naxal activities were more evident. At about 2315 hours a group of four Naxals who were moving towards village, perhaps smelt the presence of the troops. Thereafter, these four Naxals turned towards the direction of the Raiding team and started searching in a very alert position. Despite utmost risk to their lives, the raiding team under command of Shri P.R.Mishra showed high degree of self discipline and watched the naxals moving towards them very patiently only to save the civilians from probable cross fire. However the Naxals had noticed the presence of the troops and shouted Police, Maro and opened fire on raiding party. As Shri P.R.Mishra, Assistant Commandant was ahead of the raiding group a volley of bullets crossed over him but he escaped narrowly. In order to avoid civilian casualties Shri P.R.Mishra, AC risked his life and moved towards the firing of Naxals under the volley of bullets without any retaliation. Simultaneously he instructed other members of raiding group to support him by providing covering fire to enable him to reach more closely to the firing Naxals. HC/GD Ram Chander with 3 personnel of raiding group provided covering fire and Shri P.R.Mishra, A/C followed by CT/GD. Surjit Singh showing extreme/exemplary courage and bravery in totally adverse situations, crawled towards the group of Naxals who were firing. After reaching very close inside the heavy firing area, Shri P.R.Mishra, AC fired many rounds on a male Naxal who seemed to be a commander and a lady Naxal. Both of them received many bullets fired by Shri P.R.Mishra A/C and started crying. Subsequently one more lady Naxal was killed by raiding group. Shri P.R.Mishra AC took full precautions while firing on Naxals to save civilians from bullets. Many other Naxals tried to reach near the raiding party by firing heavily but failed to inflict casualties on the raiding party. Naxals continued firing till 0400 hrs next day. In the entire operation, death remained at a hairline distance from Shri P.R.Mishra, AC and CT/GD Surjit Singh who survived from many bullets. It is a fact that due to retaliation by Raiding group and stop groups few more Naxals got bullet injuries but might have managed to escape under the thick cover of darkness. Raiding team was totally unsafe as Naxals were firing from different sides coming heavily on them but Shri P.R.Mishra A/C was having full control over his party and also on fire power. However, he was in the

most vulnerable point and could have lost his life at any point of time but he never lost his patience and showed extreme courage during the whole encounter. In this operation Shri P.R.Mishra AC, HC/GD Ram Chander and Ct/GD Surjeet Singh showed exemplary courage and conspicuous bravery by risking their lives. The dedication, commitment and leadership qualities shown by Shri P.R.Mishra resulted in the success of OPERATION RAID in which following dreaded naxal commander and hardcore cadres of Jharkhand State were killed after penetrating into naxals stronghold.

i) Hard Core Naxal Niranjan Manjhi alias Chandru Manjhi – Sub Zonal Commander -30 yrs
ii) Hard Core Naxal-Namita Manjhi -25 years
iii) Hard Core Naxal – Lalitha Manjhi alias Mamta – 20 years

Recovery:-

Sl. No.	Name of Arms/Ammns and Articles	No. of items recovered
01	7.62 mm SLR	01
02	.303 Bolt Action Rifle	02
03	7.62 SLR Magazine	03
04	303 Bolt Action Magazine	02
05	7.62 mm Ammunitions	205 rounds
06	303 Ammunitiosn	102 rounds
07	Wireless Set	01
08	Pithu	04
09	Indian currency in Rs.	65000/-
10	One Mahendra Jeep Regd No. MH-06-W908	01
11	Generator Set 1.1 KW	01
12	Amplifier	01
13	Loudspeaker wire	01
14	Naxal Banners and Flags	158
15	7.62mm Charger Clips	34
16	303 Charger clips	10

In this encounter S/Shri Prakash Ranjan Mishra, Assistant Commandant, Ram Chander, Head Constable and Surjeet Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28/07/2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 80–Pres/2012- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. S. Salim Kumar,
Assistant Commandant (PPMG)

02. Nazimuddin Hasinuddin,
Constable (PMG)

03. Satender Yadav,
Constable (PMG)

04. Dinesh Kumar,
Constable (PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 23/11/2010, acting on an intelligence input about presence of large number of heavily armed Naxalites in the area of villages Ashrampara, Kunder and Mettaguda under PS Jagargunda, Shri Salim Kumar, AC, CRPF launched an area domination operation alongwith two platoons of F/111 CRPF and elements of CG Police and SPOs under his command. Keeping in view the threat perception from Naxalites and tough terrain of the area, party commander Shri Salim Kumar, A/C divided the whole party into four sections besides keeping one Quick Action Team (QAT) with him. As per plan, operational party left F/111 Bn, CRPF camp Jagargunda at 0700 hours and moved tactically with two sections moving in left and right flank each with QAT and party Commander moving in between for executing better command and control. After covering a distance of about 6 kms from Jagargunda, suddenly Section No. 01 of the party moving in the front came under heavy fire from adjoining hilltop while it was negotiating a natural defile between Ashrampara and Kunder about 100 armed Naxalites had laid an ambush with an intention of killing Force personnel and looting their arms and ammunitions. Immediately the party took cover and returned the fire. Shri Salim Kumar, Asst Comdt, after taking stock of the situation directed section No.2 to cover the right

flank, section-4 left and rear flanks and section-3 to lay cut off on escape routes and launch counter-ambush. As the Naxalites kept on firing on our party for about one hour, Shri Salim Kumar, AC with intention to break the ambush directed the flanking sections to engage the Naxalites by controlled fire and he amidst the heavy fire of Naxalites without caring for his own life and safety started climbing the hillock tactically alongwith QAT towards the Naxalites firing positions. After coming at a very close range Sh. Salim Kumar, AC started firing at Naxalites positions and also directed CT/GD Nazimuddin H. to fire H.E. bomb, who amidst heavy volley of fire without caring for his own life and safety took revealing position and fired four HE bombs from his 51 mm mortar which exploded on the main body of Naxalites causing huge loss of life and morale to them. While climbing the hillock and coming under heavy volley of fire from all directions CT/GD Satender Yadav and CT/GD Dinesh Kumar of QAT without caring for their own lives and safety also fired at Naxalites positions inflicting casualties among Naxalites. The unexpected counter ambush drill and courageous action by our party compelled the Naxalites to beat a hasty retreat leaving behind 09 dead bodies taking cover of thick jungle and hilly terrain after receiving heavy losses. During mopping up exercise of the incident site, 09 dead bodies of Naxalites alongwith one .315 bore gun, one 12 bore gun, 06 Bharmar guns, one country made katta, one grenade, pig bomb , three bows/arrows, 10 empty cases of 7.62 SLR,03 empty cases of 303 rifle, 05 empty cases of 5.56 mm INSAS rifle were recovered . As per the tell-tale signs and blood stains at the encounter site, it is presumed that the Naxalites had suffered many more casualties which were taken away by them while fleeing from the ambush site. According to Police, these Naxalites belonged to the 3rd Military Coy of CPI (Maoist) which is active in this area.

In this encounter S/Shri S. Salim Kumar, Assistant Commandant, Nazimuddin Hasinuddin, Constable, Satender Yadav, Constable and Dinesh Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23/11/2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 81–Pres/2012- The President is pleased to award the 2nd Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Nalin Prabhat,
Dy. Inspector General **(2nd Bar to PMG)**

02. Dinesh Pal Singh
Assistant Commandant **(PMG)**

03. Parveen Kumar Choudhary,
Assistant Commandant **(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 3rd July'2008 morning, a small team of SOG Anantnag along with few element of 93 BN CRPF rushed to Nyayun Batpora, where it was joined by D Coy, 130 CRPF, and laid a cordon around the (suspect) target house, followed by troops from 182 CRPF and 55 RR.

CO 93 CRPF informed DIG OPS, Shri Nalin Prabhat, about Atif and another Pakistani terrorist's confirmed presence. Shri Nalin Prabhat rushed to the village, by then, location of the hidden terrorists had been positively identified – an underground bunker, beneath a toilet, in the courtyard of a house. While JKP and CRPF personnel evacuated civilians from the target house's proximity, the besieged terrorists attempted to breach the cordon but failed and retreated into the hideout.

To ensure neutralization of the terrorists, who were well ensconced in the fortified concrete bunker, JKP officers directed CO 55 RR to launch an assault. However, the RR were not prepared to take any risks and hence restricted themselves to firing small arms and area weapons, at the toilet, about the hideout. The only achievement of this concentrated firing was that two walls of the toilet caved, with the lintel slab and other two walls still intact.

As the operation was not progressing, Shri Nalin Prabhat advised JKP to take over, from RR, and send SOG to conduct the final assault. Around 1300 hrs, the Sector Command post (CRPF Commando team) reached the scene. As both RR and JKP continued to dilly-daily, Shri Nalin Prabhat, being the senior most, on the ground, decided to retrieve the situation and took over charge, calling for volunteers

from CRPF, RR and JKP: only two Assistant Commandants, viz Shri Parveen Kumar Choudhary and Dinesh Pal Singh (both of sector command post), responded.

The trio walked across the courtyard, towards the toilet, with neither cover nor camouflage. The well entrenched terrorists opened automatic fire, on the three CRPF officers, through an aperture, above the bunker, which they dodged. Without caring for their safety and with utter disregard for their lives, they reached the aperture and, one after another, fired into the bunker. The terrorists retaliated but the three officers, without a breather, continued to fire, standing literally on heads of the hidden terrorists. Subsequently, Shri Nalin Prabhat directed Shri D P Singh to lob grenades, into the bunker, while he and Shri Parveen Choudhary gave cover. After intermittent firing from the bunker stopped, it was searched and bodies of the slain terrorists were recovered, who were identified as:

(i) Abu Atif (LeT's Divisional Commander of South Kashmir
(ii) Syed Hyder (LeT operative) - Both Pakistanis.

The following recoveries were made from their possession:-

(i)	A K 47 Rifles	-	02 Nos
(ii)	A K Magazine	-	03 Nos (damaged)
(iii)	Chinese Hand Grenade	-	01 No. (destroyed on the spot)

Atif, had been one of the most notorious top commander of Lasker, with a mandate to conduct operations outside J&K as well. He was instrumental in the brazen attack on Indian Institute of Science, Bangalore and CRPF Group Centre, Rampur, Uttar Pradesh.

In this encounter S/Shri Nalin Prabhat, Dy. Inspector General, Dinesh Pal Singh, Assistant Commandant and Parveen Kumar Choudhary, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03/07/2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 82–Pres/2012- The President is pleased to award Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Indo-Tibetan Border Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Bhoop Singh
Constable **(Posthumously)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

A joint area domination patrol and searching operation of 35 Bn ITB Police and Chhattigarh Police was conducted on 28.01.2011 in the jungle of general area Khunera District Rajnandgaon in Chhattisgarh. The Patrol consisting of GO-1, SOs-3, Ors-69 of ITBP was under command of Sh. Ashok Kumar Yadav, AC/GD and CG. Police consisting of GO-1,SOs-04, Ors-97 headed by Sh. Y.P. Singh, ASP (Naxal Ops) District Rajnandgaon.

The party was divided in two groups in which ITBP troops were placed on right flank and Chhattisgarh Police party was on left side. The domination patrol in an extended formation was moving and searching the thick jungles of Khunera. CT/GD Bhoop Singh was moving as part of scout of the party. At around 1205 hours, a sudden burst of fire came from the front side of left party followed by more fire from different directions as the naxalites had laid an ambush. While the SFs were in the process of encircling the naxalite cadres, in the meantime CT/GD Bhoop Singh of 35th Bn, ITBP, the scout of the party observed naxals moving from the other side of the jungle. He immediately alerted the others by shouting "Ye Rahe naxali, inko pakado" and advanced towards naxalites firing without caring for his life. The aggressive counter, the grit and determination of the troops to break the ambush made the naxalites flee. In the course of encounter, a bullet of naxalites hit CT/GD Bhoop Singh on the left side of his face just below his right ear. He was severely bleeding due to injuries. After administering first aid he was evacuated from the site to nearest hospital at Ambagarh Chowki where he succumbed to injuries. By, this supreme sacrifice CT/GD Bhoop Singh showed his courage and commitment towards national security at the cost of his own life. Timely alertness about naxal presence and immediate retaliation by him led the Ops party to an advantageous position which not only saved the precious lives of many others but also inflicted casualties and forced the armed naxalites to flee into the dense jungles.

The ambush site was immediately cordoned off and searched by the party. This led to recovery of one 303 empty case, one empty case of INSAS Lot no. KF-90, three naxalite literatures, pamphlets of PLGA, apprehension of nineteen suspects, impounding of one Honda CD DLX motor cycle. According to SIB reports, during encounter, naxals have suffered casualties and confirmed death of one female naxalite.

In this encounter (Late) Shri Bhoop Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28/01/2011.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 83–Pres/2012- The President is pleased to award Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Railway Protection Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri S.S. Ramachandra,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

Shri S.S. Ramachandra Constable of Bangalore City RPF Post/South Western Railway was deployed on duty on 07.11.2010 from 1400 to 2200 hrs shift in the circulating area in front of Bangalore City Railway Station on passenger security duty. While performing his duties, at about 1510 hrs, some passengers complained to him that their belongings had been snatched away by some criminals. Shri S.S. Ramachandra immediately reached and confronted the criminals who tried to escape. Shri S.S. Ramachandra showed exemplary alertness and courage and managed to apprehend two of the culprits. One of them, in a desperate bid to escape from clutches of Shri S.S. Ramachandra, took out a knife and stabbed Shri S.S. Ramachandra, Constable causing him grievous injuries. But the gallant constable in an extraordinary display of unflinching grit and bravery continued to hold them in his grasp. It was at this stage that one Naik Nawtinder Singh, from Indian Army who was standing nearby came to his rescue and while fighting with the criminals suffered a fatal stab injury on his chest. RPF Officers namely Sub-Inspector Shri Z.R. Khan and Shri H.G. Pathan, Asst. Sub-Inspector, who were on duty immediately rushed to the scene of the occurrence and rushed Shri S.S. Ramachandra and Naik Nawtinder Singh to the Railway Hospital.RPF Constable S.S. Ramachandra was later shifted to Appollo Hospital,Bangalore in a serious condition. Naik Natwinder Singh, however succumbed to his injuries on reaching the Hospital, RPF Constable, Ramachandra miraculously survived despite serious stab injuries.

In connection with the above incident, a case in Bangalore City Railway Police station Cr. No. 129/2010 under section 302,333,307 read with 34 IPC was registered. Meanwhile, the criminals namely i) Kumara Naik alias Pradeep aged 20 yrs., ii) Satish Kumar aged 23 yrs, iii) Antony alias Guru aged 21 yrs and iv)Suma alias Soumya aged 25 yrs. were arrested.

RPF Constable Shri S.S. Ramachandra, aged 38 years was born on 02.11.1972 and hails from Sobaganahalli village of Tumkur District of Karnataka. He joined as a Constable in RPF on 01.12.1998. He has served in Chennai (Southern Railway), Hubli (South Western Railway) and presently posted at Bangalore City RPF Post of South Western Railway from 24.06.2008. In the past he has detected many cases under the Railway Property (Unlawful Possession) Act by arresting notorious criminals. As RPF Constable,ShriS.S. Ramachandra was found very useful for deployment in passenger security areas which he always kept free from criminal elements. His response to the call of duty at risk of his life speaks highly of his courage/bravery. Despite being grievously injured, Shri S.S. Ramachandra did not let off the criminals he had caught and fought with them till they stabbed him in his stomach causing him a near fatal wound. The act of bravery shown by Shri S.S. Ramachandra, has inspired not only other members of the Force but also enhanced the image of the Railway and has done the country proud.

In this encounter Shri S.S. Ramachandra, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 07/11/2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 84–Pres/2012- The President is pleased to award Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Railway Protection Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mohan Lal Khichi
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 22/4/2011 Shri Mohan Lal Khichi Sub Inspector RPF Jhansi Store Post was detailed as In Charge of Escort Party of train No.12616 UP GT Express along with 5 staff from Agra to Jhansi Station. At around 2335 hrs when the said train was just

rolling out from the platform No.1 of Gwalior Station, one miscreant snatched a gold chain from a lady passenger through window of coach No. S-4 and was seen trying to escape by Shri Mohan Lal Khichi who was standing on the gate of coach No.S-6. Shri Khichi saw the miscreant snatch the gold chain from the window and run towards the end of the platform. Shri Khichi also jumped from the running train and chased the culprit till the end of the platform. He single-handedly overpowered the running miscreant who desperately tried to get away from his strong hold. While trying to bring down the miscreant, Shri Khichi was assaulted by another associate of the miscreant . They together tried to injure Sub Inspector Khichi by throwing stones at him and even tried to push him under the moving GT Express. Constable Shri R K Yadav of the escort party who was towards the rear end of the train, saw the shining of shoulder badge of Sub Inspector Khichi and guessed that Shri Khichi was being assaulted by some miscreants. He pulled the alarm chain of the train and rushed to the spot to help Sub Inspector Khichi. By then Sub Inspector Khichi had been badly injured and had sustained a injury on his head. With the help of Constable Shri R K Yadav, Sub Inspector Khichi managed to apprehend the miscreant but his associate could not be apprehended.

In spite of being injured and bleeding heavily Shri Khichi bravely faced the situation and succeeded in apprehending the miscreant who had snatched a gold chain from a lady passenger. Consequent upon the incident the miscreant namely Sumit Chauhan was handed over to GRP Gwalior who registered case no 46/11 under section 394,353,294,323,506 IPC and section 11 and 13 in Madhya Pradesh Dacoity Act dated 23.4.2011.

Shri Mohan Lal Khichi, Sub Inspector RPF Jhansi Store Post had displayed exceptional courage and while risking his own life recovered the property snatched from a lady passenger in a moving train and also was able to arrest the criminal red-handed.

In this encounter Shri Mohan lal Khichi, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22/04/2011.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT)

New Delhi, the 18th May 2012

Subject:—Reconstitution of Inter-State Council.

No. 7/1/2012-ISC—In supersession of the Secretariat's Notification No. 7/1/2011-ISC dated 27th September, 2011, the Prime Minister has approved the following composition of the Inter-State Council in terms of Clause 2(d) of the Inter-State Council Order, 1990 :—

Chairman

Dr. Manmohan Singh — Prime Minister

Members

(i) Chief Ministers of all States.

(ii) Chief Ministers of Union Territories having a Legislative Assembly and Administrators of Union Territories not having Legislative Assembly.

(iii) Six Union Ministers

(a) Sh. Pranab Mukherjee — Minister of Finance

(b) Sh. Sharad Pawar — Minister of Agriculture & Minister of Food Processing Industries

(c) Sh. P. Chidambaram — Minister fo Home Affairs

(d) Sh. M. Veerappa Moily — Minister of Corporate Affairs

(e) Sh. Kamal Nath — Minister of Urban Development

(f) Sh. Mukul Roy — Minister of Railways

Union Cabinet Ministers/Minister of State (Independent Charge) as Permanent Invitees :

(i) Sh. Ghulam Nabi Azad — Minister of Health & Family Welfare

(ii) Sh. Sushil Kumar Shinde — Minister of Power

(iii) Sh. S. Jaipal Reddy — Minister of Petroleum and Natural Gas

(iv) Sh. C. P. Joshi — Minister of Road Transport and Highways

(v) Sh. M. K. Alagiri — Minister of Chemicals & Fertilizers

(vi) Sh. Salman Khursheed — Minister of Law & Justice

P. G. DHAR CHAKRABARTI
Adviser & Addl. Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 22nd May 2012

RESOLUTION

No. 5(1)-B(PD)/2012—It is announced for general information that during the year 2012-2013, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 8.8.% (Eight point eight per cent) per annum. This rate will be in force during the financial year beginning on 01.04.2012. The funds concerned are :—

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be Published in Gazette of India.

BRAJENDRA NAVNIT
Dy. Secy. (Budget)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012
MGIPF—[PART I—SEC. 1]—120 Copies.